खण्ड-145, अंक-2
गुरूवार, 11 अग्रहायण, शक संवत् 1876
(2 दिसम्बर, 1954 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 145 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५४

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश कुमायूं कृषि भूमि (प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, १९५४ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	३६
यू० पी० इन्कम्बर्ड इस्टेट्स ऐक्ट, १९३४ के अधीन बनाये गये नियमों में किये जाने वाले संशोधन का आलेख्य (प्रतिलिपि मेज पर रखी गयी) ..	३६
१९५० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत शुद्धिपत्र (प्रतिलिपि मेज पर रखी गयी)	३६
१९३९ के मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट के अन्तर्गत विज्ञप्तियां (प्रतिलिपियां मेज पर रखी गयीं)	३६–३७
उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९५४ (विधान परिषद् द्वारा पारित विधेयक मेज पर रखा गया)	३७
कांस्टीट्यूशन (थर्ड अमेंडमेंट) बिल, १९५४ (भारतीय संसद् के दोनों सदनों द्वारा पारित बिल की प्रतिलिपि मेज पर रखी गयी) ..	३७
मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ के अन्तर्गत की गयी विज्ञप्तियों पर चर्चा के लिये समय निर्धारण	३७–३८
आगरा यूनिवर्सिटी सीनेट के लिये सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	३८
श्री गेंदासिंह की गिरफ्तारी से सम्बद्ध विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन (स्वीकृत)	३८–८३
श्री नारायणदत्त तिवारी की गिरफ्तारी से सम्बद्ध विशेषाधिकार समिति का द्वितीय प्रतिवेदन—इस प्रस्ताव पर विवाद जारी कि प्रतिवेदन पर विचार किया जाय ..	८३
नत्थियां	८४–१०८

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, २ दिसम्बर, १९५४

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३६२)

अंसमान सिंह, श्री
अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्त स्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृत नाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिज़वी, श्री
करनसिंह यादव, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशी प्रसाद पाण्डेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवर कृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केदारनाथ, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
खयाली राम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जू राम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेश प्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरु प्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री

गेंदासिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्दवल्लभ पन्त, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजी लाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदा लाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहर लाल, श्री
जवाहर लाल रोहतगी, डाक्टर
जुगल किशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकी नाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शन राम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकी नन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फ़ज़लुल हक़, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री

बद्री नारायण मिश्र, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती दीन तिवारी, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन मोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुज़फ़्फ़र हसन, श्री

मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद तक़ी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद फ़ारूक़ चिश्ती, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहन लाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणञ्जय सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री,
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री

रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राम भजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रामेश्वर लाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्राम राय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र शाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकर लाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराज बली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्यामममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजयेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईदजहां मख़फ़ी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायणदत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री

सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम डाक्टर, श्री
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तानआलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सेवाराम, श्री

हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

अनुसूचित जातियों के नियोजन अधिकारियों की नियुक्ति

*१—श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में कुल कितने नियोजन अधिकारी और सहायक नियोजन अधिकारी हैं और प्रत्येक में अनुसूचित जातियों की क्या संख्या है ?

नियोजन उपमंत्री (श्री फूलसिंह)—उत्तर प्रदेश में ५१ नियोजन अधिकारी तथा ५२सहायक नियोजन अधिकारी हैं। जिला नियोजन अधिकारियों में केवल तीन नियोजन अधिकारी ही अनुसूचित जाति के हैं। सहायक नियोजन अधिकारियों में केवल एक व्यक्ति अनुसूचित जाति के हैं।

*२—श्री जोरावर वर्मा—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि उपर्युक्त अधिकारियों की नियुक्ति किस आधार, योग्यता एवं अनुभव के ऊपर की जाती है? क्या जिला नियोजन अधिकारी के लिये स्थायी डिप्टी कलेक्टर होना भी अनिवार्य है ?

श्री फूल सिंह—जिला नियोजन अधिकारी डिप्टी कलेक्टरों, आई० ए० एस० के अफसरों, जुडीशियल अफसरों तथा अन्य विकास विभाग के स्थायी अधिकारियों से ही बनाये गये हैं जिनमें विकास कार्य की क्षमता तथा रुचि दीखे। डिप्टी कलेक्टर होना अनिवार्य नहीं। सहायक नियोजन अधिकारी जिला सूचना अधिकारियों में से ही जब यह कार्य नियोजन विभाग को दिया गया, बनाये गये। नियोजन विभाग में इस पद के लिये ग्रेजुएट होना तथा हिन्दी में कार्य करने की योग्यता होना आवश्यक माना गया है तथा इसी आधार पर नियुक्ति नये स्थानों पर की जावेगी।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि १८ प्रतिशत हरिजनों की नियुक्ति डी० पी० ओ० और सहायक डी० पी० ओ० में न होने का क्या कारण है ?

श्री फूलसिंह---यह सब नियुक्तियां नहीं हुई हैं बल्कि दूसरे महकमों से लोग लिये गये हैं। तो उन महकमों में जैसे-जैसे आदमी मिले वे रख दिये गये। जहां बराहरास्त भर्ती किये जाते हैं वहां इस उसूल का ध्यान रखा जाता है।

श्री जोरावर वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि कुछ ऐसे जिला नियोजन अधिकारी भी हैं जो किसी विभाग से नहीं लिये गये हैं?

श्री फूलसिंह---केवल एक।

श्री जोरावर वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी उन हरिजन जिला नियोजन अधिकारी महोदय का नाम बताने की कृपा करेंगे?

श्री अध्यक्ष---मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। मूल प्रश्न का नाम से कोई सम्बन्ध नहीं है।

*३-४---श्री रामचरण लाल गंगवार (जिला बरेली)---[३० दिसम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

ब्लाक डेवलपमेंट आफिसर्स में हरिजन

*५---श्री जोरावर वर्मा---क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि गत जुलाई सन् १९५४ में कितने बी० डी० ओ० (ब्लाक डेवलपमेंट आफिसर्स) सेलेक्ट किये गये हैं और उनमें हरिजनों की क्या संख्या है?

श्री फूलसिंह---१०४ व्यक्ति ट्रेनिंग के लिये चुने गये हैं। सफलतापूर्वक ट्रेनिंग के बाद इनकी नियुक्ति रिक्त पदों पर होती रहेगी। उनमें से ५ हरिजन हैं और ट्रेनिंग के बाद इनकी नियुक्ति बी० डी० ओ० के पदों पर हो जाएगी।

*६---श्री जोरावर वर्मा---क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि इस चुनाव में कितने बाहरी और कितने भिन्न-भिन्न नौकरियों से लिये गये हैं?

श्री फूलसिंह---३८ बाहरी और ६६ भिन्न-भिन्न नौकरियों से व्यक्ति लिये गये हैं।

श्री जोरावर वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि १०४ ब्लाक डेवलपमेंट आफिसर्स में से केवल पांच हरिजनों का ही सेलेक्शन क्यों किया गया?

श्री फूलसिंह---बाहर से जो व्यक्ति छांटे गये उनमें पांच ही व्यक्ति, हरिजन ऐसे आये थे जो कुछ स्टैंडर्ड रखते थे और उन पांचों को छांट लिया गया है।

श्री जोरावर वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो भिन्न-भिन्न नौकरियों से आये हैं उनमें भी हरिजन आये थे लेकिन उनको नहीं लिया गया, इसका क्या कारण है?

श्री फूल सिंह---उनमें कोई हरिजन आया होगा तो वह कमेटी के सामने कामयाब न हुआ होगा।

हमीरपुर जिले में पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कार्य

*७---श्री जोरावर वर्मा---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि पंचवर्षीय योजना के अधीन हमीरपुर जिले की उन्नति के लिये कौन-कौन से कार्य किये जा रहे हैं? क्या सरकार उन कार्यों की सूची मेज पर रखने की कृपा करेगी?

श्री फूलसिंह---पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हमीरपुर जिले में जो कार्य होने जा रहे हैं वह नियोजन पुस्तक माला हमीरपुर में दिये गये हैं, जिसकी †प्रति माननीय सदस्यों को दी गई है और जिसकी प्रति माननीय सदस्य की मेज पर है।

श्री जोरावर वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार ने जो पुस्तकमाला दी है उसके लिये इस बात की जांच की है कि इसमें जो आंकड़े दिये गये हैं वे सत्य हैं ?

श्री फूल सिंह---जांच करने के बाद ही वे छापे गये हैं।

नैनीताल में क्रीड़ा सामग्री उत्पादन केन्द्र

*८---श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या यह सही है कि नैनीताल म्युनिसिपल बोर्ड ने खेल कूद सामग्री उत्पादन केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में सरकार को कुछ सुझाव दिये हैं ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

उद्योग मंत्री के सभासचिव (श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी)---

(अ) जी हां।

(ब) सरकार ने नैनीताल में एक खेलकूद सामग्री ट्रेनिंग एवं उत्पादन केन्द्र खोलने के लिये आदेश जारी कर दिये हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि यह आदेश कब से कार्यान्वित किया गया है या किया जा रहा है ?

श्री हुकुम सिंह---जब से अहकामात जारी हुये हैं उसी वक्त से कुछ न कुछ कार्यवाही शुरू हो गयी है।

श्री नारायण दत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस कार्य के लिये कितना रुपया स्वीकृत किया गया है ?

श्री हुकुम सिंह---लगभग ३७ हजार रुपया।

श्री नारायण दत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी के पास यह शिकायत पहुंची है कि अभी तक केन्द्र के पास कोई रुपये का अनुदान नहीं पहुंचा है जिसके कारण वहां के कर्मचारियों को लकड़ी खरीदने या कोई अन्य कार्य करने में बाधा पड़ रही है ?

श्री हुकुमसिंह---शुरू में कुछ न कुछ दिक्कत तो होती ही है फाइनेंशियल रूल्स के कंप्लायेंस में और इस वजह से कुछ देर हो जाती है। लेकिन रुपया बहुत जल्द पहुंच जायगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि योजना के अनुसार शुरुआत में कौन कौन सी स्पोर्ट्स गुड्स बनाने की योजना बनाई गई है ?

श्री हुकुम सिंह---हाकी, बैडमिंटन के रैकेट्स और गेंद वगैरह।

---

†प्रति छापी नहीं गई ।

राज्य सचिवालय में पांच वर्ष से अधिक समय से कार्य करने वाले अधिकारी

*९—श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य सचिवालय में कितने Deputy Secretary, Joint Secretary and Secretaries पांच साल से ऊपर से सचिवालय में काम कर रहे हैं? क्या सरकार विभाग-वार आंकड़े देने की कृपा करेगी ?

मुख्य मंत्री (श्री गोविंद वल्लभ पंत)—संलग्न तालिका में विभागों के नाम और आंकड़े दिये हुये हैं ?

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ८४ पर।)

*१०-११—श्री गोवर्धन तिवारी (जिला अल्मोड़ा)—[३० दिसम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किये गये ।]

*१२-१३—श्रीमती चन्द्रवती (जिला बिजनौर)—[३० दिसम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किये गये ।]

जिला जौनपुर की मड़ियाहूं तहसील में राष्ट्रीय प्रसार सेवा विकास केन्द्र खोलने की आवश्यकता

*१४—श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले की मड़ियाहूं तहसील में राष्ट्रीय प्रसार सेवा विकास केन्द्र खोले जाने की योजना है ?

श्री फूलसिंह—जी नहीं ।

*१५—श्री रमेश चन्द्र शर्मा—यदि हां, तो कब से, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फूल सिंह—जिला नियोजन समिति ने दोभी (तहसील किराकत) में ब्लाक खोलने की सिफारिश की है ।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा—क्या माननीय मंत्री महोदय को यह पता है कि मड़ियाहूं तहसील में लगातार कई साल से सूखा पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या विकास सम्बन्धी कोई ठोस कदम उस तहसील में उठाया जाने वाला है ?

श्री अध्यक्ष—यह तो विवाद है ।

*१६—श्री रमेशचन्द्र शर्मा—[हटा दिया गया ।]

रामपुर के सैनिक मैदानों तथा इमारतों का प्रयोग

*१७—श्री कृष्णशरण आर्य (जिला रामपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विलीन रामपुर रियासत के समय के सैनिक क्षेत्रान्तर्गत (military lines') मैदान तथा इमारतें किस विभाग के अधिकार में हैं तथा कब से रिक्त पड़ी हुई हैं ?

श्री गोविंद वल्लभ पंत—ये इमारतें और मैदान डिफेंस डिपार्टमेंट के पास हैं और इस विषय का सम्बन्ध केन्द्रीय सरकार से है ।

*१८—श्री कृष्ण शरण आर्य—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त विभिन्न इमारतों की संख्या क्या है ?

श्री गोविंद वल्लभ पंत—इसकी सूचना सरकार के पास नहीं है ।

*१९—श्री कृष्णशरण आर्य—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त इमारतों का क्या प्रयोग किया जाने वाला है ?

श्री गोविंद वल्लभ पंत—केन्द्रीय सरकार वहां नेशनल फायर सर्विस कालेज स्थापित करेगी।

२ अक्तूबर, १९५४ से नए नेशनल एक्सटेंशन ब्लाकों का उद्घाटन

*२०—श्री जयेन्द्रसिंह बिष्ट (जिला टेहरी-गढ़वाल)—क्या सरकार ने २ अक्तूबर सन् ५४ को प्रदेश में कुछ नये N. E. S. Blocks खोले हैं? यदि हां, तो किन-किन स्थानों में ?

श्री फूलसिंह—जी हां। २ अक्तूबर को १५ नैशनल एक्सटेंशन ब्लाकों का उद्घाटन किया गया है। इनकी सूची सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ८५ पर।)

मिल मालिकों द्वारा गन्ने के बढ़े हुए मूल्य का भुगतान

*२१—श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—क्या यह सच है कि राज्य की कई मिलों के मालिकों द्वारा पिछले वर्ष लिये हुये गन्ने का चार आने मन मूल्य बढ़ा कर दे दिया गया है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—हां, पश्चिमी जिलों की कुछ मिलों ने ऐसा किया।

श्री गेंदासिंह—क्या उद्योग मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन मिलों ने यह चार आने मन का अधिक दाम दिया है, वह कौन सी हैं ?

श्री हुकुम सिंह—उनकी फेहरिस्त इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री गेंदा सिंह—क्या जिन मिलों ने यह चार आने मन का ज्यादा दाम दिया उनको देने के लिये सरकार की तरफ से कोई आदेश या आग्रह किया गया था ?

श्री हुकुमसिंह—जी नहीं।

श्री गेंदासिंह—क्या माननीय उद्योग मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह चार आने मन ज्यादा कीमत मिल वालों ने उस वक्त दी जबकि मिलों में हड़ताल होने के बाद माननीय मुख्य मंत्री जी को केन्द्रीय सरकार ने मध्यस्थ बना दिया था समझौता कराने के लिये ?

श्री हुकुम सिंह—यह वक्त तो मैं नहीं बता सकता कि कब दी।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह बढ़ा हुआ दाम किन-किन चीनी मिलों ने दिया ?

श्री अध्यक्ष—इसका जवाब तो दिया जा चुका है ?

*२२-२३—श्री सत्यसिंह राणा (जिला टेहरी-गढ़वाल)—[३० दिसम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

*२४—श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—[३० दिसम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

*२५-२७--श्री धर्मदत्त वैद्य (जिला बरेली)--[३० दिसम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

राष्ट्रीय प्रसार सेवा केन्द्र, इंटियाथोक, जिला गोंडा के विकास कार्य

*२८--श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राष्ट्रीय प्रसार सेवा केन्द्र, इंटियाथोक (जिला गोंडा) में २६ जनवरी, १९५४ से ३०-९-५४ तक क्या क्या विकास कार्य हुआ है ?

श्री फूल सिंह--इस केन्द्र में २६ जनवरी, १९५४ से ३० सितम्बर, १९५४ तक जो विकास कार्य हुए हैं उनकी सूची माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गयी है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ८६ पर।)

श्री गंगा प्रसाद--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह विकास का जो कार्य इंटियाथोक में हो रहा है, उस विकास क्षेत्र में सरकार ने जो फलदार वृक्ष मंगाये थे वे सूख गये ?

श्री फूल सिंह--यह तो बहुत ब्योरे का प्रश्न है, इत्तिला आने पर जवाब दे सकता हूं।

हमीरपुर जिले में रजिस्टर्ड सहकारी समितियां

*२९--श्री जोरावर वर्मा--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस वर्ष (सन् १९५४ में) हमीरपुर जिले में कितनी सहकारी समितियां रजिस्टर्ड हो गयी हैं ? क्या सरकार इनकी लिस्ट मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

सहकारिता उपमंत्री (श्री मंगला प्रसाद)--हमीरपुर जिले में सन् १९५४ में २४-९-५४ तक ९२ सहकारी समितियां रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। इन समितियों की एक सूची सदस्य महोदय की इच्छानुसार मेज पर रख दी गयी है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ८७-८९ पर)

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कोआपरेटिव सोसाइटियों के रजिस्ट्रेशन के लिये कुछ अवधि निर्धारित है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री मंगला प्रसाद--कोई समय निर्धारित नहीं है और कोशिश यह की जाती है कि जल्दी से जल्दी वह रजिस्टर्ड कर दी जायं। चुनांचे ९२ सोसाइटीज के प्रार्थना-पत्र आये थे जिनमें से सिवाय ४ के बकिया सब रजिस्टर्ड हो गयीं बहुत जल्द १४ सोसाइटियां ऐसी थीं जिनमें बहुत सी त्रुटियां थीं। उन त्रुटियों के दूर होने पर वे भी रजिस्टर्ड हो जायंगी ।

किसानों को फसल पर ऋण

*३०--श्री बलवन्त सिंह--क्या सरकार के पास प्रांत के किसानों की बहुत बड़ी मांग आयी है कि उनकी तैयार की हुई अथवा उनकी खड़ी फसल को गिरवी रखकर सरकार स्वयं अथवा कानून बनाकर सहकारी संस्थाओं द्वारा कर्जा दिलवाये ?

श्री मंगला प्रसाद--खड़ी फसल को गिरवी रखकर कर्जा देने की मांग सरकार को अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। फसल की तैयार शुदा पैदावार पर, जहां तक संभव होता है, कर्जा दिया जाता है ।

*३१--श्री बलवन्त सिंह--क्या सरकार ने उपर्युक्त मांग को पूरा करने के लिये सहकारी संस्थाओं को सस्ते सूद पर कर्ज दिलाने का कोई प्रबंध किया है ?

श्री मंगला प्रसाद---यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री बलवन्त सिंह---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि यह जो कर्जा किसानों को तैयार फसल पर मिलता है यह किस कानून के अन्तर्गत मिलता है ?

श्री मंगला प्रसाद---जहां तक कि कोआपरेटिव का सवाल है उससे तो कर्जा तैयार फसल पर मिलता नहीं और कोई तरीका मुझे मालूम नहीं है कि किस तरीके से मिलता है ।

श्री बलवन्त सिंह---अभी जो माननीय मंत्री जी ने बतलाया अपने जवाब में कि मिलता है तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि कौन से कानून के अन्तर्गत कोआपरेटिव से मिलता है ?

श्री मंगला प्रसाद---पिछले साल जबकि बहुत सस्ता गल्ला हो गया था हमने करीब दस पंद्रह लाख रुपये दिये और उनका गल्ला लेकर बीज गोदाम में रख लिया । उसके बाद जब उन्होंने चाहा तो उसको बेंच लिया या खुद ले लिया ।

मिल मालिकों तथा कोआपरेटिव सोसाइटियों पर गन्ने का बकाया मूल्य

*३२---श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश के चीनी मिल मालिकों तथा कोआपरेटिव सोसाइटी के जिम्मे किसानों के गन्ने के मूल्य की कितनी रकम अब तक बकाया है, तथा कितना अदा किया जा चुका है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी---प्राप्त सूचना के अनुसार चीनी मिलों के मालिकों द्वारा इस राज्य के गन्ना उत्पादकों अथवा उनकी समितियों को १९५३-५४ सीजन के गन्ने के मूल्य का कुल लगभग २१ करोड़ ३२ लाख १३ हजार रुपया अदा किया जा चुका है और अब केवल ५.८७ लाख रुपया देना शेष है । जहां गन्ने का मूल्य स्वयं सोसाइटियों द्वारा बांटा जाता है, उन क्षेत्रों में गन्ने के मूल्य का लगभग१६ करोड़ २१ लाख ८० हजार रुपया बांटा जा चुका है और उक्त समितियों को अब लगभग ८.४९ लाख रुपया सदस्यों को देना शेष है ।

*३३---श्री रामनारायण त्रिपाठी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस रकम को अदा करने के लिये मिलमालिकों को कितना रुपया दिया गया ? यह रुपया सहायतार्थ था या ऋण के रूप में ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी---मिलमालिकों को १९५३-५४ सीजन में गन्ने का मूल्य अदा करने के लिये सरकार द्वारा कोई ऋण अथवा सहायता नहीं दी गयी ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि प्रश्न संख्या ३२ के उत्तर में जो बताया कि धन बकाया है, उसकी अदायगी के बारे में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री हुकुम सिंह---केन कमिश्नर ने सार्टिफिकेट कलेक्टर के पास भेज दिये हैं ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---क्या १९५२-५३ का कुछ रुपया बकाया है या अदा किया जा चुका है ?

श्री हुकुम सिंह---सन् ५२-५३ का मसाला हमारे पास नहीं है । सन् ५३-५४ का पूछा गया वही इत्तिला हमारे पास है ।

नैनी में उद्वासितों के औद्योगिक उपनिवेश पर व्यय

*३४—श्री कल्याण चन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—क्या पुनर्वास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शरणार्थी उद्योग नगर, नैनी पर अब तक कितना खर्च हो चुका है और इसमें शरणार्थियों को दी गयी सहायता और सरकारी अमले पर कितना खर्च हुआ है और इस समय कालोनी की दशा क्या है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—नैनी में उद्वासितों के औद्योगिक उपनिवेश पर अब तक लगभग ५,३०,७८३ रुपये व्यय हुये हैं। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने नैनी उपनिवेश में कारखाने खोलने और व्यापार के लिये उद्वासित उद्योगपतियों और व्यापारियों को १,२९,५०० रुपये ऋण के रूप में दिये हैं।के न्द्रीय सरकार के अधीन पुनर्वास अर्थ प्रशासन (Rehabilitation Finance Admn.) ने ४५,५०० रुपये उद्वासित उद्योगपतियों को ऋण दिये हैं। सरकारी अमले पर लगभग ४१,२२२ रुपये व्यय हुए हैं। उपनिवेश की विकास–प्रगति सन्तोषजनक है।

श्री कल्याण चन्द मोहिले—क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि सरकार ने जिन लोगों को ऋण दिया है उनमें से ऋण लेने वालों ने कितने कारखाने खोले हैं ?

श्री हुकुम सिंह—१९ के करीब हैं ?

श्री कल्याण चन्द मोहिले—क्या यह सही है कि ऋण लेने वालों में से बहुत से लोगों का पता नहीं है ?

श्री हुकुम सिंह—यह सही नहीं है।

नैनी इन्डस्ट्रियल कालोनी में कारखाने

*३५—श्री कल्याण चन्द मोहिले—क्या यह ठीक है कि पिछले पांच वर्षों में नैनी इन्डस्ट्रियल कालोनी में केवल ६ कारखाने ही खुल पाये हैं जबकि ११७ कारखानों की जमीन का प्रबन्ध किया गया था ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफरी—यह ठीक है कि ११७ कारखानों के लिये नैनी इन्डस्ट्रियल कालोनी में जमीन का प्रबन्ध किया गया है परन्तु यह ठीक नहीं है कि कुल ६ ही कारखाने खुल पाये हैं।

श्री कल्याण चन्द मोहिले—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि इस समय तक उस एरिया में कितने कारखाने खुले हैं? उन कारखानों में क्या सामान तैयार होता है और उसमें कितने आदमी काम करते हैं ?

श्री हुकुम सिंह—११ खुले गये हैं और ८ खुल रहे हैं और २६० आदमी काम कर रहे हैं।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि शेष कारखाने कब तक खुल जायेंगे ?

श्री हुकुम सिंह—जैसे ही इमारतें तैयार हो जायंगी, खुल जायेंगे।

मटेरा व फखरपुर बीज भंडार, जिला बहराइच के सुपरवाइजर द्वारा गबन

*३६—श्री सियाराम चौधरी (जिला बहराइच) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को विदित है कि बहराइच जिले के फखरपुर नामक स्थान के बीज भंडार का सुपरवाइजर कुछ गबन करके लापता हो गया है ?

श्री गोविंद वल्लभ पंत--जी हां ।

*३७--श्री सियाराम चौधरी (अनुपस्थित)--यदि उक्त प्रश्न का उत्तर "हां" में है, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री गोविंद वल्लभ पंत--आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। इसका प्रकट करना शासन के हित में न होगा ।

*३८--श्री सियाराम चौधरी (अनुपस्थित)--क्या यह सही है कि उस सुपरवाइजर के ऊपर इससे पूर्व मटेरा नामक स्थान के बीज गोदाम में काम करते हुये भी गबन के आरोप लगे थे ?

श्री गोविंद वल्लभ पंत--जी हां ।

सहकारी संघ, ठेकमा, ज़िला आजमगढ़ के कोष का दुरुपयोग

*३९--श्री विश्राम राय (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि सहकारी संघ, ठेकमा, जिला आजमगढ़ के कोष के दुरुपयोग के सम्बन्ध में उसके पास शिकायती पत्र आये हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही हुयी ?

श्री मंगला प्रसाद--जी हां । इस दुरुपयोग का वर्णन पहले पहल आडिटर ने अपने आडिट नोट में किया और २-९-५२ को अपने विशेष आडिट रिपोर्ट में भी उसका उल्लेख किया । पुनः इन्स्पेक्टर सहकारी विभाग ने उसकी जांच की और यह पता चला कि श्री जगन्नाथ प्रसाद मिश्र सुपरवाइजर ने अपने अन्य सहायक कर्मचारियों से मिल कर संघ को बहुत ही क्षति पहुंचाई। वे सहायक कर्मचारी तुरन्त ही निकाल दिये गये तथा सालिसी कार्यवाही (Arbitration proceedings) करके रुपया वसूल करने का प्रयत्न किया जा रहा है। श्री जगन्नाथ प्रसाद मिश्र सुपरवाइजर के विरुद्ध रिपोर्ट की गयी है। स्थानीय उप-समिति ने उन पर मुकदमा चलाने की भी सिफारिश उत्तर प्रदेशीय सहकारी यूनियन से की है। इस के अतिरिक्त इन पर भी सालिसी कार्यवाही की गयी है। मुबलिग १,६२२ रुपया वसूल हो चुका है और २,४६० रुपया सालिस के फैसले के अनुसार और वसूल करना है जिसकी इन व्यक्तियों ने अपील की है। अपील के फैसले के बाद वसूली के लिये उचित कार्यवाही की जायेगी ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि २-९-५२ की आडिट रिपोर्ट के कितने समय के बाद सहकारी इंस्पेक्टर ने जांच की ?

श्री मंगला प्रसाद--इसके लिये तो नोटिस की जरूरत होगी ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या यह सही है कि आडिट रिपोर्ट के पहले स्थानीय सहकारी समिति ने जिला सहकारी कार्यालय में रिपोर्ट की थी और उसी के अनुसार आडिटर ने रिपोर्ट की ?

श्री मंगला प्रसाद--हो सकता सही हो लेकिन इस समय मालूम नहीं है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या यह सही है कि श्री जगन्नाथ प्रसाद सुपरवाइजर अपने स्थान पर काम कर रहे हैं ?

श्री मंगला प्रसाद--तीन आदमी निकाल दिये गये हैं और जगन्नाथ प्रसाद के खिलाफ कार्यवाही करने की सिफारिश हुई है और उन पर मुकदमा चलाने की सिफारिश हुई है और वह यहां आया है। यहां से यूनियन तय करेगी तब कार्यवाही होगी और जल्द से जल्द उन पर मुकद्दमा चलाया जायगा ।

श्री उमा शंकर (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जगन्नाथ प्रसाद मिश्र अपनी जगह पर काम कर रहे हैं ?

श्री मंगला प्रसाद---जगन्नाथ प्रसाद जी ने छट्टी के लिये दरख्वास्त दी थी लेकिन उनकी छुट्टी मंजूर नहीं की गयी । अभी वह काम कर रहे हैं ।

वाबिन फैक्ट्री बरेली को बन्द करने से मजदूरों में बेकारी

*४०---श्री धर्मदत्त वैद्य---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बरेली वाबिन फैक्टरी बन्द करने से सरकार को कितनी हानि हुई ?

श्री गोविंद वल्लभ पंत---सरकार को कोई हानि नहीं हुई ।

*४१---श्री धर्मदत्त वैद्य---[हटा दिया गया।]

*४२---श्री धर्मदत्त वैद्य---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इस फैक्टरी के बन्द करने पर कितने मजदूर बेकार हुये और क्या सरकार ने इन मजदूरों को कहीं अन्यत्र लगाने का प्रयत्न किया है ?

श्री गोविंद वल्लभ पंत---फैक्टरी के बन्द होने के समय ३०१ मजदूर थे । परन्तु तब से ४२ आदमी इंडियन टरपेंटाइन रोजिन कं० की बढ़ाई हुई यूनिट शुरू होने पर काम में लगाये जा चुके हैं । एक प्राइवेट फर्म ने रेलवे की गाड़ियां बनाने का कलक्टरबकगंज में काम शुरू किया है। इस फर्म ने जनरल मैनेजर वाबिन व टरपेन्टाइन रीजन फैक्ट्री के कहने पर वाबिन कम्पनी के२९ आदमी अपने यहां काम पर ले लिये हैं और वह शीघ्र १०० आदमियों की और भर्ती करने वाले हैं । उनसे कहा जा रहा है कि वे वाबिन फैक्ट्री के मजदूरों को प्राथमिकता दें और आशा है कि वे अधिकतर इन मजदूरों को ही अपने यहां भर्ती करेंगे ।

कृषि तथा सिंचाई विभागों को एक करने का प्रश्न

*४३---श्री गेंदासिंह---क्या राज्य सरकार कृषि विभाग तथा सिंचाई विभाग को एक साथ कर देने के प्रश्न पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोविंद वल्लभ पंत---इस प्रश्न पर विचार किया गया और सरकार इस निर्णय पर पहुंची कि दोनों विभागों को एक साथ कर देने से कोई लाभ नहीं होगा ।

श्री गेंदासिंह---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी उन कारणों पर संक्षेप में प्रकाश डालने की कृपा करेंगे कि जिनकी वजह से सरकार को इस निश्चय पर पहुंचना पड़ा कि इन दोनों विभागों को एक में करने से कोई लाभ नहीं है ?

श्री गोविंद वल्लभ पंत---दोनों विभाग इतने बड़े हैं कि उनके एक कर देने से उनके काम में बाधा पड़ेगी ऐसा ख्याल होता है और सरकार खासकर आजकल जबकि विकास के कार्य इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं तब सिंचाई का काम इतना बड़ा होता है और कृषि का काम भी इतना बड़ा है कि दोनों को मिला देने से बजाय इसके कि उनके काम में कोई मदद मिले और काम तेजी से हो, यह अंदेशा होता है कि काम में दिक्कत पैदा हो ।

श्री गेंदासिंह---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह निश्चय उस जमाने का था जबकि माननीय मुख्य मंत्री जी के सम्बन्ध में यह फैसला नहीं हुआ था कि वह दिल्ली जायंगे । लेकिन अब नये रिशफिल में क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि इन दोनों विभागों को एक में कर दिया जाय ?

श्री अध्यक्ष--मैं इसकी इजाजत नहीं देता, यह तो विवाद है ।

सरकारी कर्मचारियों के हाथ खादी हुण्डियों की बिक्री

*४४--श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकारी कर्मचारियों और सेक्रेटरियट के कर्मचारियों को खादी हुन्डी बिक्री के सिलसिले में कोई सरकारी पत्र सलाह के रूप में जारी हुआ है ? अगर हां , तो क्या सरकार उस पत्र की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री गोविंद वल्लभ पंत--जी हां । प्रतिलिपि प्रस्तुत है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ९०-९१--पर ।)

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि इस साल जो खादी हुन्डियां सरकारी कर्मचारियों को बिक्री की गयी हैं वह कितनी बिक्री हुई हैं ?

श्री अध्यक्ष--यह इससे उठता नहीं है । जो आर्डर्स हैं उनमें उनकी कहीं ड्यूटी नहीं बतायी गयी है, उनका फर्ज नहीं बताया गया है कि यह काम करो । सिफारिश भेजी है । इसलिये इससे उठता नहीं ।

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि यह खादी हुंडियां सरकारी कर्मचारियों को उस समय बेची गयीं जबकि वह तनख्वाहें पा रहे थे, यह सही है ?

श्री अध्यक्ष--इसकी भी इजाजत नहीं देता हूं । यह तो ब्योरे का सवाल पूछ रहे हैं ।

जिला बस्ती की ऐन्टी करप्शन कमेटी के प्रस्ताव

*४५--श्री अब्दुल मुईज खां (जिला बस्ती)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पिछले वर्षों में जिला बस्ती की Anti-corruption Committee ने मुख्य-मुख्य कौन से प्रस्ताव पास किये हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या सरकार इसकी एक सूची सदन की मेज पर रखेगी ?

श्री गोविंद वल्लभ पंत--इन प्रस्तावों की सूची संलग्न तालिका में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ९२-९३--पर ।)

श्री अब्दुल मुईज खां--क्या माननीय मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यह प्रस्ताव सबसे पहले किस वर्ष में पास हुये यानी यह जो प्रस्ताव दिये गये हैं उनमें कौन से सबसे पहले और कब पास हुये किस वर्ष में ?

श्री गोविंद वल्लभ पंत--पांच वर्ष के बीच पास हुये हैं और पहले नम्बर पर जो है शायद सबसे पहले हुआ है । तारीख आपने पूछी नहीं ।

श्री अब्दुल मुईज खां--क्या माननीय मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनको इसकी जानकारी है कि यह जितने प्रस्ताव दिये गये हैं यह केवल पिछले दो तीन वर्ष के ही हैं ?

श्री गोविंद वल्लभ पंत--तो पहले से काम बेहतर हो रहा है, इस से मालूम होता है ।

श्री अब्दुल मुईज खां––क्या माननीय मुख्य मंत्री को इसकी जानकारी है कि पिछले तीन चार वर्ष पहले वहां की ऐंटी करप्शन कमेटी ने एक सब-कमेटी सुझाव देने के लिये मुकर्रर की थी और जिसने सुझाव दिया और उसमें बहुत से प्रस्ताव पास हुये ?

श्री अध्यक्ष––यह तो आपका विवाद शुरू हो गया।

श्री अब्दुल मुईज खां––क्या माननीय मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले चार पांच साल की जो प्रस्तावों की फाइल है वह कार्यालय से गायब हो चुकी है ?

श्री गोविंद वल्लभ पंत––प्रस्तावों की सूची से तो मालूम होता है कि प्रस्ताव अब भी जिन्दा हैं। उनकी नकल तो आ नहीं सकती अगर बिलकुल गायब हो जायं।

*४६––श्री सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी (जिला देवरिया)––[१३ दिसम्बर, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या ७६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

प्रिसीजन इस्ट्रूमेन्ट फैक्टरी, लखनऊ का उत्पादन

*४७––श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)––क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इंस्ट्रमेंट प्रिसीजन फैक्ट्री को लखनऊ से नैनीताल ले जाने के प्रश्न पर वह विचार कर रही है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी––ऐसा कोई प्रश्न सरकार के सामने नहीं है।

*४८––श्री शिवकुमार शर्मा––क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि इंस्ट्रूमेंट प्रिसीजन फैक्टरी में १९५३–५४ में कितना मुनाफा या घाटा रहा और वहां कितने वाटर मीटर, रेडियो तथा अन्य इंस्ट्रूमेंट उपर्युक्त वर्ष में बने तथा बिक्री हुये ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी––अभी पक्का हिसाब नहीं बना लेकिन Provisional हिसाब के मुताबिक सन् १९५३–५४ में ६२,४९० रु० का कुल घाटा रहा। फैक्टरी में १९५३–५४ में निम्नलिखित सामान बना और बिक्री हुआ :––

बना	बिक्री हुये
वाटर मीटर ६८०१	३,०००
माईस्क्रोप ११२	२

श्री शिवकुमार शर्मा––क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि सन् ५३–५४ में साढ़े ६८ हजार का घाटा किन कारणों से प्रिसीजन फैक्टरी में हुआ ?

श्री हुकुम सिंह––इस घाटे में ५२,९६८ रुपया सूद का है, ५४० रु० आडिट चार्जेज के हैं और ८, ९९४ रु० डेप्रिसियेशन के भी शामिल हैं। अलावा इसके कुछ मशीनें मास प्रोडक्शन के लिये जरूरी हैं जिनका आर्डर अर्सा हुआ दिया जा चुका है गवर्नमेंट आफ इंडिया के जरिये लेकिन अब तक वे मशीनें नहीं आयीं। इसलिये हमारा प्रोडक्शन महदूद है। अगर मास प्रोडक्शन होने लगे तो घाटा होने की संभावना नहीं रहेगी।

श्री शिवकुमार शर्मा––क्या सरकार यह बतलायेगी कि ६ हजार वाटर मीटर्स में से ३ हजार वाटर मीटर्स पड़े हुये हैं और ११२ माइक्रास्कोप्स में से ११० माइक्रास्कोप्स बिकने से बचे हुये हैं ?

श्री हुकुम सिंह––माइक्रास्कोप्स का जहां तक सम्बन्ध है हमारे यहां आप्टिक्स नहीं बनते। उनके लिये जर्मनी को आर्डर दिया गया है लेकिन अभी तक वे नहीं आये इसलिये उनकी बिक्री नहीं हो सकी। वाटर मीटर ३००० पड़े हुये हैं इसका कारण यह है कि नयी चीज को पापुलराइज करने में वक्त लगता है। लेकिन हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं और मुझे आशा है कि वाटर मीटर्स हमारे बिकने लगेंगे।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--लखनऊ में एक प्रिसिजन इंस्ट्रूमेंट फैक्टरी तो है लेकिन यहां पर जो इंस्ट्रूमेंट प्रिसीजन फैक्टरी लिखा हुआ है यह कब स्थापित हुई ?

श्री अध्यक्ष--मैं यह समझता हूं कि प्रेस में उल्टा हो गया है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--लेकिन यह तो प्रश्न संख्या ४७ और ४८ में एक सा ही छपा हुआ है।

श्री गोविंद वल्लभ पंत--जहां पर प्रिसीजन इंस्ट्रमेंन्ट फैक्टरी है वहीं पर इंस्ट्रूमेंट प्रिसीजन फैक्टरी भी है।

केन्द्रीय सरकार का आर्डर आफ प्रिसिडेन्स

*४९--**श्री शिवकुमार शर्मा**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि केन्द्रीय सरकार से आर्डर आफ प्रिसीडेन्स के संबंध में कोई सूचना उसे हाल में प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री गोविंद वल्लभ पंत--जी हां, ऐसी सूचना केन्द्रीय सरकार से समय-समय पर आती रहती है।

श्री शिवकुमार शर्मा--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या कोई आर्डर आफ प्रिसिडेंस हमारे यहां लागू है? अगर है, तो क्या उसके अनुसार काम किया जाता है ?

श्री गोविंद वल्लभ पंत--आर्डर आफ प्रिसिडेंस गवर्नमेंट आफ इंडिया का सारे देश में लागू है ?

बांसगांव, जिला गोरखपुर में एन० ई० एस० ब्लाक खोलने का प्रस्ताव

*५०--**श्री केशव पांडेय** (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार को यह ज्ञात है कि गोरखपुर जिला नियोजन समिति ने एक एन० ई० एस० ब्लाक बांसगांव में खोलने का प्रस्ताव पास किया है ?

श्री फूलसिंह--जी हां।

श्री केशव पांडेय--क्या सरकार बतायेगी कि बांसगांव में प्लानिंग कमेटी ने जो एन० ई० एस० ब्लाक खोलने की मंजूरी दी थी उसको क्यों नहीं खोला गया ?

श्री फूल सिंह--अभी तक ३१ जिले ऐसे हैं जहां कि एक ही ब्लाक है। या तो वहां एन० ई० एस० ब्लाक है या प्रोजेक्ट सेन्टर है। गोरखपुर में एक प्रोजेक्ट सेन्टर है और एक एन० ई० एस० ब्लाक है और दूसरा एन० ई० एस० ब्लाक सेन्टर की आज्ञा से खोला जा रहा है। इस लिये चौथा ब्लाक खोलने की वहां सम्भावना नहीं है।

श्री केशव पांडेय--क्या सरकार ने अपने किसी पत्र के आधार पर गोरखपुर प्लानिंग कमेटी को आज्ञा दी थी कि गोरखपुर में दूसरे ब्लाक खोले जांय और बांस गांव में भी एक ब्लाक खोला जाय ?

श्री फूलसिंह--सब जिलों को ऐसे आदेश हैं कि जब-जब मौका हो तो वहां ब्लाक खोल दिये जांय।

बी०डी०ओ० कोर्स की ट्रेनिंग प्राप्त अफसर

*५१--श्री केशव पांडेय--क्या यह सही है कि यू० पी० सरकार के पांच कर्मचारी पंजाब में बी० डी० ओ० ट्रेनिंग प्राप्त करके आ गये हैं परन्तु वे अभी तक ब्लाक अफसर नहीं बनाये गये ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री फूल सिंह--तीस कर्मचारियों को नीलोखेरी पंजाब में बी० डी० ओ० के कोर्स की ट्रेनिंग के लिये भेजा गया था । उनको बी० डी० ओ० केवल उन्हीं स्थानों में नियुक्त किया जा सकता है जो कि तरक्की के लिये सुरक्षित हैं । ऐसे १० कर्मचारियों को उनकी योग्यता को ध्यान में रखते हुये बी० डी० ओ० बना दिया गया है ।

भेंट स्वीकार करने में अधिकारियों पर प्रतिबन्ध

*५२--श्री झारखंडे राय--क्या यह सच है कि सरकार ने अपने उच्च अधिकारियों और अफसरों को यह आदेश दिया है कि शादी वगैरह किसी अवसर पर वे किसी से कोई सौगात (presents) या भेंट स्वीकार न किया करें ?

अगर हां, तो क्या सरकार उस आदेश की कापी मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री गोविंद वल्लभ पंत--गवर्नमेंट सर्वेंट्स कंडक्ट रूल्स (Government Servants' Conduct Rules) के नियम संख्या २ की प्रतिलिपि जैसा कि वह सरकारी विज्ञप्ति संख्या २३७२/२-ब--११८-१९५४, तारीख १८ अगस्त, १९५४ से संशोधित हुआ है, मेज पर रख दी है ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ९४ पर ।)

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि इस संशोधित आदेश के जाने के बाद इसके उल्लंघन की घटनायें हुई हैं ? और अगर हुई हैं तो वे कितनी ?

श्री गोविंद वल्लभ पंत--इस किस्म की कोई शिकायत सरकार के पास नहीं है ।

श्री गेंदासिंह--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलायेंगे कि यह जो आदेश जिला अफसरों को दिया गया है कि वे सिर्फ शादी के मौके पर कोई उपहार न लें तो क्या वे बाकी मौकों पर ले सकते हैं ?

श्री गोविंद वल्लभ पंत--मैं उसको पढ़ कर सुनाये देता हूं, उससे स्पष्ट हो जायगा कि उसका क्या मतलब है ।

कोई सरकारी कर्मचारी सरकार की पूर्व सहमति के बिना अपने निकट सम्बन्धी के सिवाय किसी अन्य व्यक्ति से उपहार, अनुग्रह, धन या पारितोषिक--

क--प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से अपनी ओर से या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से स्वीकार न करेगा, या

ख--अपने परिवार के किसी ऐसे सदस्य को, जो उस पर अवलम्बित हो, स्वीकार करने की अनुमति न देगा :--

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वह किसी वैयक्तिक मित्र से कोई ऐसा विवाहोपहार या रस्मी तोहफा जो मूल्य में ५१ रुपये से अधिक न हो स्वीकार कर सकता है या अपने परिवार के किसी सदस्य को स्वीकार करने की अनुमति दे सकता है । किन्तु सभी सरकारी कर्मचारियों को चाहिये कि वे इस प्रकार के भेंट दिये जाने को भी हतोत्साहित करने का भरसक प्रत्यन करें ।

गन्ने के मूल्य के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से सलाह

*५३--श्री गेंदासिंह--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि ईख का मूल्य क्या हो ? इस पर राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार को कोई सलाह देने जा रही है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को इस सम्बध में समुचित सलाह दी है किन्तु दोनों सरकारों के बीच में इस प्रकार के मत का जो आदान-प्रदान होता है वह गोपनीय होता है और जनहित को दृष्टि से उस पर प्रकाश डालना उचित न होगा।

श्री गेंदासिंह--क्या जो समुचित सलाह केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकार ने दी है उसको बतलाने में राज्य सरकार कोई खतरा समझती है ?

श्री हुकुम सिंह--उसका बतलाना जनहित में नहीं होगा।

देवरिया की कसया-विकास-योजना की प्रगति एवं व्यय

*५४--राम सुभग वर्मा--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला देवरिया कसया (कुशीनगर) विकास योजना में अब तक कौन-कौन सा काम शुरू हुआ, कितना पूरा हुआ और कितना बाकी है ?

श्री फूल सिंह--३० सितम्बर, १९५४ तक किए गए काम, पूर्ण लक्ष्य तथा भविष्य में योजित शेष कामों की सूची सदस्य महोदय को मेंज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ९५-९६ पर।)

*५५--श्री रामसुभग वर्मा--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अब तक कुल कितना रुपया कसया विकास योजना में खर्च हुआ है ?

श्री फूल सिंह--विभिन्न कार्यों पर व्यय किए गए रुपये की सूची भी सदस्य महोदय की मेज पर रखी है।

(देखिये नत्थी 'जज' आगे पृष्ठ ९७ पर।)

*५६--श्री राम सुभग वर्मा--क्या सरकार बतायेगी कि जो व्यय हुआ है, उसमें से कितना वेतन और यात्रिक भत्ता में व्यय हुआ है ?

श्री फूल सिंह--३० सितम्बर, १९५४ तक कुल ९३,०८५ रुपया वेतन में और ११,२९५ रुपया भत्ते में व्यय हुआ।

श्री रामसुभग वर्मा--कसया विकास में कुल कितना व्यय होने की योजना है ?

श्री फूल सिंह--कम्यूनिटी प्रोजेक्ट सेंटर पर २२ हजार रुपया है। कसया में १५ लाख रुपया है।

श्री रामसुभग बर्मा--उपरोक्त कार्यों में कम खर्च क्यों किया गया है ?

श्री फूल सिंह--काम शुरू करने में देर लगती ही है मगर ३ साल में खर्चा पूरा कर दिया जायगा।

नारी-मंगल-योजना व सोशल वेलफेयर बोर्ड

*५७--श्रीमती लक्ष्मी देवी (जिला हरदोई)--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि नारी-मंगल-योजना किस-किस जिले में चल रही है ?

श्री फूल सिंह——वर्तमान समय में नारी-मंगल-योजना निम्नलिखित १२ जिलों में चल रही है:——

१——लखनऊ, २——रायबरेली, ३——बहराइच, ४——हमीरपुर, ५——फैजाबाद, ६——आजमगढ़, ७——देवरिया, ——गोरखपुर, ९——बस्ती, १०——इटावा, ११——मथुरा १२——देहरादून।

*५८——श्रीमती लक्ष्मी देवी——क्या सरकार का विचार हरदोई जिले में इस नारी-मंगल योजना को चलाने का है ? यदि हां, तो कब से ?

श्री फूलसिंह——यह प्रश्न विचाराधीन है।

श्रीमती लक्ष्मी देवी——क्या सरकार कृपाकर बतावेगी कि नारी-मंगल-योजना किस आधार पर जिलों में खोली जाती है ?

श्री फूल सिंह——नारी-मंगल-योजना १ साल से विभाग में आई है। पहले १२ जिलों में पहले से चालू थी। १ साल में १२ जिलों को रिआर्गेनाइज करके पहले हर जिले में ५,५ गांवों में काम शुरू हुआ। अब १५ गांवों में काम होगा। इसके अलावा ११ और जिलों में इस साल योजना खोलने का विचार है। बाकी जिलों में सोशल सर्विस वेलफेयर बोर्ड की तरफ से स्त्रियों में काम शुरू हो जायगा। इस तरह से साल में प्रांत के सभी जिलों में स्त्रियों में काम शुरू हो जायगा।

श्री बलवन्त सिंह—— सोशल वेलफेयर लीग और नारी-मंगल-योजना में क्या भेद है ?

श्री फूलसिंह——सोशल वैलफेयर बोर्ड तो केन्द्र के अधीन एक नान-आफिशियल आर्गेनाइजेशन है और नारी-मंगल-योजना के अन्तर्गत गवर्नमेंट विभाग से कार्य होते हैं।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)——क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नारी-मंगल-योजना के अन्तर्गत क्या क्या विशेष कार्य होते हैं ?

श्री फूलसिंह——दस्तकारी और शिक्षा इत्यादि।

श्री मदन मोहन उपाध्याय——क्या सोशल वेलफेयर बोर्ड को हमारी स्टेट गवर्नमेंट की ओर से भी ग्रांट मिलती है ?

श्री फूल सिंह——जी हां।

श्री उमाशंकर——क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि उनके पास कोई पुरुष-मंगल-योजना भी है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

संडीला तहसील में एन०ई०एस० ब्लाक

*५९——श्रीमती लक्ष्मी देवी——क्या सरकार एन० ई० एस० ब्लाक का केन्द्र हरदोई जिले की संडीला तहसील में इस वर्ष खोलने का विचार रखती है ?

श्री फूलसिंह——जी नहीं।

चीनी के मुनाफे के बंटवारे के सम्बन्ध में नैनीताल सम्मेलन की सिफारिशें

*६०——श्री नारायण दत्त तिवारी——क्या यह सही है कि कुछ मास पहिले सरकार ने नैनीताल में चीनी से मिले हुये अधिक मुनाफे के बटवारे में किसानों का भाग निश्चित किये जाने के हेतु कोई सम्मेलन बुलाया था ? अगर हां, तो उक्त सम्मेलन ने क्या सिफारिश की ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--जी हां, सरकार ने २८ जून, १९५४ को नैनीताल में ऐसा सम्मेलन बुलाया था। उक्त सम्मेलन ने जो प्रस्ताव पास किया था, उसकी नकल नत्थी है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ९८ पर।)

*६१--श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या सरकार कृपया बताएगी कि उक्त सिफारिशों को कार्यान्वित करने के हेतु वह क्या कर रही है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने का उत्तर दायित्व केन्द्रीय सरकार पर है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इस प्रस्ताव के निश्चयानुसार प्रदेशीय सरकार कोई लेजिस्लेशन प्रस्तुत करने जा रही है ?

श्री हुकुम सिंह--प्रदेशीय सरकार नहीं बल्कि केन्द्रीय सरकार वह कानून बनायेगी।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या प्रदेशीय सरकार को किसी ऐसे फारमूले केन्द्रीय सरकार द्वारा गृहीत किये जाने की सूचना मिली है, यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री हुकुम सिंह--इसके बारे में मेरे पास कोई आर्डर्स नहीं आये हैं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि किसानों को मिल मालिकों से प्रतिरिक्त मुनाफा दिलाने के लिये सरकार ने नैनीताल कान्फ्रेंस के बाद केन्द्रीय सरकार से कोई लिखापढ़ी की है ;

श्री हुकुम सिंह--जी हां, हुई है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--क्या उसका कुछ विवरण माननीय मंत्री जी दे सकेंगे ?

श्री हुकुम सिंह--अभी देना ठीक नहीं है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या प्रदेशीय सरकार ने अपनी तरफ से कोई फारमूला या सुझाव केन्द्रीय सरकार को दिया है ? यदि हां तो क्या ?

श्री हुकुम सिंह--मैंने कोई सुझाव नहीं दिया।

श्री शिवकुमार शर्मा--क्या सरकार यह बतायेगी कि केन्द्रीय सरकार की ओर से जो फारमूला निर्धारित किया जा रहा है उसका अनुपात ४ आने से कम है ?

श्री हुकुम सिंह--आर्डर हो जाने के बाद मालूम हो सकेगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी--जुलाई ३१, १९५४ के प्रस्ताव के अनुसार क्या प्रदेशीय सरकार के पास मिल मालिकों या केन ग्रोअर्स से कोई सुझाव आया ?

श्री हुकुम सिंह--मेरे पास तो कोई आया नहीं।

श्री गेंदासिंह--क्या माननीय उद्योग मंत्री जी बतलायेंगे कि जो कुछ लिखापढ़ी केन्द्रीय सरकार और उनके बीच हुई है उसको किस वक्त तक बताना ठीक होगा ?

श्री हुकुम सिंह--आर्डर्स हो जाने के बाद।

राजनीतिक पीड़ित लोग

*६२—श्री मदन गोपाल वैद्य (जिला फैजाबाद)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वह राजनीतिक-पीड़ितों की एक पूर्ण सूची तैयार करा रही है ?

श्री गोविंद वल्लभ पंत—जी नहीं।

श्री मदनगोपाल वैद्य—क्या सरकार राजनीतिक पीड़ितों की सूची बनाने के प्रश्न पर विचार कर रही है

श्री गोविंद वल्लभ पंत—उसी का तो मैंने उत्तर दिया है कि नहीं विचार कर रही है।

श्री मदन गोपाल वैद्य—क्या सरकार के अनुभव में यह आया है कि सूची न होने के कारण राजनीतिक पद का दुरुपयोग होता है ?

श्री अध्यक्ष—यह तो आपने विवाद शुरू कर दिया, मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

जलालपुर, जिला फैजाबाद में राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड

*६३—श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जिले में राष्ट्रीय विकास खंड किस क्षेत्र में खोला जा रहा है और वह कब तक चालू हो जायेगा ?

श्री फूल सिंह—फैजाबाद जिले में जलालाबाद, तहसील अकबरपुर में राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड खोलने का प्रस्ताव अभी विचाराधीन है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वह स्थान जलालपुर है, या जलालाबाद है, क्योंकि जलालाबाद कोई स्थान अकबरपुर तहसील में नहीं है।

श्री फूलसिंह—जलालपुर है।

फैजाबाद जिले की बीकापुर तहसील में सामूहिक विकास योजना

*६४—श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जिले की बीकापुर तहसील में जारी सामूहिक विकास योजना पर अब तक कुल कितना रुपया खर्च किया गया है और पूरी योजना पर कितना धन व्यय किया जाने वाला है ?

श्री फूलसिंह—इस केन्द्र में ३० सितम्बर, १९५४ तक जो रुपया खर्च हो चुका है या कुल धन जो व्यय किया जाने वाला है उसकी सूची सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ९९ पर।)

श्री रामनारायण त्रिपाठी—इस सूची में भूमि रिक्लेमेशन के सिलसिले में ६७ हजार रुपया रखा गया है लेकिन अब तक केवल तीन हजार रुपये खर्च हुए हैं। तो किस सम्बन्ध में यह भूमि काम में लायी जाने वाली थी और अब तक पूरा रिक्लेमेशन क्यों नहीं हुआ है ?

श्री फूलसिंह---भूमि रिक्लेमेशन के काम में कई कठिनाइयां हैं। पहले जो काम करने का तरीका था वह बहुत कास्टली था। अब कुछ नये तरीके से काम करने पर विचार हो रहा है। कुछ एक्सपेरिमेंट भी हो रहा है और कुछ ट्रेनिंग भी हो रही है। इसके बाद इस काम को किया जायगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---यातायात के मद में एक लाख ६४ हजार रुपया खर्च हुआ है। इसमें मोटर की कीमत कितनी है और पेट्रोल वगैरह का खर्च अलग-अलग क्या है ?

श्री फूलसिंह---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

जुडिशियल मैजिस्ट्रेटों की नियुक्ति

*६५---श्री विश्राम राय---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि गत वर्ष कितने जुडिशियल मजिस्ट्रेट उत्तर प्रदेश में भर्ती किये गये और उनमें कितनों को काम मिल चुका ? क्या सरकार कृपया बतायेगी कि शेष को कब तक काम मिल जायगा ?

श्री गोविंद वल्लभ पंत---मार्च, १९५३ में की गई प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सरकार का ३८ जुडिशियल अफसर नियुक्त करने का विचार था। परीक्षा में उत्तीर्ण प्रथम ११ उम्मीदवारों को नियुक्त कर लिया गया है और वे काम कर रहे हैं। १४ और उम्मीदवारों के नाम नियुक्ति-पत्र अभी हाल में भेजे गए हैं। शेष नियुक्तियां यथा-अवसर की जायेंगी।

श्री उमा शंकर---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जो बाद में १४ नियुक्तियां हुई हैं वे क्रमवार हुई हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---क्रमवार हुई हैं।

केन्द्रीय सरकार से राष्ट्रीय प्रसार सेवा क्षेत्रों के लिए धन

*६६---श्री तेज प्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि केन्द्रीय सरकार से राष्ट्रीय प्रसार सेवा क्षेत्रों के लिये हाल में कुछ रुपया मंजूर होकर आया है ? यदि हां, तो कितना रुपया मिला है, और वह किन-किन क्षेत्रों को कितना-कितना दिया गया है ?

श्री फूलसिंह---जी हां। राष्ट्रीय प्रसार सेवा के नये क्षेत्र खोलने के लिये केन्द्रीय सरकार ने हाल ही में १४ लाख ५० हजार रुपये स्वीकार किये हैं। केन्द्रीय सहायता का रुपया प्रादेशिक सरकार के खाते में जमा होता है। राष्ट्रीय प्रसार सेवा क्षेत्रों का खर्च, आवश्यकतानुसार प्रादेशिक सरकार देती है।

श्री तेज प्रताप सिंह---यह जो १४ लाख ५० हजार रुपया केन्द्रीय सरकार से आया है वह कितने नये प्रसार क्षेत्र को खोलने के लिये है और कितने खोले जा चुके हैं ?

श्री फूलसिंह---अभी तक १५ केन्द्र खोले गये हैं और कुल ५० केन्द्र खोलने का विचार है।

श्री तेजप्रताप सिंह---क्या यह रुपया बराबर-बराबर हर एक प्रसार क्षेत्र को दिया जाता है या भिन्न-भिन्न मिकदार में ?

श्री फूलसिंह---रुपया सब के लिये बराबर-बराबर मुकर्रर है।

परगनाधीशों का हेडक्वार्टर तहसीलों के केन्द्र में रखने का विचार

*६७--श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)--क्या सरकार परगनाधीशों का हेड क्वार्टर तहसीलों के केन्द्र पर ही रखने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब आदेश जारी होंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोविंद वल्लभ पंत--प्रश्न सरकार के सामने है पर किसी निर्णय पर पहुंच कर आदेश जारी करने का अवसर कब आ सकेगा,, कहना कठिन है ।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार निकट भविष्य में इसे कार्यान्वित करने पर विचार कर रही है ?

श्री गोविंद वल्लभ पंत--सब-डिवीजन्स की तादाद बहुत काफी है और नये हेडक्वार्टर्स के बनाने में काफी रुपया खर्च होता है। तो इस सदन को देखना होगा कि कितने रुपये, इस काम के लिये मौजूदा हालत में जबकि और भी बहुत से जरूरी बातें करनी हैं, मुहइया किये जा सकते हैं ।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ--जिन स्थानों पर मकानों की व्यवस्था पब्लिक की ओर से हो सके वहां कोई ऐसी व्यवस्था हो सकती है ?

श्री गोविंद वल्लभ पंत--ऐसे स्थान बहुत कम होते हैं जिनमें कि जैसे सरकारी दफ्तरों की जरूरत होती है वहां मकान निजी लोग बनाकर रखें ।

निर्धारित समय पर अदालत में आने के लिये मैजिस्ट्रेटों पर पाबन्दी

*६८--श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ--क्या न्यायमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधीश तथा अन्य मैजिस्ट्रेट कहीं-कहीं तीन बजे या उसके पश्चात् अदालत में उपस्थित होते हैं और दूर जाने वाले देहातियों को इससे बड़ा कष्ट होता है ? क्या सरकार मैजिस्ट्रेटों में समय पर आने की पाबन्दी के लिये व्यवस्था करेगी ?

श्री गोविंद वल्लभ पंत--मैजिस्ट्रेटों के अदालत में उपस्थित होने का समय निर्धारित है यदि वे उसके अनुसार अदालत में न आवें तो उससे अदालत से जिनका सम्बन्ध है उनको कष्ट होना सम्भव है। यदि कहीं नियम के अनुसार कार्य न होता हो तो सूचना मिलने पर उचित कार्यवाही की जायगी। जिलाधीशों को अनेक कार्य करने होते हैं और वे जो नियम अन्य मैजस्ट्रेटों के लिये हैं उसके अनुसार सदैव कार्य नहीं कर सकते ।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ--माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या तहसीलदारों या हाकिम परगना लोगों के लिये कम से कम तीन घंटे अनिवार्य रूप से अदालत में जाने के लिये कोई व्यवस्था हो सकती है ?

श्री गोविंद वल्लभ पंत--सब के लिये गवर्नमेंट के आर्डर्स हैं और उसके मुताबिक काम होना चाहिये। मैं समझता हूं कि दौरे के जमाने में कुछ दिक्कत हो सकती है वरना जो वक्त मुकर्रर है उसमें जरूर इसकी पाबन्दी होनी चाहिये ।

*६९--श्री राम स्वरूप (जिला मिर्जापुर)--[१३ दिसम्बर, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या ७७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

अतारांकित प्रश्न

सचिवालय के कर्मचारियों को शिक्षा संबंधी परीक्षाओं में भाग लेने की मनाही

१—श्री गजेन्द्र सिंह (जिला इटावा)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि सेक्रेटेरियट के सरकारी कर्मचारी अपनी शिक्षा सम्बन्धी योग्यता बढ़ाने के लिये किसी परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते ?

श्री गोविंद वल्लभ पंत—सेक्रेटेरियट के कर्मचारियों को इतना काम रहता है कि उनको अपना काम करते हुये किसी परीक्षा के लिये पर्याप्त अवकाश नहीं मिल सकता।

कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—मेरे पास एक कामरोको प्रस्ताव श्री झारखंडे राय जी ने भेजा था जिसे मैंने नामंजूर कर दिया है। कारण मैं बताना जरूरी नहीं समझता इसलिये कि मैंने उनको बता दिया था कि वह अर्जेन्ट नहीं था। इसलिये उसकी इजाजत मैंने नहीं दी है।

उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन (संशोधन) विधेयक, १९५४

श्री अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि सन् १९५४ ई० के उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन (संशोधन) विधेयक पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २३ अगस्त, सन् १९५४ ई० की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी ३ सितम्बर, सन् १९५४ ई० की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति की अनुमति २५ सितम्बर, सन् १९५४ ई० को प्राप्त हो गई है और वह सन् १९५४ ई० का उत्तर प्रदेश का १५वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कंट्रोल) (संशोधन) विधेयक, १९५४

श्री अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि सन् १९५४ ई० के उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रीसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कंट्रोल) (संशोधन) विधेयक पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २६ अगस्त, सन् १९५४ ई० की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी ३ सितम्बर, सन् १९५४ ई० की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति की अनुमति २९ सितम्बर, सन् १९५४ ई० को प्राप्त हो गई और वह सन् १९५४ ई० का उत्तर प्रदेश का १६वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेंट ऐंड इविक्शन (संशोधन) विधेयक, १९५४

श्री अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि सन् १९५४ ई० के उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेंट ऐंड इविक्शन (संशोधन) विधेयक पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी ७ सितम्बर, सन् १९५४ ई० की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने

[श्री अध्यक्ष]

अपनी १८ सितम्बर, सन् १९५४ ई० की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति की अनुमति दिनांक ३० सितम्बर, सन् १९५४ ई० को प्राप्त हो गई और वह सन् १९५४ ई० का उत्तर प्रदेश का १७ वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५४

श्री अध्यक्ष--मैं घोषणा करता हूं कि सन् १९५४ ई० के उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २० सितम्बर, सन् १९५४ ई० की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २९ सितम्बर, सन् १९५४ ई० की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति की अनुमति ९ अक्तूबर, सन् १९५४ ई० को प्राप्त हो गई और वह सन् १९५४ ई० का उत्तर प्रदेश का २०वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश कुमायूं कृषि भूमि (प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, १९५४

श्री अध्यक्ष--मैं घोषणा करता हूं कि सन् १९५४ ई० के उत्तर प्रदेश कुमायूं कृषि भूमि (प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २१ अप्रैल, सन् १९५४ ई० की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी १ सितम्बर, सन् १९५४ ई० की बैठक में पारित किया था, श्री राज्यपाल की अनुमति १८ अक्तूबर, सन् १९५४ ई० को प्राप्त हो गई और वह सन् १९५४ ई० का उत्तर प्रदेश का २१वां अधिनियम बन गया।

यू० पी० इन्कम्बर्ड इस्टेट्स ऐक्ट, १९३४ के अधीन बनाए गए नियमों में किए जाने वाले संशोधन का आलेख†

माल मंत्री के सभासचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)--मैं यू० पी० इन्कम्बर्ड इस्टेट्स ऐक्ट, १९३४ की धारा ५४ की उपधारा (३) के अनुसार उक्त ऐक्ट के अधीन बनाये गये नियमों में किये जाने वाले संशोधन के आलेख (draft) को सदन की मेज पर रखता हूं।

१९५० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत शुद्धि-पत्र†

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--मैं १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा ३४४ की उपधारा (४) के अनुसार माल (अ) विभाग के शुद्धिपत्र संख्या ३६९०।१-अ--१०५६/१९५४, दिनांक १७ अगस्त, १९५४ को सदन की मेज पर रखता हूं।

१९३९ के मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट के अन्तर्गत विज्ञप्तियां*

परिवहन मंत्री (श्री विचित्र नारायण शर्मा)--मैं मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ की धारा १३३ की उपधारा (३) के अनुसार वाहन विभाग की विज्ञप्तियां संख्या

---

† छापा नहीं गया।
* छापी नहीं गयीं।

१५०५ (टी)-(एम)/३०—११५७ (टी)-५२, दिनांक, २५ अगस्त, १९५४, संख्या १५०६(टी)-(एम)/३०—११५७(टी)-५२, दिनांक २५ अगस्त, १९५४ तथा संख्या १५०७(टी)-(एम)/३०—११५७(टी)-५२, दिनांक २५ अगस्त, १९५४ को, जिनसे यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में संशोधन किये गये हैं, सदन की मेज पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज़ (संशोधन) विधेयक, १९५४

स्वशासन मंत्री के सभा सचिव (श्री कृपा शंकर)—मैं उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित उत्तर प्रदेश म्युनिसपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९५४, सदन की मेज पर रखता हूं ।

(देखिये नत्थी 'ट' आग पृष्ठ १००—१०८ पर)

कांस्टीट्यूशन (थर्ड एमेंडमेंट) बिल, १९५४ †

मुख्य मंत्री (श्री गोविंद वल्लभ पंत)—मैं भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कान्स्टीटचूशन (थर्ड एमेंडमेंट) बिल, १९५४ को उक्त बिल पर संसद की कार्यवाहियों की प्रतिलिपि सहित सदन की मेज पर रखता हूं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, पहले तो मैं यह परिवहन मंत्री जी द्वारा जो नियम प्रस्तुत किये गये हैं उनमें वादविवाद के लिये समय निश्चित करने के लिये आपसे प्रार्थना करता हूं । दूसरी बात के लिये मैं फिर कहूंगा ।

श्री अध्यक्ष—आप फिर किस किस बात की सूचना चाहते हैं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—यह जो माननीय मुख्य मंत्री द्वारा आज सदन की मेज पर कान्स्टीट्यूशन अमेंडमेंट बिल की प्रतिलिपि रखी गई है, मैं जानना चाहता हूं कि किस नियम के अनुसार रखी गई है । क्योंकि विधान की धारा ३६८ के अनुसार यह आवश्यक नहीं है कि एक ऐसा कान्स्टीट्यूशन एमेंडमेंट बिल जो कि पार्लियामेंट में पास किया जाता है वह यहां पर भी पास किया जाय । उसमें केवल यह लिखा है कि एक रिजोल्यूशन उसे पास करने के लिये होगा । तो आज तक जो प्रथा चली आयी थी इस संबंध में वह यह थी कि हाउस आफ दी पीपुल में जो बिल पेश होता था या जो पब्लिक...

श्री अध्यक्ष—जो आप पूछना चाहते थे मैंने आपका प्रश्न उपस्थित कर दिया । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछूंगा वह उसका जवाब देवें कि किस कानून से यह उपस्थित किया गया ।

श्री गोविंद वल्लभ पंत—इसलिये कि नारायणदत्त जी को यह सुविधा मिले कि जब यह प्रस्ताव आवे जो कि पीछे आवेगा कि यह विधान पास हुआ है वहां से उसकी स्वीकृति यह सदन करे तो उसकी सारी सामग्री हर एक सदस्य के पास पहले से रहे और उनको इधर उधर न भटकना पड़े कि कहां से वह सामग्री लावें ।

श्री अध्यक्ष—यह स्पष्टीकरण हो गया । आपने खुद ही कहा कि प्रस्ताव आना चाहिये । प्रस्ताव आयेगा । अब आप कृपा करके उस संबंध में और बात न करें ।

मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ के अंतर्गत की गयी विज्ञप्तियों पर चर्चा के लिए समय निर्धारण

श्री नारायणदत्त तिवारी—(जिला ननीताल) अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय परिवहन मंत्री जी से भी पूछना चाहता हूं...

---

† (छापा नहीं गया ।)

श्री अध्यक्ष--आप यह जानना चाहते हैं परिवहन मंत्री जी से कि इसके ऊपर विचार करने के लिये, जो नियम बना है, उसके ऊपर कोई समय निर्धारित करेंगे ।

परिवहन मंत्री (श्री विचित्र नारायण शर्मा)--सदन की सुविधा को देखकर जो समय जल्द से जल्द मिल सकेगा, रख दूंगा ।

श्री अध्यक्ष--मतलब यह है कि इसके लिये कोई दूसरा दिन निर्धारित होगा, तब उसके ऊपर विचार होगा ।

आगरा यूनिवर्सिटी सीनेट के लिए सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डाक्टर सीता राम)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन, जो विधि तथा जो तिथि माननीय अध्यक्ष निश्चित करें उसके अनुसार आगरा यूनिवर्सिटी की सिनेट की सदस्यता के लिये विधान सभा के ५ सदस्य निर्वाचित करे ।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि यह सदन जो विधि तथा जो तिथि माननीय अध्यक्ष निश्चित करें उसके अनुसार आगरा यूनिवर्सिटी की सिनेट की सदस्यता के लिये विधान सभा के ५ सदस्य निर्वाचित करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री गेंदा सिंह की गिरफ्तारी से सम्बद्ध विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन

श्री हरगोविंद पंत (उपाध्यक्ष)--माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि श्री गेंदासिंह की गिरफ्तारी से संबंधित विशेषाधिकार के प्रश्न पर उत्तर प्रदेश विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार किया जाय ।

मैं समझता हूं कि.....

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--अध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान प्रक्रिया-नियमावली के नियम ६१ की तरफ दिलाना चाहता हूं, जो इस प्रकार है :

"दोषारोपित व्यक्ति के लिये अवसर--उस दशा को छोड़कर जब कि विशेषाधिकार की अवहेलना सदन अथवा किसी समिति के वास्तविक दृष्टि में की गई हो, सदन, दंड आदेश देने के पूर्व कार्यवाही के किसी उपयुक्त प्रक्रम पर दोषारोपित व्यक्ति को उस पर लगाये गये दोष को स्पष्टीकरण या निर्दोष सिद्धि के लिये बोलने का अवसर देगा। परन्तु यदि यह विषय विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किया जा चुका है और दोषारोपित व्यक्ति समिति के समक्ष अपना वक्तव्य दे चुका है तो जब तक सदन अन्यथा निदेश न दे, उसको ऐसा अवसर दिया जाना आवश्यक न होगा ।"

अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या संबंधित व्यक्तियों को कोई इस संबंध में सूचना दे दी गई है । क्योंकि इस नियम के अनुसार उनको सूचना दे दी गई होती तो वह आते और कोई आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर सकते थे और सदन को अधिकार था कि वह अवसर देता या न देता । लेकिन मैं समझता हूं कि जुडिशियल कार्यवाही के लिये मुनासिब था कि संबंधित व्यक्तियों को आज की कार्यवाही की सूचना अवश्य दी जानी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष––आप कृपा करके बैठ जायं। आपने जो प्रश्न उपस्थित किया वह इस स्थान पर आप उपस्थित नहीं कर सकते। यह तो रिपोर्ट पर विचार करने के लिये अभी माननीय उपाध्यक्ष जी ने यह प्रश्न उपस्थित किया है। जिस वक्त कोई सजा देने का सवाल आवे या उसके ऊपर कोई सब्स्टेंटिव मोशन नियम ५७ के अनुसार सदन के सामने मौजूद हो, उस वक्त यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि उन सदस्यों को बुला सकते हैं या नहीं। अभी तो समिति के प्रतिवेदन के ऊपर विचार यह सदन करे इतना ही प्रश्न सदन के सामने है। इसलिये इस समय यह आपत्ति उठायी नहीं जा सकती। माननीय हरगोविन्द पंत अपना भाषण जारी रखें।

श्री हरगोविंद पंत––जो आपत्ति इस वक्त प्रस्तुत की गई थी उसके संबंध में मुझे अब बहुत कहने की आवश्यकता नहीं रह गई। जिन लोगों पर आरोप किये गये हैं या जिन लोगों के लिये सिफारिशें की गई हैं दंड देने के लिये वह प्रायः सभी इस समिति के सामने उपस्थित हो चुके हैं और.....

श्री अध्यक्ष––यह तो मैं समझता हूं आप को उन की आपत्तियों का जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। आप तो अपने प्रस्ताव को रखें।

श्री हरगोविंद पंत––मैं समझता हूं कि संक्षेप में जो कुछ कार्यवाही इस संबंध में समिति ने की है, उसका विवरण इस माननीय सदन के सामने उपस्थित कर दूं ताकि सारा हाल समझने में कुछ सहूलियत हो जाय। तारीख ४ मार्च, १९५४ को इस सदन के एक मानयीय सदस्य ने यहां एक कम्प्लेंट पेश की थी कि उनको गिरफ्तार किया गया और रिमांड के खत्म हो जाने के बाद भी प्रायः ६ दिन तक उन्हें जेल में बिना किसी वारन्ट के रखा गया जिसके कारण उनके और सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना हुई है। इस संबंध में एक दो प्रश्न और भी उठे थे और माननीय अध्यक्ष ने उसे विचार के लिये विशेषाधिकार समिति के पास भेज दिया था। इसके अनन्तर विशेषाधिकार समिति ने १५ बैठकें कीं जिनमें कि संबंधित प्रश्न पर विचार किया गया और लगभग १५ व्यक्तियों की शहादत भी ली गई। इस सिलसिले में बहुत से आलेख्य (डाक्युमेंट्स) समिति के सामने पेश हुये जिनकी संख्या करीब २० तक पहुंची है। इसी संबंध में गवाह भी काफी वहां बुलाये गये और उनके भी बयान लिये गये। प्रारम्भ में आरोप केवल तीन व्यक्तियों पर था। एक तो सुपरिंटेंडेंट जेल.....

श्री अध्यक्ष––मैं समझता हूं कि विशेषाधिकार के प्रश्न पर विचार करने में हर स्टेज के ऊपर नियम ६७ के हिसाब से संक्षेप बहस होनी चाहिये। इसलिये आपको बहुत खुलासा देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री हरगोविंद पंत––तो सब जांच करने के बाद और कम्प्लेनेंट को भी पूरा अवसर देने के बाद समिति ने कुछ सिफारिशें की हैं। सबसे पहली सिफारिश तो यह है कि उन्होंने जेल के सुपरिंटेंडेंट को निर्दोष बतलाया है। हां, एक दूसरे व्यक्ति फजलुर्रहमान खां हैं, उनको दोषी तो माना है, मगर यह सिफारिश उनके लिये की है कि चूंकि उन्होंने सच्चाई को मालूम करने में सहायता दी इसलिये उनको माफी दे दी जावे। समिति ने विशेषकर श्री लक्ष्मी नारायण मेहरोत्रा कसिया को इस सिलसिले में दोषी ठहराया है। यद्यपि कम्प्लेंट में पहले उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं था परन्तु मामले की जांच की जाने लगी तो मालूम हुआ कि एक दस्तावेज जो कि (एग्जीबिट ११) है वह जाली तौर पर तैयार किया गया है और उसके तैयार करने में श्री लक्ष्मीनारायण का हाथ था। और उन्होंने फजलुर्रहमान जो एक हैड कांस्टेबिल और कोर्ट के मुहर्रिर हैं उनको भी शहादत देने के लिये एक प्रकार से उन पर दबाव डाला। इस कारण से समिति की यह राय हुई कि उन्होंने सदन का या इस कमेटी का अपमान किया, इस कारण से उनकी भर्त्सना की जाय और इसके लिये वह सदन के सामने बुलाये जायं। एक सब-

[श्री हरगोविन्द पंत]

इन्सपेक्टर जिनका इस आरोप से संबंध था उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन करने में शिथिलता दिखाई और इसके लिये भी समिति ने अपनी राय जाहिर की है कि अगर चाहे तो शासन उनके विरुद्ध जो कार्यवाही मुनासिब समझे करे और कम से कम इस मामले की जांच कर ले।

संक्षेप में मामला तो यह है कि श्री गेंदासिंह जी की गिरफ्तारी होने के बाद रिमांड १५ दिन का दिया गया है और उसके खत्म हो जाने के बाद दूसरा रिमांड जेल में नहीं पहुंचा। उसके संबंध में कहा जाता है कि रिमांड आर्डर कसिया के एस० डी० ओ० द्वारा समय पर लिखा गया अवश्य मगर वह जेल में पहुंच नहीं पाया जिसके कारण जेल के सुपरिंटेंडेंट को उनके छोड़ने में दिक्कत हुई और उनको समय पर छोड़ नहीं सके और ५–६ दिन तक श्री गेंदा सिंह को जेल में बिना किसी जायज हुक्म के रुकना पड़ा। इसके लिये समिति की राय है कि ऐसा हुक्म जो जेल में २१ फरवरी को पहुंचना चाहिये था वह नहीं पहुंचा। उसकी सफाई देने के लिये श्री लक्ष्मी नारायण जो ने कुछ जाली कागजात बनाने की कोशिश की और एक चालान बनाया गया जिसमें लिखा गया कि कागजात भेजे गये हैं और फजलुर्रहमान से कहलाया गया कि कागजात भेजे गये हैं। इसलिये उनको दोषी पाया है और फजलुर्रहमान को जालसाजी के कागजात तैयार करने के लिये दोषी ठहराया है लेकिन उनके कारण ही इस रहस्य का उद्घाटन हुआ इसलिये उनके लिये माफी की सिफारिश समिति ने की है। समिति ने इस मामले पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया है और उसकी सिफारिशें सदन के सामने हैं। मैं प्रस्ताव करता हूं कि उस पर सदन विचार करने की कृपा करे।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)––श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से आदरणीय सभापति विशेषाधिकार समिति के प्रस्ताव पर यह संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं कि अन्त के शब्द "किया जाय" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय––

करने से पूर्व निम्नलिखित अतिरिक्त वाद विषयों पर अवाप्तियां देने के हेतु पुनः विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किया जाय।

"तारीख २१ फरवरी को रिमांड आर्डर पास करते समय श्री गेंदा सिंह को धारा ३४४ के अन्तर्गत सम्मुख उपस्थित कराकर श्री श्याम मनोहर, एस० डी० एम०, पडरौना ने अवैध कार्य करके तथा अवैध आज्ञा पास करके विशेषाधिकार की अवहेलना की अथवा नहीं"

श्री अध्यक्ष––मैं समझता हूं कि आपका संशोधन ठीक तरह से जमता नहीं है। आपको पुनर्विचार के लिये भेज देना चाहिये। आपके संशोधन में जो शब्द लिखे हैं उनसे प्रतीत होता है कि आप इस बात को मानते हैं कि कंसीडरेशन होना चाहिये और इससे पहले आप कहते हैं कि इसको विशेषाधिकार समिति को भेजा जाय तो क्या बात हुई। क्या जब तक सदन बैठा रहेगा। आप पहले मेरी बात को अच्छी तरह से समझ लें। आज आपको प्रतिवेदन पर यदि विचार नहीं करना है तो आपको संशोधन में यह लिखना चाहिये कि "प्रतिवेदन समिति के पास पुनर्विचार के लिये इस आदेश के साथ भेजा जाय"।

श्री नारायणदत्त तिवारी––मेरा मंतव्य यही है कि जो आप कह रहे हैं। लेकिन पहले शाब्दिक परिवर्तन करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष––यह प्रतिवेदन फिर से समिति के पास विचार करने के लिये भेजा जाय किन्तु इस आदेश के साथ ये वाक्य खंड आप उसमें जोड़ सकते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री नारायणदत्त तिवारी--जी हां, मैं इसको इस प्रकार से लिखकर आपके पास भेज दूंगा। संशोधन इस प्रकार है--

अन्त के शब्द "किया जाय" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"समिति का प्रतिवेदन विशेषाधिकार समिति को निम्न अवाप्तियों के विचार करने के लिए पुनःनिर्दिष्ट किया जाय।

१--तारीख २१ फरवरी को रिमांड आर्डर पास करते समय श्री गेंदासिंह को धारा २४४ के अन्तर्गत अपने सम्मुख न उपस्थित कराकर श्री श्याम मनोहर एस० डी० एम० पडरौना ने अवैध कार्यकर तथा अवैध आज्ञा पासकर विशेषाधिकार की अवहेलना की अथवा नहीं,

२--क्या अवैध रिमांड आर्डर के पास होने और उसके पास होने पर भी जेल न पहुंचने के कारण श्री गेंदा सिंह जी तारीख २१ फरवरी से लेकर २७ फरवरी तक अवैध रीति से जेल में बन्द रहे ? अगर हां, तो क्या इसमें विशेषाधिकार की अवहेलना हुई है और यदि हुई है तो उसका दोषी कौन है?

३--क्या किसी रिमांड आर्डर के पास होने पर उसका जेल पहुंचना उसकी वैधता प्रमाणित करने तथा उसे कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक है ?

४--क्या एक्जिबिट १८ में प्रस्तुत सीलबन्द लिफाफे में प्रस्तुत पुलिस सील के रक्षक भी विशेषाधिकार की अवहेलना के दोषी हैं ?"

श्री अध्यक्ष--संशोधन के नम्बर २ के शब्दों में भी परिवर्तन करना होगा। शब्दखंड "इसमें विशेषाधिकार की अवहेलना ..... का कौन दोषी है" से जो प्रश्न उपस्थित किया है वह इशु नहीं बन सकता है। इसमें विशेषाधिकार की अवहेलना होना मान ही लिया गया है। हमें पहिले अवहेलना हुई अथवा नहीं इसे भी इशू बनाना चाहिये और फिर यदि विशेषाधिकार की अवहेलना हुई हो तो वह किसके द्वारा हुई और उसके लिये कौन दोषी है, यह दूसरा इशू बनाना चाहिये। तो यह सब आपको इसमें करना पड़ेगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, यह जो प्रश्न आज हमारे सामने उपस्थित है कि प्रस्तुत विशेषाधिकार समिति के प्रस्ताव पर विचार किया जाय। मैं यह समझता हूं कि हम इस पर पूरा विचार नहीं कर सकते हैं जब तक कि जिन वाद विषयों का इसमें जिक्र है उन पर विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट हमको मालूम न हो जाय .....।

श्री अब्दुल मुईज खां (जिला बस्ती)--प्वाइन्ट आफ आर्डर, सर। श्रीमन्, यह जो स्टेज है उस पर इस प्रकार के प्रस्ताव का समय नहीं है। कमेटी की रिपोर्ट जब इस सदन में पेश होती है तो उसके लिये हमारी नियमावली में कोई स्पष्ट नियम तो नहीं है लेकिन हाउस आफ कामन्स की जो परम्परा है उससे यह साफ जाहिर होता है कि विचार करने के ऊपर अगर कोई संशोधन आता है तो उसके माने यह लिये जाते हैं कि उसमें कोई आल्टरनेट लैंगवेज बदली जाय न कि यह कि उसका खुल्लमखुल्ला विरोध किया जाय। उसकी लैंगवेज को बदलने के लिये प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो क्या माननीय सदस्य जो इस वक्त यह संशोधन पेश कर रहे हैं वह उसी लाइट में पेश कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष--आपने कोई चीज हाउस आफ कामन्स की तो नहीं बतलायी और न उदाहरण दिया कि वहां पर किस तरह से प्रतिवेदन पर विवाद होता है।

श्री अब्दुल मुईज खां---हाउस आफ कामन्स में जो प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट पेश होती है उसका खुल्लमखुल्ला विरोध नहीं होता। वहां पर सदन का यही मत होता है कि जो रिपोर्ट वहां पर आती है उस पर कोई ऐक्शन न लिया जाय। वह उसको इस लाइट में लेते हैं कि वह मानी जाय। उसमें लैंगवेंज को आल्टर करने के लिये एमेंडमेंट आ जाता है या कोई दूसरा प्रस्ताव रखा जाता है कि यह पुनः विचार करने के लिये जाय तो उसके माने यह समझे जाते हैं कि सदन जो है उस रिपोर्ट को कंसीडर करने के लिये तैयार नहीं है। तो क्या माननीय सदस्य इसी लाइट में अपने इस संशोधन को रख रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष---यह तो आपने सवाल किया, यह वैधानिक आपत्ति नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---ऐसा कोई नियम हमारे सामने नहीं है।

श्री अध्यक्ष---इसको मैं आपको समझा देता हूं। आप वैधानिक आपत्ति उठा सकते थे। इस संबंध में हमारे यहां प्रथा अवश्य है किन्तु कोई स्पष्ट नियम नहीं है। पिछली मर्तबा विशेषाधिकार के प्रश्न के संबंध में यहां पर समिति का प्रतिवेदन पेश हुआ था। उस समय सदन ने यह निर्णय किया था कि प्रतिवेदन को फिर से समिति के पास भेजा जाय और वह इस पर पुनः विचार करे। उसी शक्ल में मैंने इसको पेश करने की इजाजत दी है कि कोई सदस्य यह संशोधन उपस्थित कर सकता है कि प्रतिवेदन को फिर से वापस समिति के पास भेज दिया जाय क्योंकि कमेटी से जो प्रतिवेदन आया है उसमें कुछ बात स्पष्ट नहीं है। इसलिये इस पर विचार सदन ही कर सकता है कि समिति को वापस भेजा जाय या न भेजा जाय या सदस्य आखिर में तो विचार करने के लिये समिति के पास ही भेजना चाहते हैं। यही तरीका उस वक्त भी अपनाया गया था। तो बन्द यह प्रथा तो नहीं हुई है और इसी प्रथा के अनुसार मैंने उनको भी इजाजत दी। उसी प्रथा के अनुसार उस संशोधन को मैं ले लूंगा। और कोई दूसरा तरीका इसका नहीं हो सकता और न कोई दूसरे प्रकार का संशोधन इसमें लिया जा सकता है।

आप अपना भाषण जारी रखें। आपत्ति अवैधानिक है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---जिन वाद विषयों को मैंने पेश किया है उन पर कमेटी में राय कहीं हुई नहीं जिससे मैं किसी स्पष्ट नतीजे पर नहीं पहुंच सकता।

श्रीमन्, आप देखेंगे कि जिस प्रकार से इस गेंदासिंह जी वाले मामले में रहस्योद्-घाटन हुआ है .....।

श्री अध्यक्ष---आप प्रतिवेदन के ऊपर विचार नहीं कर रहे हैं। इसलिये उसके ऊपर आप अधिक बोल नहीं सकते। आप इसके कारण बतायें कि क्यों आप उसे पुनर्विचार के लिये वापस भेजना चाहते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---मैं प्रतिवेदन के ऊपर विचार नहीं कर रहा हूं। मैं जो घटनायें आयी हैं, उनके ऊपर जिक्र कर रहा हूं। जो मेरे चार वाद विषय हैं उन पर विचार आना जरूरी है।

श्री अध्यक्ष---सिर्फ इतना कहना काफी है कि इन विषयों पर इस प्रतिवेदन में विचार नहीं किया गया।

श्री नारायणदत्त तिवारी---मैं वही कह रहा हूं। श्रीमन्, आप देखेंगे कि इस प्रतिवेदन में पहले कोई ईश्यूज फ्रेम नहीं किये गये हैं। यह हमारा दुर्भाग्य रहा है, एक कमेटी की रिपोर्ट उठा कर देखें, जब कि मेरी रिपोर्ट में विचार करने के बाद कुछ विषय तय किये गये हैं। लेकिन गेंदासिंह जी वाले मामले में कोई ईश्यूज कमेटी ने फ्रेम नहीं किये। रिमांड आर्डर के संबंध में

गिरीशचन्द्र जी, लीगल रेमेम्ब्रेंसर ने जो अपना बयान दिया है उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि चूंकि रिमांड आर्डर पास करते समय अभियुक्त को मैजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया, इसलिये रिमांड आर्डर इल्लीगल है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है .....

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। आपने कंसीडरेशन शुरू कर दिया। अभी रिपोर्ट के निर्णयों पर कंसीडरेशन नहीं होना चाहिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैं विचार नहीं कर रहा हूं। मैं बतलाना चाहता हूं कि रिमांड आर्डर .....

श्री अध्यक्ष—आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। आप कृपा करके बैठ जायं। मैं आपको समझा दूं।

जिस समय आपने कहा कि पुनर्विचार करना चाहिये उस वक्त उसका मतलब यह है कि कुछ बातें रह गयी हैं जिस पर समिति को विचार करना है और वह बातें आपने संशोधन में स्पष्ट कर दी हैं। तो आप सिर्फ इतना कह सकते हैं कि फलां प्रश्न इसमें नहीं आये जिन पर विचार करना जरूरी था, इसलिये पुनर्विचार के लिये भेज दिया जाय। अगर किसी को आपके प्रत्युत्तर में कुछ कहना है तो वह उत्तर देगा। लेकिन जब तक उत्तर नहीं आता तब तक आप केवल प्रतिवेदन के संबंध में यह कह सकते हैं कि यह बात उसमें मौजूद नहीं है, इसलिये आप वे बातें समिति के पुनर्विचार के हेतु प्रश्न रूप में शामिल करना चाहते हैं। यह कहकर आप खत्म कर दें। लेकिन प्रतिवेदन के अन्दर की बातों के बारे में यह कहना कि फलां बात इस वजह से ऐसी हुई इत्यादि, इसमें तो प्रतिवेदन पर कंसीडरेशन शुरू हो जायगा। आप कंसीडरेशन का प्रस्ताव पास होने पर ही इन बातों का उल्लेख कर सकते हैं। जब कंसीडरेशन करने का आप विरोध ही कर रहे हैं तो प्रतिवेदन की बातों पर कंसीडरेशन कैसे भाषण में आप कर सकते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, जो आपने रूलिंग दी है उसके अनुसार तो जो मैंने लिखा है उसको पढ़ देना ही पर्याप्त होगा। लेकिन जब तक मैं कंटेक्सट न बताऊं कि किस कंटेक्सट में मैंने इश्यूज बनाये हैं तो मेरे लिये बड़ी कठिनाई हो जायगी। मैं केवल दो चार ही लाइन कहूंगा।

श्रीमन्, यह पहला इश्यु जो मैंने रखा है वह यह है कि एस० डी० एम० पडरौना साहब ने गेंदा सिंह जी को रिमांड आर्डर पास करते समय नहीं बुलाया। मेरे विचार से अगर समिति इस इश्यु पर विचार करती कि एक्यूज्ड को आपने पास न बुला कर, रिमांड आर्डर पास कर देना अवैध है। अगर समिति इस पर विचार करती तो शायद जो एस० डी० एम० पडरौना हैं वे भी विशेषाधिकार की अवहेलना के लिये जिम्मेदार साबित होते। अगर कोई अवैध रिमांड आर्डर हुआ तो एक तो वह इल्लीगल हुआ ही दूसरे जेल पहुंचा ही नहीं। तो एक ऐसा आर्डर जो पहले इल्लीगल हुआ और बाद को जेल पहुंचा ही नहीं इसका एक ही परिणाम निकलता है जितने दिन भी गेंदा सिंह अवैध तरीके से जेल में बन्द रहे तो समिति को एक इश्यू पर विचार करना आवश्यक था जितने दिन अवैध रीति से वे जेल रहे उनके लिये आया एस० डी०-एम० साहब दोषी हैं जिन्होंने ठीक प्रकार से रिमांड आर्डर नहीं दिया या कौन दोषी है। सुपरिंटेंडेंट जेल तो दोषी नहीं हैं। अगर आप रूलिंग को देखेंगे श्रीमन्, आपकी रूलिंग मेरे पास मौजूद है उसमें आपने स्पष्टतया कहा है कि कंटेम्प्ट वहां हुआ जहां पर गेंदा सिंह जी को अवैध रूप से जेल में रख कर मालेस्ट किया गया, तो मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, समिति का जो प्रस्तुत प्रतिवेदन है उसको पूरी इज्जत के साथ देखते हुये कहना पड़ता है कि समिति ने उस इश्यु पर

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

विचार ही नहीं किया जिसको आपने फिर रेफर किया और वही मेरा दूसरा इश्यु है जिसको कि आपने कमेटी के सामने रेफर किया कि गेंदा सिंह जी ६ दिन तक जेल में अवैध रीति से रहे, उसके लिये कौन जिम्मेदार है।

तीसरी बात जो हमारे सामने आती है वह यह है कि कोई रिमांड आर्डर चाहे वह वैध हो या अवैध क्या वह लागू भी तभी माना जा सकता है जब वह पास हो जाने के बाद जेल पहुंच जाय ? इस प्रश्न का जवाब प्रिविलेज कमेटी ने नहीं दिया है और जब तक हम यह स्पष्ट नहीं समझते तब तक इस निश्चय पर नहीं पहुंच सकते कि आया गेंदा सिंह जी ६ दिन तक गोरखपुर जेल में वैध रीति से बन्द रहे या अवैधरीति से।

चौथा इश्यु और भी स्पष्ट है कि जो हमारे फजलुर्रहमान हेड कांस्टेबिल थे जो लिफाफा उन्होंने ए० पी० पी० को सुपुर्द किया था उसमें तीन सीलें लगी हुई हैं। उसमें मोहर थी डी० एस० पी० गोरखपुर और देवरिया की। हमें यह देखना है कि यह किसके अधिकार से सीलें लगाई गईं। हेड कांस्टेबिल या कोर्ट के हेड मोहर्रिर के पास तो सील रहती नहीं तो वह पुलिस सील किसके अधिकार से लगाई गई, इस जालसाजी में क्या कोई दबाव तो नहीं डाला गया ? वह सील जिसके अधीन थी इसकी जांच होनी चाहिये और मालूम करना चाहिये आया इसमें पुलिस का हाथ था या नहीं। इस पर प्रकाश डालना अत्यन्त आवश्यक है। चूंकि आपने कहा था कि अधिक ब्योरे में न जाऊं इसलिये संक्षेप में अपनी प्रस्तावना रख कर सदन से प्रार्थना करूंगा कि वह मेरे इस संशोधन को स्वीकार करे ताकि स्पष्टतया वैध विषय हमारे सामने आये और जो कमी इस रिपोर्ट में है वह पूरी हो जाय।

*श्री अब्दुल मुईज खां--माननीय अध्यक्ष महोदय, इस समय जब कि विशेषाधिकार की यह रिपोर्ट इस सदन के सामने प्रस्तुत है उस पर प्रस्ताव यह है कि यह सदन उस पर विचार करे तो एक संशोधन के रूप में उसको पुनः उसी समिति के सामने भेजने का जो प्रस्ताव माननीय सदस्य ने उपस्थित किया है उसे देख कर मुझे बड़ा आश्चर्य है कि वह माननीय सदस्य जो मेज पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस को सुबह से शाम तक देखा करते हैं उसके अन्दर जो परम्परायें दी हुई हैं हाउस आफ कामन्स की उसके बिल्कुल खिलाफ यहां पर वह यह एमेंडमेंट पेश कर रहे हैं। पिछली दफा एक निश्चय इस सदन ने किया कि माननीय नारायणदत तिवारी के सिलसिले में जो रिपोर्ट थी उसको पुनः निर्दिष्ट कर दिया जाय। तो इससे श्रीमन् मैं कहूंगा कि कोई परम्परा इस सदन में कायम नहीं हो जाती खास तौर से उस समय तक जब तक कि विशेषाधिकार के संबंध में हमारे यहां कोई कानून पास नहीं हो जाता। उस समय तक हमारे विशेषाधिकार वही होंगे जो हाउस आफ कामन्स के हैं और उस सिलसिले में जो वहां पर कार्यवाही होती है उसी को फालो करने के लिये हम मोहताज हैं और उसके खिलाफ यहां पर कुछ किया जाना ....

श्री अध्यक्ष--आप बैठ जाइये। आपको भी मैं पहले समझा देना उचित समझता हूं।

हाउस आफ कामन्स में प्रिविलेज कमेटी सेलेक्ट कमेटी के तौर पर है। यहां बिल्स के संबंध में जो नियम हैं उसके नियम १०५ (२) को यदि आप देखें तो उसमें यह लिखा हुआ है।

"15(2) If the member in charge of the Bill moves that the Bill as reported by the Committee be taken into consideration,"

यानी अगर कोई सदस्य, जो कि विधेयक को पेश करने वाला है वह अगर यह प्रस्ताव पेश करता है कि "सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट पर विचार किया जाय" तब उस वक्त संशोधन के संबंध में यह नियम लागू होगा कि--:

"any member may move as an amendment that the Bill be recommitted to a Committee."

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सेलेक्ट कमेटी को रिकमिट करने के लिये संशोधन उपस्थित इस नियम द्वारा हो सकता है। उसी के अनुसार यह अधिकार मौजूद है कि जब किसी समिति का प्रतिवेदन हमारे सामने मौजूद हो तो संशोधन द्वारा उस पर पुनर्विचार करने के लिये वह इस समिति के पास सदन भेज दे इसी प्रथा के अनुसार यह संशोधन पेश किया गया है। यह भी नियम में अधिकार है कि "विद सम डिरेक्शन" प्रतिवेदन को वापस कर सकते हैं। तो सेलेक्ट कमेटी की जो यह प्रथा है उस प्रथा के अनुसार यह संशोधन वह पेश कर सकते हैं। कुछ विषयों पर विचार नहीं हुआ। यह कारण बता कर ऐसा संशोधन सदस्य पेश कर सकते हैं। लिहाजा यह जो तरीका रखा गया है वह पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के अनुसार है। किस वक्त पर कौन सी बात समिति को मान्य हुई इसका निर्णय कर सकना समिति के सदस्यों का अधिकार था। जो सदस्यों का अधिकार समिति में था उसके अनुसार उन्होंने निर्णय किया और यहां भी जो सदस्यों के अधिकार हैं उनके अनुसार माननीय नारायणदत्त तिवारी जी जिस तरह से कि संशोधन पेश करना चाहते हैं वे कर सकते हैं।

श्री अब्दुल मुईज खां--श्रीमान् जी, जैसा आपने फरमाया उसके खिलाफ कुछ कहने का मेरा इरादा कतई नहीं है न मेरा यह इरादा है कि जो रूलिंग आपने दी है उस पर कोई लाइट डालूं। मेरा मतलब यह है कि वहां साइड ट्रेकिंग की परंपरा है। सदस्यों की ओर से जो प्रस्ताव आते हैं कि कमेटी की रिपोर्ट पर विचार किया जाय या उस पर कोई कार्यवाही की जाय तो हमेशा आल्टरनेटिव मोशन एमेंडमेंट के रूप में आता है, विरोध के रूप में नहीं आता, इसलिये यह परम्परा रखी गयी है। माननीय सदस्य क्योंकि उसी पक्ष के हैं इसलिये वे चाहते हैं कि उस पर विचार किया जाय, ऐक्शन लिया जाय तो इस प्रकार का मोशन आने के यही माने होते हैं कि विधेयक पर इस समय आपत्ति नहीं कर रहा हूं। तो जहां तक माननीय सदस्य का यह मोशन है कि उसको पुनर्निर्दिष्ट कर दिया जाय विशेषाधिकार समिति के सामने तो उसके बारे में यह बताना चाहता हूं कि समिति ने पूरा पूरा अवसर देकर जो जो कार्यवाही हो सकती थी वह की, यही नहीं बल्कि जहां जहां वैधानिक आपत्तियां आयीं उनके विषय में सूबे के उच्च कानूनदां लोगों को राय ली गयी। अपने प्रदेश के ऐडवोकेट जनरल और लीगल रिमेम्बरेंसर साहब को भी राय ली गयी तथा फैक्चुअल तरीके पर जो गवाह थे उनको भी बुलाया गया। अगर किसी वजह से उसमें कोई बात छूट गयी तो दूसरी गवाही के लिये बुलाया गया। कहने का मकसद यह है कि वहां हर साइड को देखा गया और उस पर पूरा प्रकाश डाला गया। मुझे अफसोस है कि माननीय सदस्य ने जिस तरीके से इस चीज को रक्खा है उससे भी यह साबित नहीं होता है कि उसको पूरा समय नहीं दिया गया या पूरे तौर से डिसपैशनेट एटमासफियर में इस पर विचार नहीं किया। मैं इस समिति के सदस्य के नाते पूर्ण विश्वास से यह कह सकता हूं और इस सदन को विश्वास दिला सकता हूं कि कमेटी ने निष्पक्षतापूर्वक पूरा विचार किया। हम जब वहां विचार कर रहे थे तो यह नहीं मालूम होता था कि हम भिन्न भिन्न पक्षों के सदस्य हैं बल्कि एक समिति के रूप में हमें विचार कर रहे थे और छोटे छोटे प्वाइन्ट पर भी घंटों विचार होता था और दूसरे दिन भी वही लिया गया। तो यह कहना कि कमेटी ने कोई खास प्वाइन्ट छोड़ दिया है, सही नहीं होगा। समिति ने तमाम बातों पर विचार करके रिपोर्ट रखी है। हमारे रूल्स से और हाउस आफ कामन्स की परम्परा के अनुसार भी सदन को पूरा अधिकार है कि आगे कार्यवाही करे। उसके लिये फिर दोबारा समिति को भेजने की जरूरत नहीं है। असल ट्रायल के तौर पर कार्यवाही सदन में ही होती है और समिति तो केवल कमिटल के तौर पर कार्यवाही करती है ताकि तमाम फैक्ट्स सदन के सामने आ जावें। इसलिये मैं सदन से अनुरोध करूंगा कि इस रिपोर्ट पर विचार किया जाय।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)--श्रीमन्, मैं श्री नारायणदत्त जी ने जो संशोधन रखा है उसमें एक छोटा सा संशोधन रखना चाहता हूं। मैं उसे लिखकर आपके पास भेज दूंगा। वह यह है कि "जिलाधीश देवरिया का जिक्र बार-बार गवाहों के बयान में आने के कारण इस घटना से जिलाधीश का प्रत्यक्ष संबंध मालूम पड़ता है। अतः उनकी गतिविधियों का विश्लेषण विशेषाधिकार समिति को करना आवश्यक है।"

श्री अध्यक्ष--मैं इसे अवैधानिक करार देता हूं। आप इसे पेश नहीं कर सकते। अमेंडमेंट उसके साथ जुड़ता नहीं है। माननीय उपाध्याय जी का भी संशोधन इसी प्रकार का है, वह भी अवैधानिक है। उसमें आदेश है कि जिलाधीश देवरिया को बुलाकर समिति उनका बयान ले और उस पर विचार करके रिपोर्ट दे, यह न किसी प्रश्न पर डाइरेक्शन में आता है क्योंकि समिति को यह नहीं कहा जा सकता कि समिति किसको बुलावे, कैसे बुलावे और कैसे बयान ले। इस प्रकार की हिदायत उनको नहीं दी जा सकती। किस विषय पर विचार करना है, यह नारायणदत्त जी के संशोधन में मौजूद है। लेकिन समिति किस व्यक्ति को बुलावे यह भी संशोधन में लिखें, यह नहीं जुड़ता है। वैसे राजनारायण जी बोलना चाहें तो तिवारी जी के संशोधन पर बोल सकते हैं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय नारायणदत्त जी ने रखा है मैं इसके समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं। सच बात तो यह है कि माननीय गेंदा सिंह जी को जेल में रिमांड की अवधि समाप्त होने के बाद भी रखने की सारी जिम्मेदारी देवरिया के जिलाधीश की है। अफसोस इस बात का है कि समिति ने इस बात का भी कष्ट नहीं किया कि जिलाधीश देवरिया को बुलाती भी.....।

श्री अध्यक्ष--मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। आप इस प्रकार तो प्रतिवेदन पर विचार करने के दायरे में आगये। जब प्रतिवेदन पर विचार होगा तब आप यह टीका कर सकते हैं। लेकिन नारायणदत्त जी के संशोधन का समर्थन करते हुये तो सिर्फ अवाप्तियां यानी इश्यूज के ऊपर बोल सकते हैं। और इस बुनियाद पर ही प्रतिवेदन वापस भेजने के लिये उन्होंने कहा है। उसके ऊपर आपको कुछ कहना हो तो कह सकते हैं लेकिन आप फलां को बुलाया गया या नहीं बुलाया गया इस तरह का कोई प्रश्न नहीं उठा सकते, जब कोई सब्स्टैंसिव मोशन सदन के सामने हो, जब कोई ऐसी तजवीज सदन के सामने हो कि प्रतिवेदन को स्वीकार किया जाय तो उस वक्त आप इस विषय पर विचार कर सकते हैं।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मैं श्री नारायणदत्त तिवारी के संशोधन का पूर्णतः समर्थन करता हूं और यद्यपि नारायणदत्त जी ने संक्षेप में जो कारण थे इस पर पुनः विचार करने के लिये विशेषाधिकार समिति के सामने जाने के लिये उसको स्पष्ट कर दिया था और समिति ने जो इश्यूज साफ फ्रम करके उन पर विचार नहीं किया, उन पर उन्होंने ध्यान आकर्षित किया। जब मैं उस रिपोर्ट को पढ़ता हूं तो मेरी तुच्छ बुद्धि में माननीय मित्र मुईज खां ने श्री नारायण दत्त जी के संशोधन पर जो आपत्ति की उस पर मुझे आश्चर्य होता है। सही है कि वे समिति के सदस्य थे, सही है कि समिति ने इन तमाम तथ्यों को पाने में काफी कष्ट उठाया हो। मगर यह भी सही है कि श्री नारायणदत्त तिवारी ने जो यहां पर प्रश्न उठाया है कि रिमांड उस अफसर ने जिसको रिमांड मांगने का हक था नहीं मांगा। जब कि कानून के अन्दर श्री गेंदा सिंह की उपस्थिति अनिवार्य है तो श्री गेंदा सिंह को कोर्ट में उपस्थित न करके रिमांड आर्डर कैसे दिया जा सकता है इस पर समिति ने कोई राय नहीं दी। श्रीमन्, यह एक बड़ा मूल प्रश्न है। इसलिये मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि इस मूल प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिये, क्योंकि ऐसी घटनायें दूसरी और आने वाली हैं। इसलिये इसे यों ही छोड़ देने में बड़ा अन्याय होगा। साधारण कोई घटना होती तब तो बात दूसरी थी। श्रीमन्, यहां पर बजट अधिवेशन हो और श्री गेंदा सिंह के बार-बार लिखने में वहां से तार देने पर भी उचित कार्यवाही न हो। श्रीमन्, मैं उस विवाद में नहीं जाना चाहता मगर इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर आप पेज २२ को देखें तो श्री नारायणदत्त जी के संशोधन का औचित्य स्वतः प्रकट हो जाता है। मैं माननीय मित्र मुईज खां से निवेदन करूंगा कि वे इसको देखें कि सुपरिंटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल ने बार-बार लिखा डिस्ट्रिक्ट को कि १८ तारीख.....

श्री अध्यक्ष——आप फिर उसी बात पर आ गये ।

श्री राजनारायण——मैं उस पर नहीं आ रहा हूं । मैं कहता हूं कि रिमांड आर्डर आने के लिये जेल अधिकारियों की ओर से यह संकेत करना जिलाधिकारी के लिये काफी है कि श्री गेंदा सिंह को रिमांड आर्डर देने के लिये बुलाया जाय, मगर वे नहीं बुलाये जाते । मैजिस्ट्रेट साहब ने कोर्ट में बिना उनकी उपस्थिति के २१ ता० का रिमांड आर्डर कैसे पास कर दिया, यह बिलकुल गलत है ।

दूसरी बात मैं माननीय मित्र मुईज खां से निवेदन करूंगा कि यदि वे रिपोर्ट को देखें तो उसमें कहीं भी उसकी चर्चा नहीं है, कहीं भी उसका विश्लेषण या उसकी विवेचना नहीं की गई है और जो निष्कर्ष लेना चाहिये वह नहीं लिया गया है, वे कहते हैं क्यों अवैधानिक रिमांड आर्डर के पास होने और उसके पास होने पर जेल के अन्दर श्री गेंदा सिंह २१ ता० से २७ तक जेल में अवैधानिक रीति से बन्द रहे ? यदि हां, तो इस प्रकार की कानून की अवहेलना का दोषी कौन है ? मैं श्रीमन्, इसी पर निवेदन कर रहा था, यद्यपि मैंने आज एक दूसरे एमेंडमेंट के जरिये इसको साफ करने की कोशिश की मगर आपने उसको पेश करने की इजाजत नहीं दी । इस संबंध में मैं श्रीमन्, आपकी रूलिंग को मानता हूं क्योंकि श्री नारायणदत्त जी का जो दूसरा संशोधन है उसमें ये सब बातें सफाई के साथ आ जायंगी और उसमें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट खुले तौर पर दोषी साबित होगा । जितनी जानकारी मुझे मिली है उसकी बिना पर मैं अधिकार पूर्ण ढंग पर कह सकता हूं कि उस षडयंत्र का पूर्णतया दोषी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट साबित होगा । अगर जिलाधीश उस षडयंत्र में शामिल नहीं होता तो वह षडयंत्र आगे नहीं बढ़ सकता था । श्री नारायणदत्त जी का जो दूसरा संशोधन आने वाला है उसमें वह भी सन्निहित है ।

मैं जब नारायणदत्त तिवारी की तीसरी बात पर आता हूं कि क्या किसी रिमांड के आर्डर के पास होने के बाद उसका जेल पहुंचाना उसको वैधता प्रमाणित करने तथा उसे कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक है तो मैं इसके बारे में माननीय मुईज खां जी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि वे इस संबंध में विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन को पढ़ें और निकाल कर बतावें कि क्या समिति ने तय किया है । लीगल रिमेंबरेंसर ने पूरी रिपोर्ट दी है और साफ कह दिया है और लोगों ने भी साफ कर दिया है कि रिमांड देते समय अपराधी का कोर्ट में उपस्थित होना अनिवार्य है, और अपराधी जब कोर्ट में ही उपस्थित नहीं है तो फिर रिमांड कैसे हो सकता है ?

इसी तरह से चौथी बात जो है उसके बारे में कहा जाता है कि कुछ पब्लिक सेफ्टी के लिये या और न मालूम क्या कारण है कि बहुत से आवश्यक कागजात हैं जिनको दिखलाया नहीं जाता । मैं यह निवेदन करता हूं कि यह सदन के एक सम्मानित सदस्य का अपमान है और सदन के विशेषाधिकारों की अवहेलना का प्रश्न है, किसी पारटी का प्रश्न नहीं है, जो दलगत राजनैतिक दृष्टिकोण हमारे कभी-कभी संकुचित होते रहते हैं उससे हमें ऊपर उठना पड़ेगा । अगर वह नहीं होता तो निश्चय मानिये कि जनतांत्रिक प्रणाली को विकसित होने में बहुत समय लगेगा । हमारे यहां आज तो बहुत अंतर है । एक ओर बहुमत में ३९० सदस्य हैं और दूसरी ओर करीब ३० का दल है । परन्तु जिस समय दस पांच का फर्क होगा विधान सभा में, उस समय सरकारी दल के लोग दस पांच आदमियों को जेल में बन्द करके सरकार के लिये सहूलियत पैदा कर सकते हैं लेकिन इस प्रकार से जनतांत्रिक प्रणाली नहीं चल सकेगी । यह मैं सम्मानित सदन से निहायत अदब से अर्ज करूंगा कि यह प्रश्न बड़ा मौलिक प्रश्न है कि हमको किस समय जेल में बन्द किया जाय और किस समय हमको जेल में न बन्द किया जाय और जो अधिकारी विधान सभा के किसी सदस्य को जेल में बन्द करके विधान सभा की बैठकों से वंचित करते हैं उनके लिये क्या करना होगा ।

श्री अध्यक्ष——यह तो आप कंसीडरेशन के समय ही कह सकते हैं ।

श्री राजनारायण——श्रीमन्, मैं तो केवल यह कह रहा हूं कि यह बड़ा मौलिक प्रश्न है और विशेषाधिकार समिति इन बहुत से तथ्यों को अपनी रिपोर्ट में नहीं हल कर सकी है और वह इस दृष्टि से बिलकुल असमर्थ इस माने में रही है इसलिये विशेषाधिकार समिति इन

[श्री राजनारायण]

सारी समस्याओं पर पुनः विचार करे और अगर वह करेगी तो मुझे पूरा यकीन है कि ऐसी परिस्थिति पैदा होगी जिसमें सारी घटनाओं पर फिर से विचार करने का समिति को अच्छी तरह से मौका मिलेगा और जो विषय इसमें रह गये और जिन पर प्रकाश नहीं पड़ा है उनपर भी पुनः प्रकाश पड़ेगा। इन शब्दों के साथ मैं श्री नारायणदत्त जी तिवारी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और मैं माननीय मुईज खां से निवेदन करूंगा कि वे अपने विरोध को वापस लें, क्योंकि इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से विचार करने के लिये पुनः इसको समिति को भेजना चाहिये। यही मेरा निवेदन है।

श्री हरगोविंद पंत--माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे केवल एक बात कहनी आवश्यक मालूम होती है। यदि केवल दोषारोपण करने का अवसर बराबर दिया जाता रहा तो मैं समझता हूं कि उसका कभी अन्त नहीं हो सकता। यह जो कमेटी में निष्पक्ष जांच हुई थी उसमें मतभेद के केवल दो ही पक्ष थे और दोनों ही पक्षों को अपना अपना प्रतिवेदन उपस्थित करने का अवसर हुआ और इन दोनों पक्षों के प्रतिवेदनों को लेते हुये एक निर्णय बहुमत से लिया गया। उसमें जो दूसरे दल के लोग वहां उपस्थित थे उनकी तरफ से जो प्रतिवेदन उपस्थित किया गया है...

श्री नारायणदत्त तिवारी--प्वाइंट आफ आर्डर, जो माननीय सभापति, विशेषाधिकार समिति दूसरे दल, विरोधी दल और विपक्ष का जिक्र कर रहे हैं तो क्या प्रिविलेज कमेटी का नामिनेशन कोई दलगत नीति के अनुसार हुआ करता है या कोई पक्ष, विपक्ष या मेजारिटी या माइनारिटी का सवाल आया करता है?

श्री अध्यक्ष--मैं तो समझता हूं कि कहने वाले के उद्देश्य पर जाना चाहिये, उनका तात्पर्य है कि दो मत थे, एक मत इस प्रकार है और दूसरा मत इस प्रकार है इस दृष्टि से वे बातें कह रहे हैं।

श्री हरगोविंद पंत--मानी हुई बात है कि सभी राजनीतिक विचारधाराओं के मेम्बर वहां भी रहते हैं। तो इस सम्बन्ध में मैं यह बता देना चाहता हूं कि जो दूसरी विचारधारा थी उसकी तरफ से जो प्रतिवेदन उपस्थित किया गया था उसमें अब जो कुछ कहा जा रहा है उसका कहीं नामोनिशान नहीं था; यह एक नई चीज है और भविष्य में भी अगर फिर यह प्रतिवेदन आया तो फिर कोई नई बात आ जायगी और कोई नया ढंग दोषारोपण का पैदा हो जायगा। इसलिये मैं तो समझता हूं कि समिति ने सभी दलों की राय को लेकर, सभी विचारधाराओं के प्रतिनिधियों के परामर्श से, बहुमत से यह फैसला दिया है और इसको आगे बढ़ाना और फिर दूसरी बार विचार करने के लिये भेजना, मैं समझता हूं कि समिति के लिये एक बड़ी आदर की चीज न होगी।

श्री अध्यक्ष--(श्री नारायणदत्त तिवारी से) आपका संशोधन जिस शक्ल में आया है, उसको सही भाषा देना आवश्यक है। मैंने उसे थोड़ी सी शक्ल दी है जिसको मैं पढ़ता हूं और उसी के ऊपर विचार किया जाय।

प्रश्न यह है कि समिति का प्रतिवेदन विशेषाधिकार समिति को निम्न अवाप्तियों के विचार करने के लिये पुनः निर्दिष्ट किया जाय :--

(१) क्या तारीख २१ फरवरी को रिमांड आर्डर पास करते समय श्री गेंदासिंह को धारा ३४४ के अन्तर्गत अपने संमुख उपस्थित न करा कर श्री श्याममनोहर एस० डी० एम० पडरौना ने अवैध कार्य कर तथा अवैध आज्ञा पास कर विशेषाधिकार की अवहेलना की अथवा नहीं?

(२) क्या अवैध रिमांड आर्डर के पास होने और उसके पास होने पर भी जेल न पहुंचने के कारण श्री गेंदा सिंह जी ता० २१-२ से लेकर २७-२

तक अवैध रीति से जेल में बन्द रहे ? अगर हां, तो क्या इसमें विशेषाधिकार की अवहेलना हुई है और यदि हुई है तो इसका दोषी कौन है ?

(३) क्या किसी रिमांड आर्डर के पास हो जाने पर उसका जेल पहुंचना उसकी वैधता प्रमाणित करने तथा उसे कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक है ?

(४) क्या एक्जीबिट १८ में प्रदर्शित सीलबन्द लिफाफे में प्रस्तुत पुलिस सील के रक्षक भी विशेषाधिकार की अवहेलना के दोषी हैं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि श्री गेंदा सिंह की गिरफ्तारी से संबंधित विशेषाधिकार के प्रश्न पर उत्तर प्रदेश विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--अब इस पर नियम ५७ के अनुसार कार्यवाही होगी। जो प्रस्ताव माननीय सदस्य लाना चाहें वह ला सकते हैं।

श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन श्री गेंदा सिंह जी से संबंधित विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट मंजूर करता है और रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के माफिक यह निश्चय करता है कि श्री फजलुर्रहमान ने हालांकि Breach of Privilege की है मगर उसको कमेटी की सिफारिश के मुताबिक माफ कर दिया जाय और श्री लक्ष्मी नारायण मेहरोत्रा, ए० पी ० पी० ने Breach of Privilege की है इसलिये उनको सदन में बुला कर Admonish किया जाय।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। मैंने निवेदन किया था इस विषय में कि नियम ६१ के अनुसार जो लोग इससे संबंधित हैं और जिन पर दोषारोपण किया गया है उनको सूचना होनी चाहिये क्योंकि उनको अधिकार है कि वह सदन से इस बात की प्रार्थना कर सकें कि उनकी बात फिर से सुन ली जाय। सदन उनको सुनने के बाद, चाहे उनको सुने या न सुने, क्योंकि एक बार वह विशेषाधिकार समिति में उपस्थित हो चुके हैं लेकिन उनको सूचना ही न देना और कार्यवाही करना मैं समझता हूं कि नियम ६१ के विरुद्ध है और मेरा निश्चित मत है कि जब तक उनको सूचना न दी जाय, कोई कार्यवाही नहीं हो सकती।

श्री अध्यक्ष--इसके सम्बन्ध में जो आपत्ति उठाई गई है वह कुछ नियम ६१ को न समझकर उठाई गई है। उसमें यह है कि कोई दण्ड देने के पेश्तर उनको मौका देना चाहिये। तो यह माननीय सदस्य स्वयं प्रस्ताव ला सकते हैं कि उनको बुलाया जाय तब दंड दिया जाय। अभी तो उनका प्रस्ताव इस सदन ने स्वीकार नहीं किया। स्वीकार करने के पेश्तर किसी भी स्टेज पर यह सदन निर्णय कर सकता है कि फलां फलां व्यक्ति का बुलाना आवश्यक है तब मैं उन्हें बुला लेता। तो यह जरूरी नहीं है कि सब की राय मुझे मालूम न हो, उसके पेश्तर ही लोगों को बुला लूं। सदन की राय किसी स्टेज पर जाहिर हो सकती है। इसलिये कोई वैधानिक आपत्ति इस प्रस्ताव के लाने में नहीं हो सकती। माननीय रामनारायण त्रिपाठी अगर चाहें तो एक प्रस्ताव की शक्ल में वह ला सकते हैं कि अमुक व्यक्ति को बुला लिया जाय सजा देने के पेश्तर। लेकिन इस प्रस्ताव के ऊपर चर्चा करने के लिये कोई नियम बाधक हो, ऐसी बात नहीं है।

*श्री सुल्तानआलम खां——अध्यक्ष महोदय, इस सदन को याद होगा कि ७ फरवरी, १९५४ को हमारे सदन के मेम्बर और हमारे सबके साथी श्री गेंडा सिंह गन्ने की स्ट्राइक के सिलसिले में गिरफ्तार किये गये थे।

श्री अध्यक्ष——कृपा करके आप नाम श्री गेंदासिंह जी का लें तो उसमें 'ड' न कहें बल्कि 'त','थ' के बाद का अक्षर 'द' कहें।

श्री सुल्तानआलम खां——मैं माफी चाहता हूं। मैं गेंदा सिंह ही कह रहा था धोके में मुंह से 'ड' निकल गया। श्री गेंदा सिंह जी ७ फरवरी को गिरफ्तार कर लिये गये और पहले मौके पर उनके केस में १४ दिन का रिमान्ड लिया गया। कमेटी के सामने, प्रिवेलेज कमेटी के सामने यह शिकायत आयी कि बजाय २१ फरवरी तक उनको जेल में रहने के उनको २७ फरवरी तक देवरिया जेल में रखा गया और यह मसला भी है कि जो प्रिविलेज कमेटी के सामने आना चाहिये। कमेटी के सामने यह बात कही गई कि २१ से लेकर २७ तक जो उन्हें जेल में रखा गया उस सिलसिले में पाबन्दी और कायदे के मातहत कोई दूसरा रिमांड नहीं लिया गया। यह मामला प्रिविलेज कमेटी के सामने आया। जाहिर है कि मामला बहुत अहम था। उसने काफी गौर किया और उसके बाद एक रिपोर्ट दे दी जो हाउस के सामने है और मैं जानता हूं कि रिपोर्ट के मुताल्लिक बहुत से मेम्बरान में मुख्तलिफ रायें हो सकती हैं। कमेटी में भी दो रायें हो सकती थीं और इस वक्त यह रिपोर्ट इस सदन के सामने पेश कर दी। इस वक्त एक आपत्ति उठाई गई। और दो रायें हो सकती थीं और हुईं। लेकिन जब कि हाउस ने तय कर दिया कि इस रिपोर्ट पर विचार करेगा तो उसके बाद मैं समझता हूं कि इस बात का कोई मौका नहीं रह गया कि इसके ऊपर जो तजवीज मैंने प्रस्ताव की सूरत में पेश की है उसके मुताल्लिक कोई भी दो रायें हो सकें। कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक मैंने जो रिजोल्यूशन पेश किया है उसमें दो आदमियों का नाम खासतौर से लिया गया है। एक तो फजलुर्रहमान का, इसके मुताबिक कमेटी इस नतीजे पर पहुंची कि वह भी ब्रीच आफ प्रिविलेज के जुर्म का मुल्जिम कहा जा सकता है और था। लेकिन उसके सब्सीक्वेंट कन्डक्ट को देखते हुये कमेटी ने यह फैसला किया और उसकी यह राय है कि इनके सम्बन्ध में खिलाफ़ अब प्रिविलेज का कोई सवाल न उठाया जाय और कोई सजा इनको न दी जाय।

दूसरा मसला मिस्टर मेहरोत्रा के मुताल्लिक, जो कि ए० पी० पी० हैं और उनको कमेटी ने अपने सामने बुलाया, उनकी शहादत कमेटी के सामने ली गई। लेकिन उनकी शहादत इस तरह की थी कि जिसमें मिसस्टेटमेंट था, जिनमें सेल्फ कन्ट्रेडिक्टरी बातें थीं और इस वजह से कमेटी इस नतीजे पर पहुंची कि जो कुछ जिम्मेदारी इस मामले में है वह मिस्टर मेहरोत्रा की है और इसी वजह से कमेटी ने यह फैसला किया और उसकी सिफारिश यह हुई कि मिस्टर मेहरोत्रा को यहीं बुलाया जाय और ऐडमानिश किया जाय। यह इसलिए भी किया गया कि उनको यहां बुला कर और हाउस के सामने ऐडमानिश किया जाय तो यह सजा काफी है उसके लिये माना कि यह ऐडमानिश की सजा हुई जो जाहिर है कि हाउस जो सजा देना चाहता है उसमें काफी लीनियेंट व्यू लेना चाहता है और मैं समझता हूं कि माननीय गेंदा सिंह जी भी और हर एक शख्स पसन्द करेगा कि इस मामले में ज्यादा सख्त व्यू न लिया जाय, लीनियेंट व्यू लिया जाय ताकि लोगों को तम्बीह हो और साथ ही इस किस्म के मामलों में जो पहले पहल हमारे सामने आ रहे हैं हमें कन्वेंशंस और ट्रेडीशंस भी तैयार करने हैं। जब ऐडमानिश किया जायगा तो उनके खिलाफ डिपार्टमेंट्ल ऐक्शन भी लिया जायगा और मैं समझता हूं गो कुछ कहा नहीं जा सकता कि वह डिपार्टमेंट्ल ऐक्शन क्या होगा, लेकिन फिर भी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मेरा ख्याल है कि वह काफी होगा। इसलिये मेरी यह राय है कि जो तजवीज मैंने रिजोल्यूशन की शक्ल में आपके सामने पेश की है, वह इस केस में बिल्कुल मुनासिब है और मुझे यकीन है कि हाउस का हर सदस्य इसे पसन्द करेगा और इसे मंजूर करेगा। जैसा मैंने शुरू में ही अर्ज किया कमेटी के अन्दर इसके मुताल्लिक कोई दो रायें हो सकती थीं, या यहां इस हाउस के अन्दर भी दो रायें हो सकती थीं, और हुई भी लेकिन अन्त में जब कि हाउस ने इस बात का फैसला कर दिया कि इस मसले पर विचार किया जाय तो उसके बाद मुझे यकीन है कि मैंने जो रिजोल्यूशन इस वक्त हाउस के सामने पेश किया है उसको हाउस मंजूर करेगा।

श्री अध्यक्ष--मैं यह जानना चाहूंगा कि जो माननीय रामनारायण त्रिपाठी ने सवाल उठाया था, वह भी प्रश्न हाउस के सामने है, उसके बारे में भी आप प्रकाश डालें कि फलां व्यक्ति को बुलाने की आवश्यकता है या नहीं या उनको बात सुनने की आवश्यकता है या नहीं क्योंकि उनके सम्बन्ध में समिति को रेफर किया हुआ मामला नहीं है। यह मामला जो बातें हाउस के सामने हुईं उसके अनुसार उन्होंने सिफारिश की कि ब्रीच आफ प्रिविलेज उन्होंने किया, इनको सजा दी जाय। तो उनको बुलाया गया या नहीं बुलाया गया, मौका दिया गया या नहीं दिया, उसके बारे में भी आप अपने भाषण में प्रकाश डालने की कृपा करें ।

श्री सुल्तानआलम खां--मेरे इस प्रस्ताव में तो जैसा मैंने अर्ज किया मैं यह चाहता हूं कि उनको यहां बुलाया जाय और यहां बुला कर ऐडमानिश किया जाय हाउस के सामने।

श्री अध्यक्ष--लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि उनको बुला कर उनसे स्पष्टीकरण के बारे में पूछा भी जाय, यानी इन्क्वायर भी किया जाय या नहीं इसके बारे में भी कुछ कहा जाय।

श्री सुल्तानआलम खां--मेरी इसके मुताल्लिक यह राय है कि अब वह स्टेज गुजर गई कि जिसमें बुला कर कोई जांच पड़ताल या एक्सप्लेनेशन का सवाल पैदा हो। इसलिये कि कमेटी में वह आये, उनका स्टेटमेंट हुआ। उसी के आधार पर कमेटी ने यह राय कायम की कि मिसस्टेटमेंट्स हैं और कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स हैं और इसी वजह से कमेटी ने यह सिफारिश की। तो मैं तो यही समझता हूं कि जब कमेटी के सामने उनका बयान हो चुका है तो अब हाउस के सामने उनको बुलाने की जरूरत नहीं मालूम होती।

श्री अध्यक्ष--आप कमेटी के सदस्य शायद नहीं हैं। तो मैं कमेटी के सदस्य से ही पूछूंगा कि उनको चार्ज बताया गया और एक्सप्लेनेशन का मौका दिया गया या नहीं दिया गया। यह मैं एक सुझाव दे रहा हूं कि जब समिति के सदस्यों में से कोई सदस्य बोलने खड़े हों तो वह इस बात पर भी प्रकाश डालने की कृपा करें।

श्री अब्दुलमुईज खां--मैं श्रीमन् इस सिलसिले में इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जो कम्प्लेंट श्री गेंदा सिंह जी ने जिन व्यक्तियों के विरुद्ध की थी उनके ऊपर विचार करने के बाद समिति ने .....

श्री अध्यक्ष--आप भाषण तो अभी देना नहीं चाहते? तो अभी ठहरिए।

(श्री अध्यक्ष ने श्री रामनारायण त्रिपाठी का नाम पुकारा।)

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहूंगा अगर आप इजाजत दें । आपने श्री रामनारायण त्रिपाठी को बुला लिया है। उनसे पहले यदि आप मुझे सुन लें तो बड़ी कृपा होगी

श्री अध्यक्ष--आप भाषण देना चाहते हैं ?

श्री गेंदासिंह--मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--क्या वैधानिक आपत्ति के सम्बन्ध में आप कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री गेंदासिंह--जिस विषय पर विचार हो रहा है उसके सम्बन्ध में मैं कुछ कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--जब मौका आये तब आप कहें अब तो मैंने श्री रामनारायण त्रिपाठी जी को बुला लिया है।

*श्री रामनारायण त्रिपाठी--अध्यक्ष महोदय, मैं उपस्थित प्रस्ताव में यह संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं कि सदन विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट को निम्नलिखित रूप में स्वीकार करता है --

(१) श्री विद्याप्रसाद शुक्ल, जिलाधीश देवरिया को सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना तथा समिति के समक्ष उपस्थित किये गये कृत्रिम कागजात के निर्माण में सहमति के कारण पुनः उनको अपने पुराने पद पर कर दिया जाय (be reverted)।

(२) श्री श्याम मुरलीमनोहर, सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट, देवरिया को अवैधानिक आदेश द्वारा श्री गेंदा सिंह को जेल में रख कर ६ दिन की सेवा से वंचित करने के सम्बन्ध में तथा समिति के समक्ष पेश किये गये जाली कागजात के निर्माण के सहयोग देने के कारण सदन के समक्ष बुला कर भर्त्सना की जाय तथा उनकी तीन वर्ष तक की वार्षिक वेतन वृद्धि रोक दी जाय।

(३) श्री लक्ष्मी नारायण मेहरोत्रा को जाली कागजात पेश करने, विशेषाधिकार समिति के समक्ष झूठा बयान देने तथा गवाहों को झूठा बयान देने के लिये प्रभाव डालने के अपराध के लिये सदन में बुलाकर भर्त्सना की जाय।

(४) श्री योगेन्द्र नारायण चतुर्वेदी, स्टेशन अफसर, तरैया सुजान को, जिनकी इंवेस्टीगेटिंग अफसर की हैसियत से दूसरा रिमांड लेने की मुख्य जिम्मेदारी थी और जो अवधि रहते दूसरे रिमांड आर्डर न लेने के कारण श्री गेंदासिंह के ६ दिन के अवैध कारावास के लिये मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं, उनके विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना तथा समिति के समक्ष झूठा बयान देने के अपराध के लिये उन्हें कम्पलसरी रिटायरमेंट दे दी जाय।

(५) देवरिया के दोनों नायक पुलिस कप्तान श्री बशीर अहमद खां और श्री आर० के० मिश्रा को समिति के समक्ष प्रस्तुत जाली कागजात के बनाने में सहयोग के अपराध के लिये चेतावनी दी जाय।

अध्यक्ष महोदय, विशेषाधिकार समिति...

*श्री अब्दुल मुईज खां----आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर सर। श्रीमन्, माननीय सदस्य का जो प्रस्ताव है उसमें जो सुझाव दिये गये हैं कि फलां के ऊपर यह दंड लगाया जाय और फला के ऊपर यह दण्ड लगाया जाय, निवेदन करूंगा कि यह अवैधानिक है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हमारे सदन की नियमावली के नियम ६३ में जो नियम दिये गये "amongst others" इनके अलावा और भी सजायें हैं लेकिन उसी तरह की है न कि डिपार्टमेंटल ऐक्शन्स की या दूसरे उन ऐक्शन्स की जो पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ गवर्नमेंट ले सकती है वह अधिकार सदन का है। मैं इस सम्बन्ध में मेज पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस का उदाहरण दूंगा। वहां पर मेरे दोस्त एक भी रूलिंग दिखा दें जहां पर ऐसा हुआ हो कि उनको कम्पलसरी रिटायरमेंट दिया गया हो या तनख्वाह काटी गई हो या इसी तरह की यानी डिपार्टमेंटल ऐक्शन की एक भी सजा दी गई हो, नहीं दिखा सकते हैं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी——अध्यक्ष महोदय, मैं उनका ध्यान संविधान के अनुच्छेद १९४ (३) की तरफ दिलाना चाहता हूं। उसके अनुसार हम प्रिविलेज के मामलों में बंधे हुये हैं प्रोसीजर के मामलों में नहीं। उनको खुद भी डर है मैंने संशोधन रखा है। इस नियमावली के नियम ६३ में लिखा है कि "amongst others the following punishments" हाउस को अधिकार नहीं है कि ऐसी बात कह कर उन्होंने खुद सदन का अपमान कर दिया है क्योंकि यह तो सुप्रीम हाउस है। ऐसी सजायें जो "amongst others the following punishments" लिखी हैं उनके सम्बन्ध में सदन को पूरा अधिकार है। मेरा संशोधन "others" में आ जाता है। दूसरे इसके अलावा यह भी है कि डिपार्टमेंटल कार्यवाही में हमारे हाथ बंधे नहीं हैं क्योंकि ऐसी सजायें हम विभाग द्वारा दिलवा सकते हैं। जब हम किसी सजा को देने का अधिकार रखते हैं तो हमें पूरा अधिकार है तो उसे कार्यरूप में परिणित करने का भी अधिकार है। इसलिये मैं समझता हूं कि मैंने सदन के अधिकार के अन्दर अपना संशोधन रखा है।

श्री अध्यक्ष——अब हम उठते हैं और २ बजकर २० मिनट पर फिर बैठेंगे। इसका फैसला मैं बाद को दूंगा।

(इस समय १ बजकर २० मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २३ मिनट पर श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अध्यक्ष——श्री रामनारायण त्रिपाठी ने एक संशोधन जो मूल प्रस्ताव श्री सुल्तान आलम खां साहब ने उपस्थित किया था इस प्रतिवेदन के सम्बन्ध में उसमें दिया। उसके बारे में आपत्ति यह हुई कि यह अवैधानिक है। यह अब्दुल मुईज खां साहब ने इस सम्बन्ध में आपत्ति की। इस प्रश्न पर विचार करते हुए हमें यह देखना है कि यह संशोधन क्या चाहता है कि सदन करे। कौन सा प्रस्ताव स्वीकार करे इस सम्बन्ध में इसमें जिक्र है। तो उसमें एक तो बात मैं यह देखता हूं कि जो प्रतिवेदन में, बहुमत से, जिन लोगों को कहा गया है कि इन्होंने विशेषाधिकार की अवहेलना की है उनके अलावा कुछ लोगों को वह सम्मिलित करता है। दूसरे उनको जो दण्ड देने की विधि इसमें बतायी गयी है वह किसी नियम के अन्तर्गत स्पष्ट नहीं है। 'स्पष्ट' शब्द के ऊपर मैं जोर दे रहा हूं। नियम ६३ में यह दिया हुआ है कि दंड जो दिये जा सकते हैं वह चार प्रकार के हैं। एक तो "ऐडमानिशन", दूसरा "रेप्रीमेंट", तीसरा "इम्प्रिजनमेंट" और चौथा "सस्पेंशन और एक्सपल्शन आफ दि मेम्बर"। मैंने इस सम्बन्ध में कि नियम की निम्न वाक्य खंड का क्या अर्थ लगाया जाय– "amongst others the following punishment", यानी निर्देशित सजाओं के अलावा भी सजायें दी जा सकती हैं ऐसा ध्वनितार्थ इस नियम से निकलता है कि और सजायें भी यह सदन पार्लियामेंट की भांति दे सकता है। इस सम्बन्ध में जो हमारा संविधान है इसमें स्पष्ट १९४ दफा में दिया हुआ है कि हमारे विशेषाधिकार उनकी अवहेलना होने पर सजा देने वग़ैरह के अधिकार वही रहेंगे जो कि ब्रिटिश हाउस आफ कामन्स के, जिस समय यह संविधान पास हुआ, उस समय थे। मैंने बहुत सी प्रिविलेज कमेटी के फैसले देखे और

[श्री अध्यक्ष]

हाउस आफ कामन्स के और अन्य सदनों के फैसले देखे। उनमें अभी तक मुझे ऐसा निर्णय नहीं मिला और मैं समझता हूं कि किसी को भी नहीं मिलेगा जिसमें यह दण्ड दिया गया हो कि किसी सरकारी नौकर या अन्य किसी नौकर को तनज्जुल कर दिया जाय या उसका इन्क्रीमेंट रोक दिया जाय। यह हर शासन प्रणाली में माना ही गया है कि पार्लियामेंट और पार्लियामेंट की जोड़ एक्जीक्यूटिव सरकार है, उनके अधिकारों के दायरे अलाहदा अलाहदा हैं। जो प्रजातन्त्र के शासन का ढांचा है उसमें तीन शासन की शक्तियां बताई गई हैं—एक्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडीशियरी। इनमें से हर एक का दायरा सीमित है। यह नहीं हो सकता कि लेजिस्लेचर उस दायरे में अधिकार चलावें जहां जुडीशियरी काम करती है या जो एक्जीक्युटिव का दायरा है उस दायरे में लेजिस्लेचर अधिकार चलावे। अगर हम यह प्रस्ताव पास करके कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को बर्खास्त करने के लिये एक प्रस्ताव यहां ले आये कि फलां ने यह काम किया इसलिए उसको यह दण्ड दिया जाये तो इसमें हम एक्जीक्यूटिव गवर्नमेंट के दायरे में हस्तक्षेप करेंगे।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—जेल तो दे ही सकता है। उससे बर्खास्त हो ही जायगा।

श्री अध्यक्ष—यह तो दूसरी बात है। परिणाम अन्ततोगत्वा यह हो सकता है। ऐसे प्रस्ताव का परिणाम यह हो सकता है कि एक्जीक्यूटिव अपने डिपार्टमेंटल तरीके के नियमों के अनुसार उस पर आरोप करके उसे बर्खास्त करे। उसके नियम बने हुए हैं। तो एक तो हमारे सामने यह प्रश्न है कि इस सम्बन्ध में हमारे अधिकारों का दायरा क्या है। क्या लेजिस्लेचर इस किस्म का हुक्म दे सकता है या नहीं? इसमें गोल शब्दों में लिखा हुआ है "amongst others" इससे मालूम होता है कि अन्य प्रकार की भी सजा देने की पावर है, इन शब्दों से ऐसी शंका होती है। मैं तो यह समझता हूं कि निर्देशित सजायें उदाहरण रूप में ही केवल नियम में नहीं दी हैं, यह नियम जो बना है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि यह सजाओं की इक्जास्टिव लिस्ट है। जब मैं हाउस आफ कामन्स के फैसले को देखता हूं और नियम ६३ में सजा देने के जो यह चार तरीके बतलाये गये हैं उनसे तुलना करता हूं तो वही सजायें दोनों में मिलती हैं। इससे मैं परिणाम यह निकालता हूं कि छः सौ बरस की हाउस आफ कामन्स की हिस्ट्री है कुछ ऐसी पावर्स हो सकती हैं जिन पर हमारी नजर न पड़ी हो इसलिए उनको शामिल करने के लिये इस नियम में यह शब्द "amongst others" रख दिये गए हैं। नियम इस प्रकार है—

"The House, like the House of Commons in the United Kingdom has power under Article 194 of the Constitution to inflict amongst others the following punishments."

लिहाजा "amongst others" इसलिये रख दिया गया कि शायद कुछ अन्य दण्ड के प्रकार छूट गये हों तो वे अधिकारों में शामिल हो सकें। लेकिन अभी तक सदन में किसी ने ऐसी पूर्वकालिक फैसला नहीं बताया जिसमें और सजायें हाउस आफ कामन्स में दी गई हों। मैं एक मामला बतला सकता हूं कि १६६६ में पहले एक अधिकार पार्लिऐमेंट को जुर्माना करने का था लेकिन उसके बाद वह अधिकार भी, जब फैसला अदालत से हुआ, नहीं माना गया और कोर्ट ने कहा कि हाउस आफ कामन्स को यह अधिकार नहीं है फाइन करना एक मामूली सा अधिकार मालूम होता है: लेकिन वह भी अधिकार हाउस आफ कामन्स में ही है। इस उदाहरण से यह स्पष्ट है कि अगर कोई अधिकार पार्लियामेंट का नहीं होता है तो इससे पार्लियामेंट या इस विधान सभा का कोई अपमान होता है ऐसा मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। चूंकि

शासन व्यवस्था में काम बंटा हुआ है यह माना जायेगा कि लेजिस्लेचर के दायरे में यह नहीं आता । इस तरह की सजा विधान सभा नहीं दे सकती। अगर आप सजा देने के इतिहास को देखें तो मालूम होगा कि हाईकोर्ट हो या कोई कोर्ट हो वह फांसी तक की सजा दे सकती है जो कि अधिकार इस लेजिस्लेचर को भी प्राप्त नहीं है। लेकिन कोर्ट कभी यह सजा नहीं देती कि फलां व्यक्ति को नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाय, अमुक को तनज्जुल कर दिया जाय। इस प्रकार की सजा का दायरा दूसरा हो जाता है और वैसी सजा देने का अधिकार हाईकोर्ट को नहीं है। वह फांसी दे सकती है लेकिन किसी को बर्खास्तगी या तनज्जुली की सजा नहीं दे सकती क्योंकि अगर किसी को बर्खास्त करना है या तनज्जुल करना है तो संविधान की धारा ३११ के अनुसार नियमानुसार ही वैसा किया जा सकता है। पब्लिक सर्विस कमीशन कभी बीच में आ जावेगा। आरोपित कर्मचारी से एक्सप्लेनेशन भी मांगा जायेगा। यहां तक कि अगर एक्जीक्यूटिव जिसको सरकार कहते हैं वह भी सजा दे दे और पब्लिक सर्विस कमीशन की रजामन्दी न हो तो सजा उलट तक जाती है जब कि सजा की आज्ञा संविधान के विपरीत पड़ती हो। ऐसी हालत में इस तरह के जो दण्ड देने की विधि इस संशोधन में दी गई वह अवैध है और उसके ऊपर बहस करने की मैं अब इजाजत नहीं दूंगा।

*श्री नारायणदत्त तिवारी––श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित प्रस्ताव संशोधन के रूप में रखना चाहता हूं :––

सदन विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट को स्वीकार करता है, पर पैरा १८ में प्रस्तुत निश्चयों के स्थान पर निम्नलिखित निश्चय करता है —

(१) श्री श्याममुरली मनोहर सब-डिविजनल मैजिस्ट्रेट देवरिया को अवैधानिक आदेश द्वारा श्री गेंदा सिंह को जेल में रख कर ६ दिन सदन की सेवा से वंचित करने के सम्बन्ध में तथा समिति के समक्ष पेश किये गये जाली कागजात के निर्माण के सहयोग देने के कारण सदन के समक्ष बुला कर भर्त्सना की जाय ।

(२) श्री लक्ष्मीनारायण मेहरोत्रा को जाली कागजात पेश करने, विशेषाधिकार समिति के समक्ष झूठा बयान देने तथा गवाहों को झूठा बयान देने के लिये प्रभाव डालने के अपराध के लिये सदन में बुलाकर भर्त्सना की जाय।

(३) श्री योगेन्द्र नारायण चतुर्वेदी, स्टेशन आफिसर तरैया सुजान को जिनकी इन्वैस्टिगेटिंग अफसर की हैसियत से दूसरा रिमांड लेने की मुख्य जिम्मेदारी थी और जो अवधि रहते हुये दूसरे रिमांड आर्डर न लेने के कारण श्री गेंदासिंह के ६ दिन के अवैध कारावास के लिये मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं उन्हें सदन के सामने बुला कर भर्त्सना की जावे ।

(४) देवरिया के दोनों पुलिस नायब कप्तान श्री बशीर अहमद खां तथा श्री आर० के० मिश्रा को समिति के समक्ष प्रस्तुत जाली कागजात के बनाने में सहयोग के अपराध के लिये चेतावनी दी जाय ।

(५) श्री विद्या प्रसाद शुक्ल जिलाधीश देवरिया को सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना तथा समिति के समक्ष उपस्थित किये गये कृत्रिम कागजात के निर्माण में सहमति के कारण सदन के सामने बुला कर चेतावनी दी जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

यह सदन यह भी निश्चय करता है कि श्री गेंदासिंह के विशेषाधिकार सम्बन्धी प्रश्न के सम्बन्ध में उपस्थित विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन में उल्लिखित जाली कागजातों के सम्बन्ध में श्री मेहरोत्रा आदि अधिकारियों के विरुद्ध एडवोकेट जनरल यू० पी० कानूनी कार्यवाही शुरू करें।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि इसमें आप कुछ दायरे के बाहर जा रहे हैं। यह जो आप इससे भी आगे कहने जा रहे हैं वह अप्रासंगिक है। कानूनी कार्यवाही करके हम एक्जिक्यूटिव के दायरे में जा रहे हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--इसकी श्रीमन्, बहुत सी नजीरें हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो उनको पढ़ कर सुनाये देता हूं।

श्री अध्यक्ष--बतलाइये।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के पेज १०४ को आप देखने की कृपा करें जिसमें यह है कि :

"In cases of breach of privilege which are also offences at law, where the puni hment which the House has power to inflict would not be adequate to the offence, or where, for any other cause the House has thought a proceeding at law necessary, either as substitute for, or in addition to, its own proceeding the Attorney General has been directed to prosecute the offender."

श्री अध्यक्ष--इसमें आपको यह कहना पड़ेगा कि उन्होंने कोई ऐसा जुर्म किया था ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमान् यह हाउस यह प्रोसीडिंग तो कर ही सकता है कि उसका प्रासिक्यूशन किया जाय। यह एडवोकेट जनरल से कहा जा सकता है कि वह उसके प्रासिक्यूशन के लिये कहें।

श्री अध्यक्ष--परन्तु आप इस प्रिविलेज के सवाल में इसको नहीं कर सकते। आप उसके लिये अलग से यह चीज लाइये कि यह चीज हो तब इसके ऊपर यह प्रस्ताव आ सकता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--लेकिन यह इसमें देखा गया है कि इसके साथ साथ यह चीज की गयी हैं। मैं इसकी मिसाल भी आपको दे सकता हूं। एक मिसाल नहीं उसकी कई मिसालें हैं।

"In 1860 the Attorney General was directed to prosecute Mr. Boyes and Daniel for bribery and Mr. Wilsh and James for purjury in the 'Moy Marrigation Bill."

श्री अध्यक्ष--मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि यह आप इस प्रस्ताव में परिवर्तन करना चाहते हैं या इसको आप स्वतंत्र रूप से अलग रखना चाहते हैं। मेरे ख्याल में जब यह प्रस्ताव हाउस से स्वीकार हो जाय तब इसको आप बाद में ले आयें तो ठीक ही है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--ठीक है, श्रीमन्, मैं इसको बाद में ले आऊंगा।

श्रीमन्, गेंदा सिंह जी के केस के सम्बन्ध में जो प्रतिवेदन यहां प्रस्तुत हुआ है उसके विवरण को पढ़ने से कौतूहल होता है। श्रीमन्, अगर आपने रिपोर्ट को देखा

हो तो आपको मालूम हुआ होगा कि उसमें एक बड़ी भारी घटनाचक्र जाली काग़जात को बनाने के लिये हुआ है। जैसी कांसपिरेसी कोनेंनडायल, राबर्ट्स ब्लेक तथा शरलोक होम्स के जासूसी उपन्यासों में पायी जाती है वही पेचीदिगी, वही ढंग और वही रहस्यमय उद्घाटन इस जांच में हुआ। जो कुछ भी हुआ वह बहुत ही सनसनीखेज हुआ। दरअसल मैं इसीलिये चाहता हूं कि एक वास्तविक सजा अभियुक्तों को दी जाय। यह इतना ही नहीं यह हमारी सारी शासन प्रणाली की हालत को बताता है। जब एक माननीय सदस्य विधान सभा के लिये ऐसी बातें हो सकती हैं कि सेकिंड रिमांड बनाते समय पेशी में नहीं बुलाया जाता है, गवाही के सिलसिले में मैजिस्ट्रेट इस बात को मानता है कि सालों तक किसी अभियुक्त को सेकिंड के लिये नहीं लाया गया। गवाही के सिलसिले में इंसपेक्टर जनरल जेलखाने ने कहा कि महीनों तक रिमान्ड आर्डर या वारंट नहीं पहुंचते। अगर आज सदन के सदस्य इस विशेषाधिकार की अवहेलना पर पूर्णतया दंड नहीं देते हैं तो वे अपना ही अहित नहीं करते, वे केवल अपने ही अधिकारों की अवहेलना नहीं करते बल्कि संपूर्ण शासन प्रणाली द्वारा जनता के ऊपर और जेलों में जो बंदी हैं उनके प्रति जो अन्याय हो रहा है, उसके प्रति उदासीन रह जाते हैं। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि यदि श्री लक्ष्मीनारायण मेहरोत्रा, ए० पी० पी० की केवल भर्त्सना की बात कहना अधूरा है। श्रीमन्, गुस्ताखी माफ हो। अगर आप हृदय पर हाथ रख कर सोचें तो क्या केवल लक्ष्मीनारायण मेहरोत्रा को ही इस षडयंत्र का अभिनेता कहा जाना या भागी कहा जाना उचित होगा? क्या यह बात सही नहीं कि नैनीताल में श्री लक्ष्मीनारायण मेहरोत्रा ने माफी मांगी और कहा कि २१ नवम्बर को कोई रिमांड का आर्डर नहीं भेजा गया। उधर श्री फजलुर्रहमान कहते हैं कि "जिस स्थिति में मैं था उसमें और कर ही क्या सकता था।" कैसी हैल्पलैसनैस की पोजीशन उनकी थी, उनको कितनी परेशानी थी। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आदरणीय समिति जब कि श्याम मनोहर जी को ३–३, ४–४ बार बुलाया, मुझे ताज्जुब है कि मेहरोत्रा जी को दुबारा नहीं बुलाया गया। अगर उनको फिर बुलाया गया होता तो क्रास ऐक्जामिनेशन में वे उन सारी ग़लतियों को समिति के सामने उपस्थित करते। अब प्रश्न यहां यह है कि इस षडयंत्र में कौन कौन साझीदार थे। १ अप्रैल को श्री फजलुर्रहमान कहते हैं कि मैंने चार्जशीट भी नहीं देखी। और यह भी कहा था कि मैंने रिमांड आर्डर भेजा था और नैनीताल में कह दिया कि मैंने रिमांड आर्डर नहीं भेजा, चार्जशीट का तो कहीं पता ही नहीं है। यह पूरा कथानक जो कहा जाता है आखिर यह किस प्रकार से और क्या हुआ? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है श्रीमन् कि कमेटी के ध्यान में यह बात नहीं आई है। डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी ने इस सदन में एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें एक कोटेशन दिया था कि रिमांड आर्डर क्या था। वह कोटेशन श्रीमन् सदन की कार्यवाही में है "रिमांड एक्सटेंडेड एस० डी० एम० गोरखपुर, १४ डेज रिमांड गिवन एस० डी० एम०" तो डाक्टर सम्पूर्णानन्द ने हाउस में कोटेशन दिया कि एस० डी० एम० गोरखपुर ने उस रिमांड आर्डर को देखा था। उसमें मेहरोत्रा के दस्तखत हैं, एस० डी० एम० के दस्तखत हैं और उसमें यह शब्द जोड़ दिया "इंटिमेट टु सुपरिंटेंडेंट जेल गोरखपुर" इससे साबित होता है कि होम मिनिस्टर साहब ने जो हाउस में कोटेशन दिया और ऐक्चुअली जो डाकुमेंट है उसको देखें तो उसमें फर्क है कि यह बात कमेटी के सामने नहीं आयी। श्री श्याम मनोहर और श्री फजलुर्रहमान के वाक्य भी विरोधात्मक हैं। श्याम मनोहर जी का कहना है कि मेरे पास एक ही बार आर्डर देखने के लिये मेहरोत्रा साहब आये और मेहरोत्रा साहब का कहना है कि मैंने दो बार रिमांड आर्डर पर दस्तखत किया। अब आप देखें कि इसमें कितना विरोधाभास है। मेहरोत्रा जी अपने लिखित पत्र में कहते हैं कि मैंने २२ जनवरी को रिमांड आर्डर भेजा, उसकी उन्होंने ताईद भी की लेकिन जब वे कमेटी के सामने आये तब उन्होंने कहा क वह २२ नहीं बल्कि २१ तारीख ही थीं। दरअसल में मैंने रिमांड आर्डर देखा नहीं।

अगर माननीय सदस्य इस अधूरे प्रतिवेदन को देखेंगे तो किसी भी प्रकार से यह बात नहीं मानी जा सकती है कि श्याम मनोहर जी जाली कागजात बनाने के षडयंत्र में शामिल नहीं हैं।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

साथ ही साथ श्रीमन् डि० सुपरिंटेंडेंट पुलिस का भी इसमें हाथ होने का सवाल आता है। आर० के० मिश्रा और बशीर अहमद की बात भी इसमें आयी है। अगर आप लिफाफे को देखें तो उससे साबित होता है कि उस पर जो दस्तखत ३० तारीख के हैं लेकिन अन्दर जो कागजात हैं उस पर २१ फरवरी है। अगर श्रीमन् इसको देखें तो जिस स्याही से ३० तारीख लिखा हुआ है उसी स्याही से लिफाफे के अन्दर का पत्र लिखा गया है। यह चीज कमेटी के सामने नहीं आयी। एक जगह तो २१ फरवरी है और दूसरी जगह ३० मार्च है। इससे साबित होता है कि ३० मार्च को ही सारे जाली कागजात बनाये गये और ३१ तारीख को रिमांड का आर्डर पास हुआ। कमेटी ने भी इस बात को मान लिया है कि ३० तारीख को जाली कागजात बनाये गये तो श्रीमन् हम यह नहीं कह सकते कि २१ तारीख के दिन वास्तव में कोई रिमांड का आर्डर पास हुआ। तो इसलिये जिन पुलिस अधिकारियों का संबंध जाली कागजात बनाने में हो उनको भी दोषी ठहराना ही पड़ेगा। नैनीताल में मेहरोत्रा साहब कमेटी में नहीं बुलाये गये। मेहरोत्रा साहब एस० पी० के आर्डर से नैनीताल में गये। एस० पी० साहब ने लिखा।

श्री अध्यक्ष--आप उसी पर बोलें।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, मैं जाली कागजात के संबंध में ही कह रहा हूं कि मेहरोत्रा साहब ने अपनी गवाही में स्पष्टत: कहा है कि मेरे लिये ये स्पेसिफिक आर्डर थे, मेहरोत्रा साहब गवर्नमेंट के खर्चे पर नैनीताल भेजे गये, इससे साबित होता है कि जिस के हुक्म से मेहरोत्रा जी नैनीताल भेजे गये और वे कमेटी में नहीं आये। इससे साबित होता है कि देवरिया के जो दोनों अफसर थे वे किस मातहत काम कर रहे थे। जिसके मातहत वे काम कर रहे थे उनको भी सजा देनी है और उनको भी पहचानना है। श्रीमन्, मुझे बड़ा दुख है कि यहां पर एक प्रिविलेज्ड डाकूमेंट क्लेम किया गया जो गोरखपुर के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने देवरिया के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को रेडियोग्राम किया था, उसे सरकार ने स्टेट के इंट्रेस्ट में गुप्त समझा। श्रीमन्, आप देखेंगे कि और मेरा विश्वास है कि अगर आज यह सदन फिर प्रार्थना करे आपके द्वारा माननीय गृह मंत्री जी से कि वह जो प्रिविलेज्ड डाकूमेंट है उसको सदन के सामने रखने की कृपा करें तो उससे यह साबित हो जायगा कि उस वक्त सरकार को भी पता था और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, गोरखपुर को भी पता था कि इस रिमांड आर्डर के सिलसिले में कोई धांधली अवश्य हुई, कोई गलतफहमी अवश्य हुई है। तो श्रीमन्, इससे स्पष्ट हो जाता है।

सदन का समय मैं ज्यादा नहीं लेना चाहता। मैंने जैसा आपसे कहा कि इस रिपोर्ट में दी हुई गवाहियों के एक एक वाक्य इस बात के साक्षी हैं कि जितने भी अधिकारी हैं, जिन्होंने इस प्रकार के आदेश दिये हैं वे सब इस सम्मानित सदन के विशेषाधिकार के भारी अवहेलना के दोषी हैं क्योंकि उन्होंने जाली कागजात को लाकर होम मिनिस्टर द्वारा गलत बयान दिलाये, आपके सामने गलत कागजात रखवाये, सदन की कमेटी के सामने गलत कागजात रखवाये और फिर झूठी गवाहियां दिलवाने की कोशिशें कीं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इससे बड़ा, इससे घोरतर अपराध आजतक सदन के इतिहास में हुआ है जब कभी ब्रिटिश हाउस आफ कामन्स में इस तरह से अपराध आये हैं तो सदन ने उनको भारी से भारी दंड दिया है। क्या हम इस बात की उपेक्षा करेंगे कि भविष्य में भी इस तरह के घोरतम अपराध सदन के सामने और सदन की कमेटी के सामने हो सकेंगे। मगर हमें विश्वास नहीं है। अगर हमें प्रजातांत्रिक प्रणाली की रक्षा करनी है और यदि हमें इस सदन में, इस सदन के सम्मानित सदस्यों की मान-मर्यादा की रक्षा के सैनिक बनना है और अपनी मान और मर्यादा को बढ़ाना है तो मैं अत्यन्त नम्रतापूर्वक इस सदन से निवेदन करूंगा कि आज हमें एक निश्चय के साथ इस षडयंत्र के बनाने वालों को और जाली कागजात के पेश करने वालों को दंड देना है और मैंने कोई अधिक दंड भी नहीं दिया है। आप देखेंगे, श्रीमन्, कि इतने घोरतर अपराध के लिये दंड केवल इतना

श्री है कि उन लोगों को यहां पर लाकर उनकी भर्त्सना की जाय या ये जो बड़े अधिकारी हैं उनको यहां पर लाकर उनको चेतावनी दी जाय ।

खैर, यह प्रश्न तो बाद को लिया जायगा लेकिन यहां पर मैं इतना ही प्रश्न आपके सामने रखना चाहता हूं और मेरा नम्र निवेदन यह है कि यह प्रश्न गेंदा सिंह जी के विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं है यह हम सभी ४३१ माननीय सदस्यों की मान-मर्यादा की अवहेलना का प्रश्न है, इस सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न है, आज से नहीं परम्पराओं से बने हुये सदन की मान और मर्यादा का प्रश्न है । इसलिये बुद्धिजन्य भावना से हमें इस प्रश्न पर विचार करना है । मुझे आशा है कि यह आदरणीय सदन और माननीय सदस्यगण इस प्रश्न पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगे और मेरे संशोधन की लघुता तथा सरलता पर विचार रखते हुये इस प्रश्न के महत्व को स्वीकार करेंगे ।

*श्री केशभान राय (जिला गोरखपुर)---श्रीमन्, प्रश्न यह है कि विशेषाधिकार की अवहेलना का जो प्रश्न विशेषाधिकार समिति को दिया गया था उससे भिन्न यदि कोई दूसरी अवहेलना हुई है तो क्या उस पर भी इसी समय विचार किया जा सकता है ? जब समिति को यह प्रश्न दिया गया था उस समय जो बात हुई थी उससे यह पता चलता है :

"इस कारण प्राथमिक विश्लेषण में विशेषाधिकार की अवहेलना जेल सुपरिन्टेंडेंट द्वारा होना प्रतीत होता है । अतः मैं इस प्रश्न को जिस समय माननीय गेंदा सिंह ने जेल सुपरिन्टेंडेंट पर विशेषाधिकार की अवहेलना करने का आरोप लगाया है विशेषाधिकार समिति के विचारार्थ निर्देशित करता हूं कि समिति अपनी रिपोर्ट अपनी सिफारिशों सहित २० दिन में उपस्थित करे ।"

प्रश्न यह है कि यह विशेषाधिकार समिति बैठती है उसमें जो गवाही ली जाती है तो विशेषाधिकार की अवहेलना का जो प्रश्न वहां पर होता है वह गेंदा सिंह द्वारा उठाये गये प्रश्न से अलग है ।

श्री अध्यक्ष---क्या आप सुल्तान आलम खां साहब का जो प्रस्ताव है उसके ऊपर आक्षेप कर रहे हैं क्या आप उसको अवैधानिक समझ रहे हैं ?

श्री केशभान राय---मैं यह कहना चाहता हूं कि फजलुर्रहमान तथा लक्ष्मी नारायण ए० पी० पी० कसिया के विरुद्ध जो यह कार्यवाही करनी है उस पर तो यह हाउस विचार करेगा। लेकिन विशेषाधिकार समिति की बैठक में जो अवहेलना उसकी की गई है उस पर यहां विचार किया जाय जब कि यह बात उसको दी नहीं गई, इसके अन्तर्गत आती नहीं है । तो इसके लिये मैं जानना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष---अब मैं प्रश्न समझ गया । मैं उसका जवाब दे देता हूं । इस सदन को किसी प्राथमिक विश्लेषण में यह पता चला कि विशेषाधिकार की अवहेलना हुई तो सदन को तथा मुझे इसे उस प्रश्न को विशेषाधिकार समिति के पास भेजने का अधिकार है । उसने भेजा या मैंने भेजा, किसी हालत में विशेषाधिकार समिति को यह अधिकार है कि जो इस सदन के विशेषाधिकार हैं उनकी अवहेलना अगर किसी मामले में या उसके सिलसिले में हुई तो अवहेलना करने वाले व्यक्तियों को निर्दोषित करके कि उन्होंने अवहेलना की, इस सदन को बता दे कि अमुक व्यक्ति या व्यक्तियों ने वह की है और फिर सदन उस पर विचार करके उनको जो दंड देना चाहे वह दे सकता है । तो इसलिये अगर किन्हीं नाम का ख्याल उस समय नहीं आया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री अध्यक्ष]

जिस वक्त कि विशेषाधिकार समिति के सामने यह मामला भेजा गया और समिति को जांच के दौरान में यह पता चला कि अमुक व्यक्ति ने यह कार्य किया है और वह उसके लिये जिम्मेदार है तो विशेषाधिकार समिति को पूर्ण अधिकार है कि वह अपने प्रतिवेदन में इस सदन के सामने कह दे कि अमुक व्यक्तियों ने विशेषाधिकार की अवहेलना की है और उनको दंड दिया जाय। अब सिर्फ प्रश्न इसमें इतना ही उठता है कि यदि जिसके ऊपर नई तौर पर आरोप लगाया गया है उसको यदि मौका नहीं मिला विशेषाधिकार समिति के सामने अपना बयान देने का, या सफाई देने का तो ऐसे मौके पर सदन यह विचार कर सकता है और निर्णय दे सकता है कि उनको सदन में बुलाया जाय और एक बार मौका दिया जाय। बस यही हो सकता है लेकिन यह स्पष्ट है कि उनके ऊपर आरोप लगाया जा सकता है और सदन को उनको दंड देने का अधिकार है।

श्री केशभान राय--मेरा कहना यह नहीं है। मेरा प्रश्न यह है कि रिपोर्ट को पढ़ने से यह पता चलता है कि विशेषाधिकार समिति के सामने जो झूठा बयान दिया गया यह दूसरी अवहेलना हुई है। इसके पहले गिरफ्तारी से संबंधित जो अवहेलना हुई है उससे इसका कोई संबंध नहीं है क्योंकि यह जो विशेषाधिकार समिति है उसके सामने गलत बयान देना गलत कार्य है और इसके संबंध में समिति को कोई अधिकार नहीं दिया गया था कि वह इस पर विचार करे। जो प्रश्न दिया गया था उसके संबंध में उसे सब बातों पर विचार करने का अधिकार है लेकिन यह बात बाद को पैदा हुई और इसलिये मैं इसके संबंध में आपका विचार जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--आपका पूछने का मतलब यह है कि विशेषाधिकार समिति के सामने जो झूठा बयान दिया और उससे विशेषाधिकार की अवहेलना हुई वह प्रश्न क्या इस सदन में विचारार्थ आ सकता है या नहीं। यह आपका प्रश्न है। तो मेरी राय में वह आ सकता है क्योंकि विशेषाधिकार की अवहेलना करना किसी सदन की समिति का वह भी इस सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना समझी जाती है और नियम ६१ में यह स्पष्ट दिया हुआ है कि किसी सदन की समिति को विशेषाधिकार की अवहेलना करने पर यदि उसके सामने अवहेलना की गई है तो जिसने कहा हो उस व्यक्ति को बुलाने की भी आवश्यकता नहीं, उससे पूछने की भी आवश्यकता नहीं। यह अवश्य है कि जो प्रश्न समिति के विचारार्थ भेजा गया उससे यह प्रश्न भिन्न है लेकिन इस भिन्न प्रश्न पर भी यह सदन विचार कर सकता है क्योंकि प्रतिवेदन में समिति ने यह कहा है कि यह हमारे सामने अवहेलना हुई है।

हां, अगर सदन चाहे कि वह विचार न करें तो न करें। उसे दोनों ही प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं। दूसरे सदन यह भी कह सकता है कि समिति के सामने किसी ने विशेषाधिकार की अवहेलना की है उसके लिये हम दन्ड देना चाहते हैं और दंड दें। लेकिन उसमें सदन को यह भी विचार करना होगा कि आया उसके ऊपर चार्ज लगाया गया था या नहीं, पूंछा गया या नहीं। इस प्रश्न पर सदन को स्वयं विचार कर लेना चाहिये और तब दंड देना चाहिये यह मैंने प्रारम्भ में ही बता दिया था। लेकिन उस प्रश्न पर विचार करने का अधिकार सदन को है।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मैं इनफार्मेशन के लिये एक निवेदन करना चाहता हूं कि वस्तुस्थिति जो है, जो हमारे सम्मानित सदस्य कह रहे हैं वह बिल्कुल भिन्न है। गेंदा सिंह जी ने अपने पत्र में साफ लिखा था श्री रायजादा सुपरिन्टेंडेंट जेल, गोरखपुर श्री विद्या प्रसाद शुक्ला, जिलाधीश, देवरिया और श्री श्याम मुरली मनोहर श्रीवास्तव, ए० डी० एम०, पडरौना, सब का नाम लिखकर अपने प्रथम पत्र में श्री गेंदा सिंह ने आपके पास भेजे थे। और उन्होंने सब पर चार्ज लगाया था और मैं समझता हूं कि समिति की प्रोसीडिंग्स पढ़ने से माननीय सदस्य को भ्रम हुआ है। ऐसी बात नहीं है। उन्होंने तो सब पर चार्ज लगाया था।

श्री अध्यक्ष--यह बात नहीं है। वह यह कहते हैं कि प्रतिवेदन में अमुक वाकयात को माना गया है और उसके दौरान में अमुक अमुक व्यक्तियों ने इस प्रकार विशेषाधिकार की अवहेलना की है तो उस पर हम विचार कर सकते हैं।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सुल्तान आलम खां साहब के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मैं इस सदन में यह नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव पर विचार करते समय हमको इन्टेंशनल ओमिशन्स पर विचार करना चाहिये कि उसका केन्द्रबिन्दु कहां है और उसके अनुसार हमें निर्णय पर पहुंचना चाहिये और इस विषय पर जब मैं विचार करता हूं तो यह पाता हूँ कि इंटेंशनल ओमिशन्स के बाद कान्सीक्वेन्शियल परिणाम हुये हैं। अगर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि किस जगह में इंटेंशनल ओमिशन हुआ है वह एक कांस्प्रेसी का परिणाम था, तो हम इस परिणाम पर पहुंच सकते हैं कि जितने भी व्यक्ति हैं वह सब दंड के भागी हो सकते हैं। लेकिन मैं विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट देख चुका हूं और जो मैं सदन में सीख चुका हूं उससे इस परिणाम पर पहुंचता हूं कि ऐसा नहीं है। हमारे दृष्टिकोण में भेद है। कहीं कहीं तो हमें प्रतिहिन्सा की प्यास का दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है और कहीं कहीं पर इस बात को भूल जाते हैं कि न्यायालय की एक कड़ी टूट जाने पर उसकी विशेष कड़ियाँ जो हैं वह सब टूट जाती हैं। जहां तक मैं कानून को समझता हूँ भारतीय दन्ड विधान की आधारशिला ही इस प्रकार टूट जाती है। यह अगर हम भूल जायं और उसको सामने न रखें तो यह ठीक नहीं है। मैं इस सदन से प्रार्थना करूंगा कि इस दृष्टिकोण से इस पर विचार करे तो ऐसा प्रतीत होता है कि रिमांड आर्डर चाहे भूल से हो या न हो, वैधानिक हो या अवैधानिक हो वह जिस अधिकारी से संबंधित था वह उसको उपस्थित करने को किस तरह से भूल सकता है। इसलिये हमें इस दृष्टिकोण से विचार नहीं करना चाहिये कि किस अधिकारी के सामने रिमांड का आर्डर देने को था। इस दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो इसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि वही उसका अपराधी था, जिसे रिमांड की प्रार्थना प्रस्तुत करनी थी। अपराधी को दंडित करते समय हमें जैसे यहां पर दंड के दृष्टिकोण से विचार करना है, तो जो माननीय प्रस्ताबक ने रखा है और जो रिपोर्ट में वर्णित है, उसके अन्दर एक मर्यादा पाते हैं। किन्तु उनके साथ-साथ मैं इस बात को पुनः दुहराकर बैठ जाऊंगा कि हमारा दृष्टिकोण इस तरीके से यह होना चाहिये कि वह त्रुटि कहां हुई है, किस संबंधित व्यक्ति के कारण त्रुटि हुई है? आया उस त्रुटि के अन्दर कोई कांस्पिरेसी है, यदि कांस्पिरेसी है तो हम संबंधित व्यक्तियों के लिये कह सकते हैं, उनके ऊपर आरोप लगा सकते हैं। नहीं तो हम उस परिणाम पर नहीं पहुंच सकते हैं और न उस पर विचार करने का प्रश्न ही हो सकता है। रह गई माननीय केशभान राय जी की आपत्ति की बात। उसके अधिकांश भागों को न स्वीकार करते हुये भी मैं उसके कुछ भागों को अत्यन्त रेलीवेन्ट समझता हूं। अपने डिफेंस में जिन व्यक्तियों ने जो कुछ प्रयत्न किया है उस दंड को देते समय उन बातों के ऊपर विचार करके यदि हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करेंगे तो सही निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे। वह एक स्वतंत्र अपराध है। इस समय हमको केवल यही देखना पड़ेगा कि चार पांच दिवस तक माननीय सदस्य के कारावास में रह जाने के कारण सदन में न पहुंचने की जो असुविधा हुई, या जो कुछ भी आधारशिला रखी गई है, उसमें त्रुटि कहां से हुई और इस दृष्टिकोण से हम पुनः इस बात का समर्थन करेंगे कि सही तरीका वही है जैसा कि हमारे माननीय सुल्तान आलम खां साहब ने पेश किया है।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, जो प्रश्न इस समय सदन के समक्ष प्रस्तुत है यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें वर्तमान दंड विधान की आधारशिला कहां टूटती है और उसकी मर्यादा कैसे सुरक्षित होती है, इस पर दृष्टिकोण में अन्तर पड़ सकता है। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि जनतांत्रिक विधान के दंड विधान की आधारशिला जो है वह सर्वमान्य है कि एक क्षण के लिये भी, एक पल के लिये भी इल्लीगल डीटेंशन अगर किसी का होता है तो वह क्रिमिनल ऐक्ट है। ऐसा होना नहीं चाहिये। तो मैं छः दिन, एक दिन या एक क्षण के इस

[श्री राजनारायण]

वादविवाद में नहीं पड़ना चाहता। इस समय हमारे सामने प्रश्न यह है कि क्या सदन के सम्मानित सदस्य माननीय गेंदा सिंह जी का २१ तारीख के बाद तक का डीटेंशन चाहे वह एक ही क्षण का क्यों न हो उचित था या अनुचित, कानूनी था या गैरकानूनी था। अगर वह गैर कानूनी था तो उस डीटेंशन के लिये जो लोग जिम्मेदार हैं वह दोष के भागी होते हैं या नहीं होते हैं, यह प्रश्न हमारे सामने आता है और इससे बड़ा व्यापक प्रश्न श्रीमन्, मैंने थोड़े में, संक्षेप में निवेदन किया था पहले कि जनतंत्रात्मक प्रणाली को प्रतिष्ठित करने का है। ठीक है, जुडिशियरी, एक्जीक्यूटिव, सब अलग अलग हैं। मगर आज ला ऐंड आर्डर को मेंटेन करने की जो प्रथा कायम है और उस प्रथा में जो परिवर्तन, परिवर्द्धन और संशोधन करने की आवश्यकता हम महसूस करते हैं, इन दोनों को सामने रख करके हमें इस पर विचार करना चाहिये, ऐसा हमारा मत है। इन बातों को सामने रखते हुये श्रीमन्, मैं निवेदन करूंगा कि पहले तो प्राचीन यानी जो एग्जिस्टिंग लाज (वर्तमान कानून) हैं उसके दंड विधान की आधारशिला क्या है। उसको देखें और फिर जो हम जनतांत्रिक प्रणाली को प्रतिष्ठित करना चाहते हैं उसमें इससे कितना खतरा पैदा होता है, उसके ऊपर दृष्टिपात करें। यह स्पष्ट है श्रीमन्, मैं लीगल रिमेंम्बरेंसर के मत को पढ़ना चाहता हूं। विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट जो हमारे सामने पेश हुई है, उसके पांच पेज को सम्मानित सदस्य सामने रखकर के पढ़ें। लीगल रिमेंम्बरेंसर के मत के अनुसार क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा ३४४ के अन्तर्गत किसी विचाराधीन कैदी को रिमांड आर्डर देते समय विचाराधीन कैदी की उपस्थिति आवश्यक है।

अब जो भारतीय दंड विधान की आधारशिला है मैं अपने आदरणीय सम्मानित सदस्यों से कहना चाहता हूं कि वह क्या आधारशिला है। यही तो आधारशिला है। माननीय गेंदासिंह जी को मजिस्ट्रेट महोदय को जेल से निकाल कर कोर्ट में बुलाना आवश्यक था। अगर गेंदा सिंह जी को कोर्ट बिना उपस्थित किये ही रिमांड आर्डर दिया है तो वह इल्लीगल (गैरकानूनी) है। श्रीमन्, आधारशिला की बात कही जाती है। मैं निवेदन करता हूं कि सही माने में हम इसी आधारशिला को पेश करना चाहते हैं कि क्या उसकी मर्यादा की रक्षा हुई है? मैं समझता हूं कि इस सदन में कोई माननीय सदस्य ऐसे नहीं होंगे जो कह सकें कि इसकी मर्यादा की रक्षा हुई है बल्कि पूर्ण अवहेलना हुई है और मर्यादा भंग हुई है और उस अधिकारी को जब हम कहते हैं कि जिसने मर्यादा भंग की है उसको दंड दिया जाय, उसको सदन में प्रस्तुत करके चेतावनी दी जाय, उसकी भर्त्सना की जाय तो कही जाती है आधारशिला की मर्यादा की बात देखने को। वह कौन सी मर्यादा की बात है हम उसको देखने के लिये हर समय तैयार हैं।

श्रीमन्, इसके बाद मैं आगे कहना चाहता हूं कि समिति की अवाप्तियों के संबंध में आप इसका दूसरा पेज निकाल लें और माननीय सदस्य उक्त पृष्ठ को खोलने की कृपा करें और देखें कि इस समिति की फाइंडिंग्स क्या हैं। इसकी सातवी फाइंडिंग में कहा गया है कि 'समिति की बैठकों में विचाराधीन विषयों से संबंधित बहुत सी बातें उठाई गईं"। श्रीमन्, मैं निवेदन करूंगा कि शायद बोलने का समय १५ मिनट का होगा, मगर मैं एक सत्य को कहना चाहता हूं। जो रिपोर्ट इस समय प्रस्तुत है यदि आप हमें अपने मत को प्रगट करने का मौका दें तो उसकी एक एक लाइन को पढ़कर हम साबित करेंगे कि श्री नारायणदत्त जी तिवारी का संशोधन उचित है अगर उसको नहीं मानते हैं तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जो छोटे आदमी इस शासन की कड़ी में हैं उनको दंड देने से कोई फायदा होने वाला नहीं है और हम लोगों की मुसीबत ज्यों की त्यों बनी रह जायगी।

सातवीं बात को श्रीमन् अगर देखा जाय तो उसमें कहा गया है कि समिति की बैठकों में विचाराधीन विषयों से संबंधित बहुत सी बातें उठाई गईं और समिति ने विचाराधीन विषय पर बहुत से दृष्टिकोणों से विचार किया। श्री फजलुर्रहमान के २४ मई के साक्ष्य से समिति को यह आभास मिलने लगा कि इस मामले में जालसाजी का भी मामला सम्मिलित है। यह समिति

की फाइंडिंग है, यह राजनारायण की या नारायणदत्त जी की बात नहीं है। समिति कहती है कि हमें जालसाजी का आभास मिल रहा है, श्री फजलुर्रहमान के लिये सुल्तान आलम खां साहब ने कहा है कि उसको माफ किया जाना चाहिये क्योंकि उसने एक सत्य का उद्घाटन किया है। उसने ऐसी ऐसी बातों को बतलाया है जिससे समिति सचाई को पा सकी। श्रीमन्, जब हाउस से कहा जाता है कि उसको छोड़ दिया जाय क्योंकि उसने सत्य को प्रगट किया है और उससे समिति को जालसाजी का आभास मिला तो हम कहते हैं कि वह जालसाजी क्या थी और उसमें कौन कौन लोग सम्मिलित थे। जब कहा जाय कि जो लोग सम्मिलित हैं, श्रीमन्, इसमें हमारा कोई मोटिव नहीं है बल्कि हम इतना ही कहना चाहते हैं कि जो वर्तमान कानून की आधार शिला है उसके अन्दर देखा जाय तो जो जालसाजी के जिम्मेदार हैं क्या उनको सजा देने का सदन का कर्तव्य नहीं है? अगर हम उनको छोड़ देते हैं तो क्या हम अपने कर्त्तव्य का पालन करते हैं?

श्रीमन्, आगे हम आप से निवेदन करेंगे कि श्री नारायणदत्त जी ने अपने संशोधन में जिलाधीश और जेल सुपरिंटेंडेंट को रखा है, एस० डी० एम० को रखा है, यही तो उनके संशोधन में बढोत्तरी है, वृद्धि है। इस रिपोर्ट के पेज तीन पर जो आठवीं फाइंडिंग है उसके अंतिम पैरा को पढ़ जाइये उसमें श्री मेहरोत्रा को सजा देने की बात सुल्तान आलम साहब के संशोधन में है। वह कहते हैं कि मुझे जिलाधीश देवरिया और एस० पी० देवरिया ने भेजा कि किसी एक गोप्य विषय के समिति के सामने न खुलने देने के लिये और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सुपरिंटेंडेंट पुलिस से पूछा जाता है तो वह कहते हैं कि नहीं कुछ खास बातें थीं वह प्रगट न होने पायें उसके लिये उन्हें भेजा था और समिति यह कहती है कि मेहरोत्रा साहब ने मेरे पास आकर अपने को उपस्थित करने के लिये कोई नोटिस हमें नहीं दी। यह क्या बात है? मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि आखिर जो समिति की फाइंडिंग्स हैं, समिति ने इतनी जांच पड़ताल के बाद जिन विषयों को प्राप्त किया है उससे भी हम पीछे चले जायं? अगर माननीय सुल्तान आलम खां साहब के प्रस्ताव को लेकर यह सदन रह जायगा तो जो समिति ने बहुत मेहनत से जांच पड़ताल के बाद कुछ बातों को प्राप्त किया है उससे भी हम पीछे चले जायेंगे। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि दरअस्ल भारतीय दंड विधान में क्या है। इनवेस्टिगेटिंग आफिसर जो होता है वह रपट करता है। वह कहता कि हमें अभी गवाहियां नहीं मिली हैं इसलिये हमको समय मिलना चाहिये, रिमांड मिलना चाहिये, इनवेस्टिगेटिंग आफिसर की रिपोर्ट कहीं भी प्राप्त नहीं है। कहीं उसकी चर्चा नहीं है कि वह रिपोर्ट किसके पास आयी असिस्टेंट पब्लिक प्रासिक्यूटिंग आफिसर साहब कहते हैं कि हमने खुद कर दिया। क्यों कर दिया उन्होंने? उनको क्या पता है कि इसमें रिमांड लेना चाहिये या नहीं? एक-एक कड़ी भारतीय दंड विधान को तोड़ी गयी है, मर्यादा भंग की गयी है। उसके भंग करने में डि० मैजिस्ट्रेट साहब का सबसे बड़ा हाथ है। मैं आपको पेज में विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि पेज २६ देखा जाय: "Letter of Superintendent, District Jail, Gorakhpur to the S. D. M., Padrauna, District Deoria No. 58/NP., dated Feb. 18, 54." १८ तारीख को सुपरिन्टेंडेंट जेल, गोरखपुर ने एस० डी० एम० पडरौना को लिखा है कि गेंदा सिंह जी का रिमांड २१ तारीख को आना चाहिये, अगर उनको जेल में रहना है। इसके बाद फिर २३ तारीख को सुपरिन्टेंडेंट जेल, डि० मैजिस्ट्रेट देवरिया को वायरलेस करता है और कहता है कि इनका टाइम बीत गया है। जेल में गैरकानूनी तरीके से पड़े हुये हैं। लेकिन डि० मैजिस्ट्रेट साहब अपने कान में तेल डाल कर बैठे हुये हैं। उनको इस बात की कोई परवाह नहीं है कि इसकी जांच पड़ताल करके देखें कि विधान सभा के सम्मानित सदस्य गोरखपुर की जेल में पड़े हुये हैं उनको छुटाना आवश्यक है। इसके बाद श्रीमन्, मैं पूछना चाहता हूं कि जिलाधीश ने ऐसा काम क्यों किया? क्या दरअस्ल षडयंत्र में उनका हाथ नहीं था? आगे चलकर जरा और देख लिया जाय।

श्री अध्यक्ष--जरा संक्षेप में कीजिये।

श्री राजनारायण—संक्षेप कर रहा हूं। रामनारायण जी की एक विमति ६८ पेज पर है। जरा उसको भी मैं सम्मानित सदस्यों के सम्मुख रखना चाहता हूं पृष्ठ ७६ है। उससे स्पष्ट है कि यह भी नहीं कहा जा सकता कि इन बातों के ऊपर समिति के अन्दर ध्यान आकृष्ट नहीं किया गया। रामनारायण जी ने बहुत सफाई से दो तीन सवाल उठाये। पहला सवाल यह उठाया कि श्री फजलुर्रहमान ने अपने बयान में यह कहा है कि ३०-३-५४ को जब वे एस० डी० एम० पडरौना तथा ए० पी० पी० कसिया के साथ एस० डी० एम० की कार में देवरिया ले जाये गये, तो पहले यह पूरा दल जिलाधीश के ही यहां गया। यही फजलुर्रहमान है जिन्होंने जालसाजी के रहस्य का उद्घाटन किया, जिन्हें छोड़ देने की सिफारिश की जाती है। और मैं यह साफ कर देना चाहता हूं कि मेरी इस बात से यह न समझा जाय कि हम किसी सरकारी कर्मचारी को दंड देने के ही पक्ष में रहते हैं। हम चाहते हैं कि जो सही अपराधी है उसकी पकड़ हो।

इसके बाद मैं जानता हूं माननीय गेंदा सिंह ने चूंकि बहुत उदार आदमी हैं उन्होंने कहा कि मैं अपने चार्जेज को वापस लेता हूं जब उनको मालूम हुआ कि सही कलप्रिट (अपराधी) नहीं पकड़ा जा रहा है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि हम सब लोग बैठकर विचार करें और ऐसी परिपाटी न बनायें जिससे हमारे अधिकार कुंठित होते रहे। फजलूर्रहमान साहब लाये जाते हैं, ए० डी० एम० पडरौना और ए० पी० पी० लाये जाते हैं, जिलाधीश के सामने सब लोग जाते हैं और फजलुर्रहमान बाहर रह जाते हैं और फिर फजलुर्रहमान को कार में ले जा कर और लोग डी० एस० पी० के पास पहुंचते हैं और डी० एस० पी० के यहां सारी कार्यवाही होती है तो फिर क्या इससे यह प्रगट नहीं होता कि जिलाधीश की जानकारी में यह सारी जालसाजी होती है। जिलाधीश सबसे बड़ा आफिसर है। महात्मा गांधी के अल्फाज में कहा जाय तो हर जिले में एक-एक गवर्नर जनरल है तो वह जिलाधीश जब हमारे अधिकारों की रक्षा नहीं करता है तो उसे कैसे छोड़ा जा सकता है, उसे छोड़ना सारी मर्यादा को भंग करना है।

दूसरा सवाल रामनारायण जी ने उठाया कि सुपरिंटेंडेंट जेल, गोरखपुर ने एक रिमांड आर्डर के लिये १८ को और दूसरा २३ को लिखा और तार दिया लेकिन उस पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने कोई कार्यवाही न की। इसका जवाब जिलाधीश को देना चाहिये। समिति को चाहिये था कि जिलाधीश को बुला कर पूछा जाता कि उसने इस तरह की अवहेलना क्यों की, अपने कर्त्तव्य का पालन क्यों नहीं किया। फिर कसिया और देवरिया में टेलीफोन संबंध है, टेलीफोनिक मेसेज से सारी बातें हो सकती थीं।

सबसे बड़ा सवाल मैं यह कहता हूं कि जब माननीय गेंदा सिंह २३ तारीख को तार देते हैं चीफ मिनिस्टर को, अध्यक्ष को, लीडर आफ अपोजीशन को और उस तार को जेल सुपरिन्टेंडेंट जिलाधीश को भेजते हैं तो क्या जिलाधीश उसको पढ़ नहीं सकते थे, उसके महत्व को नहीं समझ सकते थे, उसके रोकने का क्या औचित्य उनके पास था? कांग्रेस की सरकार की विशेष अनुकम्पा से मैं भी ६ मर्तबा जेल गया। वहां से मैंने तार दिया अगर गेंदासिंह जी के तार का मसला न उठा होता तो मेरा तार भी रोक लिया जाता लेकिन अब ऐसी व्यवस्था हो गई है कि चिट्ठी तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के द्वारा ही भेजी जायगी लेकिन तार सीधे-सीधे चला आता है। श्री राममनोहर लोहिया जी ने तार भेजा तो सीधे-सीधे चला आया, कानपुर से, मैंने तार भेजा तो सीधे-सीधे चला आया।

हमें इस प्रश्न पर गौर करना चाहिये कि जब बाद में मालूम हुआ कि गेंदासिंह जी जमानत पर जा रहे हैं तो उन्होंने उसे एस० डी० एम० के पास भेज दिया, इसका क्या मतलब था। वर्तमान दंड विधान की जो आधारशिला है, सोशलिस्ट दंड विधान की बात मैं नहीं कह रहा हूं, कोई नई चीज रख कर इन अधिकारियों को मैं दंडित करने की बात नहीं रख रहा हूं बल्कि जो ओल्ड एंड एक्जिस्टिंग (पुराना तथा वर्तमान) दंड विधान है उसी की मर्यादा

भंग होती है और उसी के अनुसार माननीय सदस्य को सदन की कार्यवाही में भाग लेने से रोका गया है। इसलिये हमें बहुत दुख होगा यदि जो संबंधित अधिकारी है वह इससे छूट जाता है। यदि कोई संबंधित अधिकारी है तो वह जिलाधीश है और उसने ही दूसरों को दोषी बनाया है और वही सबसे बड़ा आफिसर है और उसके इशारे पर ही सब कार्यवाही हुयी है, सब को कार में बैठाकर वहीं पर लाया गया था। इस कारण वही जिम्मेदार आदमी है।

इन शब्दों के साथ मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि वे भावुकता में न जायं और अच्छे तरीके से इस विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट को पढ़ने की कृपा करें और इसकी एक एक लाइन को पढ़ने की कृपा करें उसके बाद जो उनकी साधु बुद्धि आज्ञा प्रदान करे वह उसकी ही करें। ऐसा न हो कि भारतीय दंड विधान की अवहेलना की बात को इस प्रकार सरल तरीके से कह दें बिना इस रिपोर्ट की गहराई में गये हुये। अगर ऐसा होगा तो यह अन्याय होगा। मैं फिर इस भाव को व्यक्त कर देना चाहता हूं कि हम लोग ख्वामख्वाह किसी सरकारी कर्मचारी को दंड नहीं देना चाहते हैं किन्तु ला एन्ड आर्डर का सही रूप से पालन हो यह हम अवश्य चाहते हैं। इसमें सभी का हित है। आज आप में और हममें कुछ अन्तर है। सरकारी अफसर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके इस प्रकार से रखे और सरकार उस पर इस प्रकार से फैसला करे तो यह एक मर्यादा का प्रश्न है और जनतंत्र का प्रश्न इसमें निहित है। इसको साधारण दृष्टि से देखने से काम नहीं चलेगा। इसमें मौलिक प्रश्न निहित है जिसको भली प्रकार से समझना है और देखना है। हम जितने भी यहां पर माननीय सदस्य उपस्थित हैं यह सबके लिये महत्व का प्रश्न है, किसी दलगत भावना से इसको नहीं देखना है। अगर वह इस प्रकार से इसको देखेंगे तो हमारा जो कथन है उसकी एक-एक बात को, जितने यहां पर सम्मानित सदस्य हैं, सत्य पायेंगे। बस, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

*श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा)--मुहतरिम अध्यक्ष महोदय, यह जो सवाल हमारे सामने पेश है हमको खुशी है कि इसको किसी ने पार्टी पालिटिक्स के अन्दाज से नहीं देखा बल्कि इस हाउस का वकार बाकी रखने के लिये और उसकी इज्जत को कायम रखने के लिये जो भी मुमकिन था उसको सोचा गया। प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट यह जाहिर करती है कि वह इस नतीजे पर पहुंची है कि इस तरह की उसकी राय है। कमेटी ने बहुत ईमानदारी के साथ और बहुत दयानतदारी के साथ इसको देखा है। उसने इस सवाल को पार्टी पालिटिक्स की बिना पर इसको नहीं देखा है। उसने बहुत देख कर और समझ कर इस मामले को हल किया है। उसकी रिपोर्ट से यह बात जाहिर है कि उसने बहुत नरमी के साथ इस सवाल को देखने के बाद सरकारी अफसरों को कसूरवार पाया। कमेटी ने बहुत से आदमियों के बयान भी लिये और गवाही भी ली वह इसलिये कि इस एवान का कोई मुवज्जिज मेम्बर अपने हक का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर पाया। अगर कोई मेम्बर अपने हक का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता है तो यह असल में सूबे के अन्दर बहुत जुर्म है। सुल्तान आलम साहब ने भी इसके ऊपर अपनी राय का इजहार किया और यह सही है कि कमेटी ने इस बात की भी कोशिश की है कि क्या कोई आदमी हमारी निगाह से बच गया है जो इस जुर्म में शरीक रहा हो। तो हमको जरा भी हिचक तम्बीह देने में न होनी चाहिये।

हमें उनको पूरे तरीके से वार्निंग देनी चाहिये, उनकी मलामत करनी चाहिये कड़ी से कड़ी सजा देने में भी हमको नहीं हिचकिचाना चाहिये, अगर उन्होंने जुर्म किया है ऐसा साबित होता ह। आज सूबे में ऐसी सिचुएशन पैदा हो गयी है कि हमको आज इसी वक्त से उसको ठीक करना है। यही नहीं इससे पहले भी श्री नारायणदत्त तिवारी जी का वाकया हो चुका है जिसमें भी यह साबित हो चुका है कि जिम्मेदार आफीसरों ने अपनी जिम्मेदारी को बिल्कुल भी महसूस नहीं किया। चाहे इस ऐवान के मेम्बर हों या इससे ऊंचे ऐवान के मेम्बर हों, अपनी अफसरियत की गरूर में उन्होंने उनके साथ बेजा बरताव किया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी]

इसमें फज़लुर्रहमान साहब के मुताल्लिक यह सिफारिश की गयी है कि उनको माफी अता कर दी जाय। अगर यह बात हो कि प्रिविलेज कमेटी ने उनसे यह वायदा कर दिया हो कि उनको माफी दे दी जायगी, इसलिये कि उन्होंने उन मालूमात को बहम पहुंचाया जिन पर पर्दा पड़ चुका था तो ठीक है वरना अगर उन पर जुर्म में शरीक होना साबित होता है तो मैं बड़े अदब के साथ यह गुजारिश करूंगा कि इस प्रिविलेज के गारत करने में उनको सजा दी जाय और जनाबवाला के सामने, इस सदन के सामने उनको भी वार्निंग दी जाय, उनकी मलाहमत की जाय। यह वक्त है कि उनको जनता के सामने आना चाहिये। प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट में इस बात का तज़किरा मौजूद है कि जेल सुपरिंटेंडेंट ने वायरलेस किया, इत्तला दी लेकिन उसकी कोई परवाह नहीं की गयी। जब कि उनको मालूम था कि यह मामला उस हाउस के सामने आ सकता है जिसके हाथ में इस सूबे का पूरा इन्तजाम है। जिसको यह अख्तियार है कि कोई कानून पास करके कोई हकूक किसी को दे या किसी से कोई हक़ छीन ले। अगर हमने इस पर ठीक तरह से कारवाई नहीं की और इस तरह के हादसात चलते रहे तो जो कुछ भी ऐडमिनिस्ट्रेशन हमारा बाकी है वह सब ख़त्म हो जायगा, जिस ऐडमिनिस्ट्रेशन को अपनी जान देकर भी कायम रखने का तहैया करके हम लोग यहां आये हैं, इसी का हलफ लेकर यहां आये हैं कि हम नेक से नेक एडमिनिस्ट्रेशन रखने की कोशिश करेंगे। माननीय सुल्तान आलम खां साहब और माननीय गेंदा सिंह जी मुझे मुआफ फरमायें, हमें वहां के डी० एम० को भी एक लमहे के लिये भी माफ नहीं करना चाहिये वरन् इस तरह से उन लोगों को तौहीन करने का बार बार मौका दिया गया तो आप याद रखिये कि इस ऐवान के ही नहीं ऊंचे के ऐवान के सदस्य भी जो इस सूबे के अन्दर रहते हैं, किसी की इज्जत आबरू महफूज नहीं रहेगी। लिहाजा अगर हम वाक़यात को देखें तो यही नहीं ऐसी बहुत सी चीजें हमको मिलती हैं। इसी कौंसिल में सवाल किया गया था कि मैं पीलीभीत गया और बावजूद मेरे तार देने के, दरख्वास्त करने के, डी० एम० ने मिलने से इंकार कर दिया और फिर ग़लत बयानी कर दी कि उस वक्त वे खतरनाक बीमारी में मुब्तिला थे। बीमारी का मुझसे बहाना कर दिया और ३-३ आदमियों से वे मिलते रहे। इस मौके पर अगर हम माननीय गेंदा सिंह जी की तौहीन को बरदाश्त कर लेते हैं, प्रिविलेज को बरबाद होते हुए देख लेते हैं तो आगे भी जो हकूक हमें मिले हैं उन्हें हम उन लोगों के हाथ पामाल होते हुए देखेंगे। यह हमें अभी नहीं आगे देखना पड़ेगा, आगे देखना पड़ेगा और और आगे देखना पड़ेगा।

आज हमारे सामने यह सवाल नहीं है कि माननीय नारायणदत्त जी तिवारी ने यह तरमीम पेश की है या माननीय सुल्तान आलम खां ने यह तरमीम या रेजोल्यूशन पेश किया है या और किसी आनरेबिल मेम्बर ने पेश की है। राजनीतिक मामलों में तो हम औरों को जवाब देंगे लेकिन इस मामले में हमको यह चीज लेकर बाहर जाना है कि ऐवान का एक-एक मेम्बर चाहे वह अपोजीशन का लीडर हो चाहे वह अपोजीशन का मेम्बर हो, चाहे वह ट्रेजरी बेंचेज का मेम्बर हो, चाहे वह मिनिस्टर हो, सभी इस बात में मुतफिक हैं कि हम पूरी ताकत के साथ, पूरी कुव्वत के साथ ऐडमिनिस्ट्रेशन को सम्भालेंगे। इस ऐवान के एक-एक आदमी के प्रिविलेज और इज्जत को हमें महफूज रखना है।

जनाबवाला, मैं तो समझता हूं कि जहां तक हम लोगों की इज्जत का सवाल है उसके साथ ही साथ यह इस चेयर की प्रेस्टिज का भी सवाल है आप के होते हुए इस तरह से बाहर हमारे हकूक पामाल किये जायं। मैं तो आपके जरिये इस सदन के सभी मेम्बरों से अपील करता हूं कि इसके लिये एक कड़ा कदम उठाया जाय और मैं इस हाउस से अपील करता हूं कि वह माननीय नारायणदत्त जी की तरमीम को मंजूर कर ले और मंजूर करके तमाम गवर्नमेंट सर्वेंट्स को यह बतला दे कि इस तरह के हरकतों

की यह सजा होती है ताकि आयन्दा कोई गवर्नमेंट सर्वेन्ट इस तरह की गलती करने का साहस न कर सके और उसकी गलती को रोका जा सके। क्योंकि अगर आपने उनको दंड नहीं दिया तो इस तरह के हमारे हकूक उनके हाथों में महफूज नहीं रहेंगे और वे पूरे तरीके से हमारी तौहीन करते रहेंगे। यही नहीं कि इससे इस सदन के वकार को सदमा पहुंचता है तथा कानून को सदमा पहुंचता है और कांस्टीटयूशन को सदमा पहुंचता है बल्कि बाहर गवर्नमेंट की प्रैस्टिज भी जाती है। चाहे कोई भी पार्टी बरसर एक्तदार रहे लेकिन इस तरह से गवर्नमेंट प्रैस्टिज के नाम पर ऐसी गलती करने की हिम्मत कोई भी नहीं करेगा। यह गवर्नमेंट प्रैस्टिज का भी सवाल है, हाउस की प्रैस्टिज का सवाल है, आनरेबिल मेम्बर्स की प्रैस्टिज का सवाल है। तो इसमें सब को मुत्तफिक होकर इसको मंजूर कर लेना चाहिये और इसके मंजूर करने के बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को यहां बुलाया जाय। उनको किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहिये ताकि आप उनको उचित सजा दे सकें, या यह ऐवान दे सके ताकि आयन्दा का दरवाजा बन्द हो। आखीर में मैं फिर इन चन्द अल्फाज के साथ आनरेबिल मेम्बरों से अपील करता हूं और दरख्वास्त करता हूं कि जो तरमीम पेश की गयी है उसको कबूल फरमावें।

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)---अध्यक्ष महोदय, मैंने .....।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि श्री नारायणदत्त तिवारी जी के उस प्रस्ताव को जिसे मैंने उस वक्त पेश करने की इजाजत नहीं दी थी और कहा था कि वे उसको अलग से पेश करेंगे, जिस शक्ल में वह आया है, मैं अब विचार करने पर समझता हूं कि उनके संशोधन में वह शामिल हो सकता है। तो आप कृपा करके बैठ जायं ताकि वे उसको पेश कर दें, फिर उसके बाद आप पूरे संशोधन पर अपना भाषण दे सकते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं कि आपने कृपा करके जो पहले यह कहा था कि इसको अलग से पेश करेंगे, उसको इसी में शामिल करने की इजाजत दे दी। जो मैंने पूर्व प्रस्ताव संशोधन के रूप में पेश किया है उसके अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :---

"यह सदन यह भी निश्चय करता है कि श्री गेंदा सिंह के विशेषाधिकार सम्बन्धी प्रश्न के सम्बन्ध में उपस्थित विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन में उल्लिखित जाली कागजात के सम्बन्ध में श्री मेहरोत्रा आदि अधिकारियों के विरुद्ध ऐडवोकेट जनरल यू० पी० कानूनी कार्यवाही शुरू करें।"

श्रीमन्, मुझे ज्यादा कुछ कहना नहीं है। मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के उद्धरण मैंने दे दिये हैं और हाउस आफ कामन्स के भी काफी कोटेशंस मेरे सामने हैं, अगर कोई माननीय सदस्य देखना चाहें तो मैं उनको देखने के लिये भेज सकता हूं।

श्री अध्यक्ष---वह बात सबके सामने है।

*श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---जनाबवाला, मैंने आज सुबह से जो बहस यहां हुई उसको सुना और मैंने एक बहुत बड़ी बात यह महसूस की कि कुछ साहबों ने जो तकरीरें कीं उससे ऐसा मालूम होता था कि वह उसको भूले हुये हैं कि हम किस चीज पर बहस कर रहे हैं। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं और मेम्बरान की तवज्जह दिलाना चाहता हूं कि हम जिस चीज पर बहस कर रहे हैं, जो हमारे सामने है वह एक बड़ी इज्जत वाली चीज है और हमको उसकी बड़ी कद्र करनी है। वह है एक कमेटी की रिपोर्ट जिसको कि इस हाउस ने बनाया है और वह एक फैसला है। किसी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

मिनिस्टर का नहीं, किसी अदालत का नहीं, किसी बड़े सरकारी अफसर का नहीं बल्कि उन मेम्बरान का है जिनकी इज्जत और शान की हिफाजत के लिये ब्रीच आफ प्रिविलेज का एक तरीका रखा गया है, उनका फैसला है। मैं उस फैसले को किस निगाह से देखूं, कहां तक उसको काबिले अमल समझूं और कहां तक उसकी मुखालिफत करूं एक बात यह सोचने की है। इस सदन के सामने इस वक्त एक रिजोल्यूशन है और जो सिफारिशें प्रिविलेज कमेटी ने की हैं उनको मंजूर किया जाय। उसके साथ में हमारे सामने कुछ तरमीमें हैं जिनका मंशा यह है कि अलावा उस रिपोर्ट को मंजूर करने के ये बातें और की जायं, वह क्या बात है। मेरे नजदीक उसका खुलासा सिर्फ इतना है कि कुछ आदमी जो कि उस कमेटी में किसी सजा के लिये मुस्तहक नहीं थे, कमेटी ने जिन्हें किसी सजा देने के काबिल नहीं समझा, उनको सजा दी जाय। यह उन संशोधनों का मेरे नजदीक एक खुलासा है और मैं कम से कम उनको इसी रोशनी में देखता हूं कि आया बावजूद इस बात के जो मैं समझता हूं और जो मुझे मालूम है, गो कि मैं मेम्बर तो नहीं था उस कमेटी का लेकिन यह मुझको मालूम है कि जिन साहबों का नाम इन तरमीमों में है उनमें से एक को तो बावजूद इस मतालबे के और इस क्वेश्चन के सामने आने कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को तलब किया जाय उस कमेटी ने जो मेम्बरान की कमेटी थी यह फैसला किया कि ऐसी कोई चीज हमारे सामने नहीं है जिसकी बिना पर हम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के खिलाफ कोई कार्यवाही करें। एक फैसला यहां पर मौजूद है। उसके बाद कुछ और आदमी बुलाये गये जिनसे बातें की गईं, जिनको मौका दिया गया, उनके खिलाफ कुछ कहा जाता था वह बातें उनके सामने रखी गईं और उनसे पूछने के बाद कमेटी इस नतीजे पर पहुंची कि उनके लिये किसी सजा की जरूरत नहीं है और वह किसी सजा के मुस्तहक नहीं हैं। तो एक फैसला कमेटी ने यह किया कि फलां शख्स को जिसके लिये इस तरह से प्रिविलेज की बात कहते हैं उसने इस तरह से कार्यवाही की लेकिन हम इस काबिल समझते हैं कि उसको मुआफ कर दिया जाय और एक को कहते हैं कि उसको यहाँ पर ले आकर उसको ऐडमानिश किया जाय या जो सजा तजवीज की है वह सजा उसको दे दी जाय। यह एक फैसला है।

मैंने अभी जो तकरीरें सुनीं उनसे यह मालूम होता था कि वह फैसला कि जिसके खिलाफ कि इस वक्त रेजोल्यूशन है और जिसके खिलाफ इस वक्त तरमीमें हैं वह फैसला किन्हीं ऐसे आदमियों का दिया हुआ है कि जिनके कामों के ऊपर हम अक्सर तबर्रा करने के आदी हैं। सरकारी मुलाजिम, सरकारी मुलाजिम, सरकारी मुलाजिम ऐसे हैं और वैसे हैं, वह जैसे भी हैं उस कमेटी के फैसले से उनका कोई ताल्लुक नहीं और अगर किसी सरकारी मुलाजिम को इस हाउस की बनाई हुई कमेटी ने यह कहा है कि वह सजा का मुस्तहक़ नहीं है तो वह नहीं है, मैं कहता हूं कि वह नहीं हो सकता .....।

श्री राजनारायण--इतनी गरमी की क्या जरूरत है ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम--और इससे बड़ा पक्का सबूत इस बात का कोई दुनिया में हो नहीं सकता है। मेरा गुस्सा इस बात पर है कि मेम्बरों को इस तरह से ज़लील किया जाय इस हाउस के अन्दर, मेम्बरों का फैसला मेम्बरों के सामने रखा जाय और वह एक दूसरे को इस तरह से ज़लील करें, खुद कमेटी बनायें, यह हाउस खुद कमेटी बनाये और उस कमेटी के फैसले को इस तरह से पामाल किया जाय, मैं गवारा नहीं कर सकता हूं इस बात को....।

श्री नारायणदत्त तिवारी--कोई ज़लील नहीं कर रहा है।

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम---ज़लील करना और किसको कहते हैं। जिनको इज्जत, बेइज्जती का एहसास न हो वह क्या एहसास कर सकते हैं कि किस चीज का नाम जिल्लत है ।

श्री राजनारायण---आप खुद ही ज़लील कर रहे हैं।

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम--- फिर प्रिविलेज का क्वेश्चन। ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइये कि प्रिविलेज का क्वेश्चन वह क्वेश्चन है और मैं नहीं चाहता कि हाउस के अन्दर हाउस की तवज्जेह इस तरफ दिलाई जाय कि उसमें एख्तिलाफ का, उसमें पार्टी का किसी किस्म का कोई दखल नहीं है। जहां तक कि प्रिविलेज का क्वेश्चन है इस हाउस के किसी मेम्बर का उसमें मैं भी शरीक हूं। मुझे अगर अपनी इज्जत का एहसास है और अगर मैं अपनी इज्जत की हिफाज़त चाहता हूं तो मैं यकीनन इस हाउस के हर मेम्बर की इज्जत की हिफाज़त चाहूंगा और इस बात का मुद्दई हूंगा कि दुनिया में कोई ऐसी बात न होने पाये कि इस सदन के किसी मेम्बर की किसी तरह की कभी बेइज्जती हो। क्या मैं गेंदा सिंह की इज्जत को अपनी इज्जत नहीं समझता हूं या उन्होंने उसको अपनी इज्जत या बेइज्जती नहीं समझी। उन्होंने उसको अपनी इज्जत समझी। मगर केस के मामले को ईमानदारी से देख करके आदमी अगर, जिसकी कि वह जिम्मेदारी है, करने की और उस जिम्मेदारी को डिस्चार्ज करे आनेस्टी के साथ में और ईमानदारी के साथ में और उसमें वह यह पाये कि उसमें कोई प्रिविलेज का क्वेश्चन उठता नहीं है तो मैं समझता हूं कि अगर हम उस कमेटी के फैसले को न मानें और उस कमेटी के फैसले में इधर और उधर तरमीमों की तजवीज करें तो उस कमेटी का बनना और बनाना बिल्कुल ग़लत है और मुझसे अगर कहा जाय कभी तो मैं इन्कार कर दूं, हुजूर दस्तबस्ता माफी मांग कर अर्ज करता हूं कि मैं उस कमेटी का मेम्बर नहीं बनना चाहूंगा कि जिसके फ्सले की यहां पर इस तरह से जिल्लत की जाती हो।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---इस्तीफा दिलवा दीजिये आप आदमियों से।

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम---आप इस्तीफा दे दीजिये। हिम्मत करके देखिये ज़रा। दूसरों को कहना तो आसान है आप खुद हिम्मत करके दिखलाइये।

श्री राजनारायण---आपकी यही हालत रही तो दे देंगे।

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम---इन्शा अल्ला, ज़रूर। दुनिया तो ऐसे ही इस्ट्रगल आफ लाइफ की जगह है कि जो यहां फिट है वही रह जाता है और जो अनफिट है वह निकल जाता है। जो इस काबिल होगा वह बाकी रहेगा और उसे कोई निकाल नहीं सकता और जो इस काबिल नहीं है उसके लिये आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं है, वह खुद ही निकल जायगा। प्रोसेस आफ नेचर खुद ही उसे निकाल देगा। आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। तो मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि हम को तो इस बात पर सोचना चाहिये कि जिन आदमियों के खिलाफ इसको किया जा रहा है वह फंडामेंटल बात, उसूल है किसी शख्स के खिलाफ किसी काम के करने, किसी को सजा देने के लिये, एक क़दम उठाने के वास्ते इस बात की जरूरत हर जगह मानी जाती है कि कोई प्राइमाफेसी केस उसके सामने हो। हमारे स्पीकर साहब को अख्तियार है प्रिविलेज के क्वेश्चन की इजाजत देने का। रूल्स में आपके लिखा है कि वह कन्सेंट दें। उस कन्सेंट देने के वक्त उनको यह देखना है कि जो सवाल इस वक्त मेरे सामने आया है वह प्राइमा फ़ेसी कोई केस बनता है या नहीं। एक शहादत मेरे सामने आ गई, उस कमेटी की जिसने अपना फैसला दे दिया कि यह लोग मुस्तहक नहीं . . .।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, सदस्य लोग बातें कर रहे हैं यह नहीं समझते कि उनकी बातें माइक्रोफोन होने की वजह से डिस्टरबेंस पैदा कर रही हैं।

श्री अध्यक्ष—आप लोग शान्त हो जायं।

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम—तो मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि यह देखना चाहिये कि कोई प्राइमाफेसी केस है या नहीं। मेरे दोस्त नारायणदत्त तिवारी ने तकरीर की है। मेरे सामने फलां शख्स की जरा सी यह बात कही है और एक कमेटी ने उस मामले को देखा, उनसे बातचीत की, बुलाया और फिर यह समझा कि उनके खिलाफ कुछ न हो। तो साबित यह हुआ कि कोई प्राइमाफ़ेसी केस उनके खिलाफ़ है नहीं बिल्कुल जिसकी बिना के ऊपर हम ये कहें कि अब इसके खिलाफ़ यह करें और इसको यह सजा दो। मेरी दरख्वास्त है जवाब के जरिये से, जो मेरे भाई मेम्बरान यहां बैठे हैं इनसे कि इस मामले को बुनियादी उसूल, इन्साफ के उसूल से जिसको दुनिया मानती आयी है, हम भी तस्लीम करते हैं, उसी लिहाज से देखें कि इस कमेटी के इस फैसले को जो हमारे सामने है और जिसके वास्ते यह रिजोल्यूशन हमारे सामने है, उसको मंजूर किया जाय, उसको मानना चाहिये या उसमें इस किस्म की तरमीमें करके लोगों को बौदर किया जाय जिनको कि कमेटी ने मुनासिब नहीं समझा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—अध्यक्ष महोदय, हाफिज जी की मार्मिक तकरीर के बाद तो बोलने का इरादा नहीं था। लेकिन मुझे ताज्जुब हुआ कि हाफिज जी जैसे पुराने वकील और इस हाउस के मेम्बर इस किस्म की दलील कैसे दे सकते हैं? अगर हम मान लें कि प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट पर हम कुछ नहीं कह सकते तो हमारी सारी जुडिशियरी का काम खत्म हो जाय। अगर हम यह दलील मान लें तो एक मजिस्ट्रेट को इस्तीफा दे देना चाहिये यदि जिला जज उसके फैसले के खिलाफ फैसला करता है और एक डिस्ट्रिक्ट जज को भी इस्तीफा दे देना चाहिये यदि हाई कोर्ट उसके फैसले के खिलाफ जाता है तो यह कैसे हो सकता है जज का ही फैसला अन्तिम होना चाहिये। आखिर हाउस के सामने प्रिविलेज कमेटी की हैसियत क्या है? एक इन्क्वायरी कमेटी की। सदन ने एक मामला उसके पास भेजा यह हो सकता है कि हमारे सामने ऐसे फैक्ट्स आयें और हम समझते हों कि प्रिविलेज कमेटी ने ठीक काम नहीं किया कानून की दृष्टि से तो हम उसकी तौहीन नहीं करते हैं। मैं प्रिविलेज कमेटी का मेम्बर हूं, मुझे तो खुशी होगी जो कायदे कानून बने हैं, हाउस को पूरा अधिकार है इस तरह का डिसएग्रीमेंट पूरा हाउस कर सके और मैं कभी इस्तीफा देने की बात नहीं कहूंगा। बल्कि मुझे खुशी होगी कि मेरे फैसले में जो गलती थी वह ठीक कर दी गई। हो सकता है कि हाउस को प्रिविलेज कमेटी का फैसला उचित न जान पड़े, तो उसे हाउस ठीक करे। हाउस के मेम्बर होने के नाते जो जिम्मेदारी मुझे प्राप्त है वही हाफिज जी को भी प्राप्त है। इसलिये ऐसी अपील करने की जरूरत नहीं कि हम कमेटी की तथा उस कमेटी के मेम्बरों की बेइज्जती करना चाहते हैं। बल्कि हमारी भी फाइंडिंग्स हैं। अध्यक्ष महोदय, हाफिज जी के साथ अफसोस की बात यह है कि काम ज्यादा रहता है, उनको बेचारे को वक्त नहीं मिलता कि वह रिपोर्टों को पढ़ें। नहीं तो यदि वह पढ़ते तो हमारे पक्ष से सहमत होते। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि उनको मौका नहीं मिला है रिपोर्ट को पढ़ने का और दूसरे जबान की वजह से उनको दिक्कत होती है। अगर इस मामले को गौर से देखा जाय और एग्जीबिट १२ पर हम गौर करें, एग्जीबिट १२ यह है—

"In the case, State *versus* Sri Genda Singh and 17 others u/s 147/341/323 I. P. C. of P. S. Taraya Sujan, the S. O. Taraya Sujan reports that the charge-sheet in the case has been sent by him to peshi, but as it has not been received by me, it is requested that 14 days remand from 21st February,

1954 to 7 th March, 1954 may kindly be granted to enable me to submit the charge-sheet to your honour's Court.

Sd. L. N. MEHROTRA,
A. P. P."

यह ए० पी० पी० लिखते हैं और उसके बाद :

"**Exhibit No. 12A**

"Fourteen days remand allowed. Intimate Superintendent, District Jail, Gorakhpur.

Sd. S. M. S. MANOHAR
21-21954."

तो अध्यक्ष महोदय, इसमें यह लिखा है कि तरैया सुजान के थानेदार ने एक रिपोर्ट भेजी ए० पी० पी० के पास और अगर मैं साबित कर दूं कि कोई रिपोर्ट नहीं भेजी गयी तो सारा मामला उल्टा हो जाता है और जो कि मेरी फाइंडिंग्स में है। तरैया सुजान के थानेदार की रिपोर्ट के सम्बन्ध में ए० पी० पी० से मैंने पूछा कि उसे शामिल क्यों नहीं किया तो उन्होंने कहा कि मैंने मेंशन कर दिया, शामिल करने की जरूरत नहीं समझी इसलिए शामिल नहीं किया। सुपरिंटेंडेंट लिखते हैं कि ए० पी० पी० इसके पहले ही कार्य-वाही कर चुके थे इसलिये वह शामिल नहीं हुआ। पूछा जाता है कि वह है कहां तो आज तक उसका पता नहीं। ए० पी० पी० का बयान है कि रिपोर्ट भेजी थी, तरैया सुजान के कांस्टेबुल के जरिये से आयी थी और उस कांस्टेबिल के ट्रैवलिंग एलाउन्स का बिल कहां है यह जब पूछा जाता है तो वह चूंकि एक ही काम से नहीं गया था इसलिए बिल का सवाल ही नहीं उठता, यह कहा जाता है।

तरैया सुजान के थानेदार से पूछा जाता है तो वह कहते हैं कि उन्होंने थाने से कोई रिपोर्ट भेजी ही नहीं। मैं तो कसिया में ही मौजूद था, मैंने वहीं रिपोर्ट दे दी। इस प्रकार सारा मामला जाली बनाया हुआ है। फिर एक बात तो हम फजलुर्रहमान की मानते हैं, उसकी बात के आधे हिस्से को तो मान लेते हैं लेकिन फजलुर्रहमान जो यह कहता है कि इसमें डी० एम० भी शामिल थे और डिप्टी सुपरिन्टेंडेंट पुलिस भी शामिल थे तो विशेषाधिकार समिति उसे नहीं मानती। विशेषाधिकार समिति इस नतीजे पर पहुंचती है कि जालसाजी कसिया में हुई लेकिन डिप्टी सुपरिंटेंडेंट, हेडक्वार्टर देवरिया की मोहर वहां कैसे लग जाती है, यह नहीं मालूम। एक और बिल्कुल अजीब और अनहोनी सी बात है कि फजलुर्रहमान कहता है कि यह लिख दीजिए कि रिमांड आर्डर मैंने आपके सामने डाकखाने में डाला और उस पर यह लिखा है कि हां तुमने मेरे सामने चिट्ठी डाक बक्स में डाली। पहले वह एस० डी० एम० से चाहता है कि वह लिख दें लेकिन एस० डी० एम० इन्कार करता है, उसमें एस० डी० एम० लिख कर काटा हुआ है, तो ए० पी० पी० उस पर दस्तखत कर देते हैं तो जब रिपोर्ट ही नहीं आयी तो उसके बाद रिमांड आर्डर कैसे पास हुआ? अध्यक्ष महोदय, आप भी प्रमुख वकीलों में से रहे हैं जब तक केस न हो.....

श्री अध्यक्ष---पर प्रमुख वकील होने का वक्त आया ही नहीं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---लेकिन मैं कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, कि हाफिज जी जानते हैं कि ऐसी दशा में जुडिशियल आर्डर कैसे दिया जा सकता है? एल० आर० की रिपोर्ट मौजूद है। वह कहते हैं कि वह आर्डर बिल्कुल गलत है यह भी देखने की बात है आई० पी० सी० का सेक्शन ५२ हाफिज जी को अच्छी तरह मालूम है। एक मजिस्ट्रेट जो १०-१२ मजिस्ट्रेटी कर चुका है वह बिला मुलजिम को कोर्ट

[श्री राम नारायण त्रिपाठी]

में बुलाये, रिमांड पास कर दे तो ऐसे मजिस्ट्रेट को हाफिज जी तो क्षमा कर सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे कि यह हमारे प्रान्त के लिये बड़े दुर्भाग्य की बात होगी, अगर उसको सजा न दी जाय।

अध्यक्ष महोदय, इस तरह से यह हमारे सामने रखा गया है। मैं इस प्रिविलेज समिति का आदर करता हूं क्योंकि इसका निरादर करना मैं अपना निरादर समझता हूं। हो सकता है कि किसी दृष्टिकोण में किसी नतीजे पर पहुंचने में कुछ गलतफहमी हो। हाफिज जी कहते हैं कि यह जरूरी नहीं समझा गया कि उसको समिति के सामने बुलाया जाय। ऐसा मजिस्ट्रेट जिसके खिलाफ सीरियस चार्जेज हों वह कमेटी के सामने बुलाया भी न जाय यह विचित्र बात है। अध्यक्ष महोदय, यह सुनकर आपको आश्चर्य होगा कि जब आप सुनेंगे कि माननीय राज्यपाल, मुख्य मंत्री, माननीय अध्यक्ष तथा नेता विरोधी दल द्वारा भेजे गये तारों के मजमून के राय के लिये जिलाधीश ने उन तारों को भेजने का आदेश देने के बजाय हाकिम तहसील के पास भेज दिया गया। टेलीग्राम जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाता है तो वह उसको एस० डी० एम० के पास रिपोर्ट के लिये भेज देता है। उसकी इस बात पर हाफिज जी को फख्र हो सकता है समिति के प्रति तो मैं आदर रखता हूं। अध्यक्ष महोदय, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रिपोर्ट मांगने के लिये हाफिज जी को फख्र हो सकता है और फाखरी साहब के मामले में फख्र हो सकता है। अगर हम मान भी लें कि आर्डर सही है तो जुडीशियली वह इल्लीगल है और किसी भी तरह से उसको माना नहीं जा सकता है।

हाफिज जी जानते हैं कि जब पुलिस इस्तगासा नहीं चलाती है तो फिर कोई भी आदमी इस्तगासा दायर कर सकता है। इधर फजलुर्रहमान कहता है कि जिलाधीश के बंगले से कार गई और उधर ए० पी० पी० कहते हैं कि जो बयान मैंने दिया है वह ग़लत है। जब दो गवाह हो जाते हैं तो फिर क्या समिति को उसको बुलाना नहीं चाहिये था। दफा २० के अनुसार दो गवाह हो जाने पर कोर्ट के लिये जरूरी हो जाता है कि उसको बुलाये। क्या समिति इतनी कदर नहीं कर सकती थी कि हाउस के एक सदस्य के शिकायत करने पर जिलाधीश को बुला लिया जाता? हम कैसे समिति के निर्णय को मान सकते हैं। अगर हाफिज जी एक विशेषाधिकार की एक फीसदी इज्जत करते हैं तो हम १०० फीसदी इज्जत करने के लिये तैयार हैं। अगर वह कोई दलील देते तो मैं उसको मानता। मैं उम्मीद करता था कि ऐसे बुजुर्ग से हमें रोशनी मिलेगी। उन्होंने जो अपील की उनकी बुजुर्गी का ख़याल करके हम उसकी बड़ी कदर करते हैं। लेकिन नारायणदत्त जी का संशोधन क्या है उनका तो बहुत ही मामूली सा संशोधन है। आपने मेरे संशोधन को तो ठीक नहीं बताया। मैं आपके रूलिंग की इज्जत करता हूं। लेकिन माननीय नारायणदत्त जी का तो संशोधन केवल इतना ही है कि उनको वार्निंग दे दी जाय। इसमें कौन सी बड़ी बात है।

अध्यक्ष महोदय, हाउस का और इक्जीक्यूटिव का तो हमेशा झगड़ा होता रहा है। नारायणदत्त जी और गेंदासिंह जी का मामला आप देख चुके हैं, फाखरी साहब और श्री राजनारायण जी का मामला भी आपके सामने है। जब कि डिस्ट्रिक्ट जज ने कह दिया था कि श्री राजनारायण जी को १०७/११७ में बन्द नहीं किया जा सकता और उधर हाई कोर्ट ने भी जरूरी समझा कि इन ग्राउंड्स पर से केस को हटा दिया जाय। हाफिज जी चाहें तो अब वह नमूना पेश कर दें। यह हमारे लिये सौभाग्य की बात है कि माननीय पंत जी केन्द्र में जा रहे हैं, हो सकता है कि हाफिज जी ही उनकी जगह पर हों तो मुझे आशा है कि वह अवश्य कुछ ऐसे काम करेंगे जिससे आदरणीय सदन की मर्यादा ऊंची हो।

अध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं कहूंगा कि यह हर एक माननीय सदस्य का कर्तव्य है और हमेशा से हाउस आफ कामन्स में और हमारे यहां परम्परा बनी रही है कि हमेशा एक्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर की पावर्स को एंक्रोच करना चाहती है और विधान मंडल सदैव इस प्रयत्न को असफल बनाता रहा। और आज उसी इक्जीक्यूटिव ने ऐसा किया। यह आप उनकी आदत खराब करना चाहते हैं और अगर आप सजा नहीं देंगे तो ऐसी मिसाल पैदा करेंगे, फर्दन-फर्दन हर एक सदस्य को परेशान किया जाय लेकिन सामूहिक रूप से पार्टी डिसिप्लिन के कारण नहीं करना चाहता है। इनवेस्टिगेटिंग आफिसर योगेन्द्रनाथ चतुर्वेदी मुख्य रूप से जिम्मेदार है जिसने मियाद के अन्दर रिमांड नहीं लिया। उसका बयान देखिये। उसकी हिम्मत को देखिये। वह कहता है कि चार्जशीट २१ तारीख को काट दी गयी थी। २२ तारीख तक मेरे पास रही। लेकिन मैंने रिपोर्ट यह दी कि २१ तारीख को भेज दी गयी। २० तारीख को वह कसिया में एक मुकदमे के सिलसिले में आता है। लेकिन उसको याद ही नहीं पड़ता कि गेंदा सिंह जी के मामले में रिमांड लेना है। रिमांड आर्डर की आखिरी तारीख २१ थी। उसी दिन उसको खयाल होता है और चार्जशीट रजिस्टर से अलग काट कर के लिख देता है जो बिल्कुल झूठ है। लिखा कहीं नहीं है। लेकिन प्रिविलेज कमेटी के सामने ऐसा बयान देने के लिए इतनी हिम्मत वह करता है। अध्यक्ष महोदय, यह सदन के सम्मान का प्रश्न है और सर्कम्सटैंसेज और गवाहियों के एविडेंस से यह प्रमाणित है कि इस मामले में डी० एम०, एस० डी० एम०, चतुर्वेदी और फजलुर्रहमान सब दोषी हैं। लेकिन फजलुर्रहमान को दोषी मानते हुए समिति ने सदन से सिफारिश की है कि उसको मुक्त कर दिया जाय। और मैं कहता हूं कि एक मामूली कांस्टेबिल ने जो नमूना पेश किया है वह अनुकरणीय है। बड़े-बड़े अफ़सरों के बयान देखिये। एस० डी० एम० पडरौना के बयान को देखिये। दस पन्द्रह साल की सर्विस है। लेकिन जब फर्द चालान दिखाया गया और कहा गया कि यह क्या कागज है तो वह कहते हैं कि मैंने इसको देखा ही नहीं है। गवर्नमेंट के सामने जो रिपोर्ट भेजते हैं उसमें तो कहते हैं हमने फर्द चालान देखा है लेकिन यहां कहते हैं कि हमने फर्द चालान देखा ही नहीं। यह विचित्रता देखिये।

इस तरह से हम ईमानदारी से यह विश्वास करते हैं कि दो, एक आदमी ऐसे हैं जो कि अपराधी हैं जो कि रह गये हैं और हाउस को पूरा अधिकार है कि अगर उसके पास इस बात का प्रमाण है कि कुछ व्यक्ति दोषी हैं तो उनको सजा दे सके। इसलिये मैं आदरणीय सदन से और प्रत्येक सदस्य से निवेदन करूंगा कि वह श्री नारायणदत्त तिवारी के संशोधन को स्वीकार करें।

*श्री अब्दुल मुईज़ खां––माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी-अभी जो माननीय रामनारायण त्रिपाठी ने जो तकरीर की उसको सुनकर मुझे बिल्कुल ताज्जुब नहीं हुआ। इस वजह से कि शुरू ही से कुछ ऐसा मालूम होता था कि वह जिस टार्गेट पर निशाना लगाना चाहते थे.....

श्री अध्यक्ष––आप कृपा करके ऐसे विवाद को बचाइये।

श्री अब्दुल मुईज़ खां––तो आपकी तकरीर से मैं यही नतीजा निकाल सका कि चूंकि डी० एम० पर कोई आरोप समिति ने नहीं लगाया, उसको नहीं बुलाया इसलिये.....

श्री रामनारायण त्रिपाठी––मेरी नियत बद है और मैं उनको फंसाना चाहता हूं?

---

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री अब्दुल मुईज खां—मैं यह हर्गिज कहने की जुर्रत न करूंगा। लेकिन मैं यह इशारा जरूर करूंगा कि कुछ मेम्बरान की राय थी कि उनके ऊपर भी कोई ऐक्शन लिया जाय। क्योंकि २१ तारीख लास्ट डेट है पहले रिमांडकी। २१ तारीख तक वह अपने पास रखे रहते हैं, २१ को इंवेस्टिगेशन के लिये लाते हैं लेकिन पेपर्स अपने हाथ में रखते हैं और २२ को पेपर्स सबमिट करते हैं जब कि साफ तौर पर रिमांड पेपर का पीरियड है, वह समाप्त हो जाता है, लेकिन उनकी मेहरबानी से वह छूटे तो। जहां तक केस के मेरिट्स का सवाल है उसमें शायद थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। मैं अपने साथियों से यह निवेदन करूंगा कि इस पर विचार करें कि सब से पहले जो अरेस्ट हुआ वह लीगल अरेस्ट थी। रिमांड आर्डर २१ तारीख को खत्म होता था और एक दूसरा रिमांड आर्डर होना चाहिये था। सवाल यह है कि अभी तक जो सदन के प्रिविलेजेज रहे हैं उनमें यह देखा गया है कि अगर अरेस्ट के समय कोई सूचना नहीं दी जाती तो ब्रीच आफ प्रिविलेज है। अरेस्ट हुआ उसकी सूचना दी गई लेकिन बीच में कोई इल्लीगेलिटी हो गई तो किस आधार पर ब्रीच आफ प्रिविलेज में यह आ जाता है यही सवाल समिति के सामने था।

दूसरे डी० एम० के बारे में जो यह कहा जाता है कि डिस्ट्रिक्ट आफिसर का कोई काम होता है और उसके मातहत आफिसर कोई गलत काम करते हैं तो यह कहा जा सकता था कि चूंकि डिस्ट्रिक्ट आफिसर मौजूद था तो एक तरह से कांस्ट्रक्टिव ल.यबिलिटी उसकी भी आ.ती है लेकिन मैं याद दिलाऊंगा कि यह केस था जुडिशियल प्रोसीडिंग का। बहैसियत एक मैजिस्ट्रेट के एक रिमांड आर्डर पास करने का जिसके लिये डी० एम० की कोई जिम्मेदारी नहीं आती। जो सूचना उसे दी गई उसने एस० डी० एम० के पास "एट वंस" शब्द के साथ भेज दी और कोई डायरेक्ट ताल्लुक उसका उस वाकये से मालूम नहीं होता। इस वास्ते समिति ने डी० एम० को अपने सामने नहीं बुलाया। लेकिन तिवारी जी का जो संशोधन है कि इसलिये कि एक डी० एस० पी० हमारी समिति के सामने नहीं आये और डी० एम० भी समिति के सामने नहीं आये थे, उन दोनों के ऊपर जो आपका संशोधन है उसे स्वीकार किया जाय तो फिर सवाल पैदा होता है कि जो सवाल माननीय रामनारायण जी ने उठाया था कि अगर किसी एक्यूज्ड को मौका नहीं दिया जाता कुछ कहने का तो उस पर कोई आरोप नहीं लगना चाहिये, इसलिये पेश्तर इसके कि जो आपका एमेंडमेंट है वह स्वीकार किया जाय। हमें इस पर विचार करना होगा कि इन दो व्यक्तियों को समिति के सामने क्यों नहीं बुलाया गया

श्री अध्यक्ष—क्या नाम है ?

*श्री अब्दुल मुईज खां—वी०पी० शुक्ल, डी०एम०, देवरिया और आर० के० मिश्र डी०एस०पी०।

कुछ माननीय सदस्यों ने लीगेलिटी और इल्लीगेलिटी पर बड़ा जोर दिया। मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं आपके द्वारा इस सदन के माननीय सदस्यगण को कि विशेषाधिकार के बारे में जो ज्यादा से ज्यादा कार्यवाही की जा सकती है और जिस तरह से उसका प्रोटैक्शन हो सकता है उसके लिये मैं हददर्जे तक जाने के लिये तैयार हूं और मेरा एटीट्यूड यह रहा है इस सिलसिले में कि किसी एक्शन की लीगेलिटी या इल्लीगेलिटी के प्रश्न में जाने की कोई जरूरत नहीं है। इस वजह से लीगल ऐक्शन हो सकता है जिससे विशेषाधिकार की अवहेलना हो। मिसाल के तौर पर आप यह लीजिये कि यहां एक प्रिविलेज हाउस का है। किसी सिलसिले में क्रिमिनल चार्ज होने पर अरैस्ट न किया जाय और अगर चार्ज किया जायगा तो अध्यक्ष को नोटिस देना होगा। अगर यह दोनों काम न हों तो चाहे कोई भी बड़ी अदालत हो तो उसके

खिलाफ प्रिविलेज का सवाल आ सकता है । अगर हाईकोर्ट ही सजा दे देता है और यहां पर सूचना नहीं दी गयी तो मैं यह निवेदन करूंगा कि वह विशेषाधिकार की अवहेलना हो गयी। अगर अध्यक्ष को सूचना नहीं दी गयी और सजा हो गयी या जेल भेज दिया गया तो फिर विशेषाधिकार की अवहेलना हो गयी।

लेकिन इसके साथ-साथ मैं यह भी कहूंगा कि बहुत बड़ा अपराध लीगल ऐक्ट में यह है कि अगर कोई डाका मारता है या किसी मेम्बर के घर में चोरी करता है या कत्ल करता है तो फिर हाउस के विशेषाधिकार की अवहेलना नहीं हुयी। अगर वह ऐक्शन किसी हाउस के प्रोसीजर के बारे में या मेम्बर के राइट के बारे में अपराध नहीं किया गया तो यह विशेषाधिकार की अवहेलना नहीं है । इसलिये यह सवाल किसी ऐक्ट में लीगल है या इल्लिगल है इसमें जाने की जरूरत नहीं है । वह रिमान्ड २१ तारीख को समाप्त हो रहा था तो उसी दिन दूसरा रिमांड दिया गया या नहीं दिया गया इसके ऊपर कमेटी ने बहुत गौर किया और इसके लिये कमेटी के सामने जो भी एविडेंस की चीज आ सकती थी वह उसके सामने आयी और उनको कमेटी के सामने बुलाया गया। इस सिलसिले में खासतौर से दो आदमियों के बयान कमेटी के सामने आये श्री मेहरोत्रा ए०पी०पी० और श्री श्याम मुरली मनोहर इन दोनों के बयान रिमांड के बारे में आये। इन लोगों का कहना यह है कि उस दिन रिमांड हुआ। श्री मेहरोत्रा ने जो पहले कहा था उसके लिये अपनी गलती को तसलीम किया और जो उसने गलत बयानी की थी उसको तसलीम किया। उसने जो यह कहा था कि २१ तारीख को जो रिमांड के देने से इन्कार किया था उसको उसने सही नहीं बताया। मैंने उनसे खुद पूछने की कोशिश की। तो रिमांड आर्डर के होने के बारे में ऐसी कोई चीज सामने नहीं आयी जिससे यह जाहिर हो कि उस दिन रिमांड नहीं हुआ और न यह किसी की बात से साबित होता है। लेकिन जैसा कुछ मेरे दोस्तों ने शुबहा जाहिर किया है औरमुझे भी पूरा शुबहा था और वह बहुत मजबूत किस्म का था वह इस वजह से था कि कोई बात गलत जरूर हुयी है। लेकिन शुबहे की बिना पर किसी को कन्विक्ट नहीं किया जा सकता है। शुबहा की बिना पर लोग छूट जाते हैं। और शुबहे की बिना पर जो एक्विटल होता है और खासतौर से जब कि रिटेन डाकुमेंट हो जिसका उनकी तरफ से कोई डिसएप्रूवल नहीं आया हो तो जहां तक उस रिमांड आर्डर की वैधानिकता का सवाल है वह नहीं उठता है। जब २१ तारीख को रिमांड आर्डर हो गया तो फिर वह सुपरिन्टेन्डेन्ट जेल के पास पहुंचे या न पहुंचे यह सवाल कोई अहमियत नहीं रखता है। वह तो उसी वक्त से इफेक्ट में आजायगा जिस वक्त से कि वह पास हुआ। यह चीजें आपके सामने हैं कि २१ तारीख को रिमांड हो गया उसकी लीगल टैक्नीकलिटी में जाने की जरूरत नहीं है। सवाल यह है कि २१ तारीख के बाद जो डिटेंशन हुआ उससे विशेषाधिकार की अवहेलना हुयी या नहीं। कमेटी ने इस पर बहुत विचार किया और जो कमेटी की राय है वह सदन के सामने है। लीगल एक्सपर्ट की भी यही राय है। लेकिन इस सिलसिले में हमारे दोस्तों की तरफ से यह कहा गया कि माननीय गेंदा सिंह जी ने जो प्रश्न उपस्थित किया था उसमें २१ तारीख से लेकर २६ तारीख तक उनकी डिटेंशन का सवाल था बाद में यह बताया गया कि मेहरोत्रा साहब का उस अपराध से कोई ताल्लुक नहीं था, उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया गया था। इस सिलसिले में मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि मैज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस में बहुत सी ऐसी मिसालें दी गयी हैं और उसमें यह क्लीयर बताया गया है कि क्रिमिनल केसेज में ऐसा होता है मुल्जिम पर अगर कोई एक चार्ज लगाया जा रहा है अगर वह चार्ज इल्लीगल हो जाय या साबित न हो तो मुल्जिम छोड़ दिया जायगा क्योंकि उसमें स्पष्ट तौर पर एक्यूज्ड को यह मालूम हो जाना चाहिये कि उसके खिलाफ चार्ज क्या है लेकिन ब्रीच आफ प्रिविलेज के मामलों में यह टैकनीकेलिटी की आवश्यकता नहीं होती। अगर किसी वक्त कोई केस है और किसी पर यह शुबहा है कि उस के जरिये से सदन के विशेषाधिकारों की अवहेलना हुयी है और अगर ऐसी चीज बाद को भी मालूम हो तो उन तमाम चीजों पर,जिनका उससे ताल्लुक है विचार किया जायगा और किसी तरीके से कोई और भी व्यक्ति उससे मुताल्लिक पाया जायगा और अगर उससे विशेषाधिकार की अवहेलना हुयी है तो उसको दंड दिया जायगा।

[श्री अब्दुल मुईज खां]

इसीलिये शुरू में ही यह प्रश्न उठाया गया था डी०एम०, एस०डी०एम० के खिलाफ कोई चार्ज लगाया गया। जबकि और लोगों को तलब किया गया तो समिति के सामने यह भी विश्वास सवाल था कि इन लोगों को भी तलब करने का हक है या नहीं। विचार करने के बाद समिति इस नतीजे पर पहुंची कि वह जिसको चाहे बुला सकती है यह मालूम करने के लिये कि किसी के ऐक्शन से कोई अवहेलना हुयी है या नहीं, इस इंक्वायरी के सिलसिले में झूठा बयान दिया है या नहीं, कागजात जो समिति के सामने आये उनसे यह साबित होता है या नहीं कि उनमें फ्रेब्रीकेशन किया गया। इसी रिपोर्ट में समिति को पूरा अख्तियार था कि वह इनको भी उसमें शामिल करती और अपनी सिफारिश करती जैसा कि उसने किया। दूसरी तरह की सिफारिश की गयी। ऐसी सूरत में यह कहना कि एस०डी०एम० पडरौना, एस०पी० जेल या एस०पी० या कलेक्टर के खिलाफ कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गयी, यह मुनासिब नहीं है, अगर कोई सबूत ऐसा आता जिससे यह साबित होता कि जानबूझ कर डिटेन करने की कोशिश की गयी और विशेषाधिकार की अवहेलना की तो अवश्य ही ऐसा होता लेकिन ऐसी बात नहीं है। इसलिये मैं माननीय सुल्तान आलम खां साहब के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और माननीय तिवारी जी ने जो एमेंडमेंट रक्खा है उसका विरोध करता हूं।

*श्री गेंदासिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह तो गुस्ताखी नहीं कर सकता कि मैं यह कहूं कि यह विशेषाधिकार का प्रश्न केवल मेरा है इसको तो मैं मान लेता हूं कि यह विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया मैंने है लेकिन यह प्रश्न सारे सदन का है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रिविलेज कमेटी ने जितनी जानकारी हासिल की है, जितने सबूत सहादतें रिकार्ड की हैं, चूंकि मैं खुद भुक्तभोगी हूं इसलिये उस मामले की जानकारी दूसरों से ज्यादा मुझे हो सकती है इसलिये मैं समझता हूं कि जो बातें प्रिविलेज कमेटी के सामने नहीं भी आयी हैं उनकी भी जानकारी मुझे है, यह माननीय सदस्यों को स्वीकार करना चाहिये, मैं उस जानकारी की बुनियाद पर माननीय सदन को कुछ फैसला देने का आग्रह तो न करूंगा लेकिन मैं उस पर से फैसला ले सकता हूं। इसलिये मैं सिर्फ सदन से यह इजाजत चाहूंगा कि ऐसा फैसला लेने की सदन मुझे इजाजत दे दे। और अगर मेरी राय से माननीय सदन सहमत हैं तो अच्छा होगा कि वह भी ऐसा ही फैसला लें। एक बात मैं सबसे पहले कह कर फिर यह कहना चाहूंगा कि मुझे श्री रामनारायण त्रिपाठी जी से थोड़ी शिकायत है और वह शिकायत ऐसी है कि उन्होंने माननीय हाफिज जी को जिस तरह से समझा है उसमें बड़ी भूल की। मैं यह मान नहीं सकता कि माननीय हाफ़िज जी के साथ जिस तरह उन्होंने मासूमियत की तरह से व्यवहार किया वह व्यवहार उन्हें करना चाहिये। माननीय हाफिज जी अपने काम में बड़े सिद्धहस्त हैं, वे बात को बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं और समझकर उन्होंने प्रिविलेज कमेटी के नाम पर माननीय सदन को इस तरह से बतलाने की कोशिश की कि जिससे प्रिविलेज कमेटी में मालूम हो कि हम उसे अपमानित करने का प्रयास कर रहे हैं। हम समझते हैं कि प्रिविलेज कमेटी को अपमानित करने की ऐसी बात नहीं कर सकते हैं। अब क्यों ऐसी बात माननीय हाफिज जी ने की, मैं उसके कंटेक्स को थोड़ा समझता हूं। जो डाकुमेंट जिसके लिये कहा गया है कि वह कंफिडेंशियल है, उसको नहीं खोला जा सकता है। न प्रिविलेज कमेटी ही उसे देख सकती है, न यह माननीय सदन ही देख सकता है लेकिन अध्यक्ष महोदय उसके बारे में लोगों ने तरह तरह की अटकलबाजियां लगानी शुरू कीं कि जो गलती डिस्ट्रिक्ट अथारिटीज ने कि है उसको रेगुलराइज करने के लिये ताकि वे उनको ठीक कर सकें, यह नहीं दिखलाया जा रहा है। श्रीमन्, मैंने भी अन्दाजा लगाया लेकिन मैं बड़े अन्धेरे में हूं कि क्या कहूं। अगर वे कागजात खोल दिये गये तो उससे कुछ अन्दाजा लग गया होता लेकिन ऐसी हालत में हाफिज जी के साथ श्री रामनारायण त्रिपाठी जी ने जो व्यवहार किया उससे मुझे थोड़ी सी शिकायत हुयी कि उन्होंने अच्छी तरह से माननीय हाफिज जी को समझने में भूल की।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अब में दूसरी बात निवेदन करना चाहता हूं कि जो जाती तौर पर मेरी जानकारी में है। मैं समझता हूं कि जितना भी आज फैसला किया जा रहा है या माननीय विशेषाधिकार समिति जिस तरह का निर्णय लेगी उसके निर्णय लेने में मैंने भी थोड़ी सी मदद करने की कोशिश की। मेरी निश्चित राय है कि अब तक प्रिविलेज डाकुमेंट के अन्दर देखने के बाद जो असली अपराधी है वह तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है। क्या ए०पी०पी० क्या एस०डी०एम० और क्या डी० एस०पी० इनकी कोई हैसियत नहीं है। अध्यक्ष महोदय,मैं जानता हूं कि अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अपनी ताकत न लगाये होते, उनको यह परवाह न होती कि मैं या राजवंशी राय जेलखाने के अन्दर ज्यादा से ज्यादा देर तक न रोके जायं तो फिर किसी को इतनी दिलचस्पी नहीं थी कि हमें जेलखाने में ज्यादा देर तक रोकने की कोशिश करता। जहां तक कि कानूनी बातों का सम्बन्ध है उसके सम्बन्ध में मुझे कुछ भी नहीं कहना है। लीगल रिमेंम्बरेंसरसाहब ने जो राय दी है वह पर्याप्त है। मगर एक बात मैं बगैर कहे हुए नहीं रह सकता कि अदालत के सामने मुझे बगैर बुलाये हुए १४ दिन तक जेलखाने में बन्द रखा गया और ६ दिन तक इस सदन की सेवा करने से भी वंचित रखा गया। अगर मुझे अदालत के सामने बुलाया जाता तो मुमकिन है कि मैं कह देता मैं इस बात को सोचता नहीं हूं लेकिन यह बात प्रोसीज्योर में हो सकती है कि मुमकिन है कि मैं कह देता कि मुझे अफसोस है जो कुछ कि मैंने किया। तो अदालत को हक था कि वह मुझे छोड़ देती। अध्यक्ष महोदय, जो हुक्म रोकने के लिये गया है उसी से इस पर काफी रोशनी डाली जा सकती है। कम से कम जब मैं अपराधी था और जेल के अन्दर बन्द था तो अदालत के सामने मुझे बुलाना जरूरी था लेकिन अदालत के सामने मुझे न लाने के बारे में किसकी शाजिश थी यह मुझे मालूम है। मैं यह नहीं मानता कि श्याम मुरली मनोहर जी में इस तरह की हिम्मत हो सकती है, मैं यह भी नहीं मानता कि ए० पी०पी० में इतनी हिम्मत हो सकती है मैं यह भी नहीं मानता कि श्री योगेशचन्द्र चतुर्वेदी में इतनी हिम्मत हो सकती है।

यह तो बेचारे इस मुसीबत में हैं कि इधर हमें वे पबलिक वर्कर समझते हैं, हमको समझते हैं और जैसा आदमी मैं हूं वैसा उनके दिमाग में है लेकिन दूसरी तरफ भी है कि नहीं हमको बन्द ही रखना है और वह चाहने वाले ऐसे हैं जिनके हाथ में उनकी नौकरी है, उनकी तरक्की है, उनकी रोटी है, फिर वह क्या करें? तो इन सब हालात में मैं अध्यक्ष महोदय दूसरा कुछ नहीं कहना चाहता केवल इतना कहना चाहता हूं कि इस मामले को ड्राप किया जाय? मैंने प्रिविलेज कमेटी में भी कहा था कि मुझे इजाजत दी जाय कि मैं अपने मामले को वापस ले लूं। अगर न वापस देने की इजाजत हो तो माननीय सदन को ही इस बातकी हमारे पक्ष में शिफारिश कर दें कि वह इस मामले को ड्राप कर दें। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपसे एक बात बड़ी नम्रता के साथ कहना चाहता हूं और बहुत आरजू के साथ इस बात को सदन से कहता हूं कि इस मामले को छोड़ दिया जाय। मेरे दिमाग में जो अपराधी है वह अपराधी आज भी है। मैं तो चाहता था कि वह आदमी बुलाया जाय।

मैं इतना जरूर चाहता था कि माननीय सदन और हमारी प्रिविलेज को इस मामले की असलियत समझने में कहीं किसी तरह की कोई खामी न रह जाय। पूरी तरह से समझ लें और समझ लेने के बाद सबको माफी दे दी जाय और देनी चाहिये क्योंकि यह बात सही है कि यह नया-नया मामला है। बहुत से लोग नहीं समझते हैं और अगर नहीं समझते तो उनको सिखाना है और सिखाने की जरूरत है, सिखाना चाहिये। वास्तव में बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस बात को नहीं जानते असेम्बली और पार्लियामेंट के मेम्बरों के क्या क्या प्रिविलेज हैं। और इसलिये यह माफी कोई उदारता की बात नहीं है बल्कि ऐसी मामूली बात है। जिला मैजिस्ट्रेट को गवाही देने के लिये बुलाना प्रिविलेज कमेटी ने मुनासिब नहीं समझा तो न समझे लेकिन मेरी आपसे अन्तिम दरख्वास्त इस सम्बन्ध में है कि इस जगह से इस मामले को ड्राप कर दिया जाय ताकि अब आगे का झगड़ा खत्म हो जाय।

श्री अध्यक्ष—मगर आपका कोई संशोधन इस प्रकार का नहीं है ।

श्री गेंदासिंह—अगर आवश्यकता आप समझते हैं तो मैं ऐसा संशोधन ला कर दिये देता हूं ।

श्री अध्यक्ष—लेकिन वह स्टेज तो खत्म हो चुकी है ।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, जस्टिस के लिये ले लीजिये ।

श्री अध्यक्ष—अगर किन्हीं माननीय सदस्य को कोई एतराज नये संशोधन के लाने में न हो तो मैं ले सकता हूं ।

श्री अब्दुल मुईज खां—श्रीमन्, अब इस समय इस प्रकार के किसी संशोधन को करने की आज्ञा आपको नहीं देना चाहिये ।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, उन्होंने (श्री अब्दुल मुईज खां ने) क्या कहा ?

श्री अध्यक्ष—उनको एतराज है ।

श्री राजनारायण—अगर हम उनको छोड़ना चाहते हैं तब भी उनको एतराज है ।

*श्री सुल्तान आलमखां—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भवन के तमाम मेम्बरों का बड़ा मशकूर हूं कि उन्होंने मेरे इस प्रस्ताव के ऊपर काफी बहस की । और इसके हर पहलू पर अच्छे तरीके से रोशनी डाली । मेरे लिये अब आखिर में कुछ बहुत ज्यादा कहने को बाकी नहीं रह गया है और वक्त भी हाउस का खत्म होने वाला है । इसलिये मैं सिर्फ एक बात अर्ज करूंगा और उसके बाद तकरीर खत्म कर दूंगा । मैंने जो तकरीरें यहां सुनी उनसे मुझे यह अन्दाजा हुआ और वह इसलिये कि मैं उस प्रिविलेज कमेटी का मेम्बर न था और मैं वहां नजदीक से बैठकर तमाम कार्यवाहियों को न देख सका जो वहां हुयीं लेकिन यहां जितनी तकरीरें हुयीं और जो भी मैंने पढ़ा और सुना उससे मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि जो कुछ भी दिक्कत और दुश्वारी पैदा हुयी वह रिमांड के आर्डर्स से पैदा हुयी । मैं गेंदा सिंह जी को इस बात का यकीन दिलाना चाहता हूं कि न सिर्फ मैं बल्कि मुझे उम्मीद है इस भवन का हर मेम्बर इस बात में उनका शरीक है और उनका हामी है कि इस हाउस के प्रिविलेज हैं और इसके हर मेम्बर के प्रिविलेज को हर चीज से बाला देखा जाय उसको अपहोल्ड किया जाय इसलिये कि अगर हम यह जजबा अपने अन्दर नहीं रखते तो यह तो जो चीज आज गेंदा सिंह जी के मामले में हुयी वही दूसरे के हक में, दूसरे के सूरत में भी हो सकती है । तो इस बात का इत्मीनान होना चाहिये कि कोई मेम्बर इस सदन का ऐसा नहीं हो सकता कि वह इस बात को मेम्बर की पोजीशन के नुक्तेनजर से न देखे तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि मुझे यह महसूस हुआ कि जो रिमांड आर्डर दिया गया उसके मुताल्लिक बहुत सी बातें कही गयीं ।और उससे यह तमाम चीजें पैदा हुयीं । यह सही है कि रिमांड आर्डर के मुताल्लिक दो रायें हैं और कमेटी की जो रिपोर्ट है वह रिपोर्ट भी अपनी जगह पर एक यूनानिमस रिपोर्ट नहीं है लेकिन जो मैजारिटी की रिपोर्ट है वह किसी पार्टी या दल की रिपोर्ट नहीं कही जा सकती और जहां तक प्रिविलेज का सवाल है यह भी जनता या पार्टी का सवाल नहीं है बल्कि यह तो इंडीविजुअल व्यक्ति का सवाल है । तो मेजारिटी की जो रिपोर्ट थी वह इस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

भवन के सामने आयी । वह वह रिपोर्ट है कि जिसको हम रिपोर्ट कह सकते हैं और उससे जाहिर होता है कि जो रिमांड आर्डर दिया गया उसके ऊपर एतराज है । लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि रिमांड का आर्डर जो दिया गया वह एक जुडिशल प्रोसीडिंग थी और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स का एक हिस्सा थी चाहे उसके मुताल्लिक कुछ भी कहा जाय लेकिन यह बात तो माननी पड़ेगी कि वह जुडिशियल प्रोसीडिंग्स थी और अगर जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के मुताल्लिक कोई एतराज की बात हो सकती है तो उसकी अपील एक अदालत में जा सकती है । उससे हाइयर कोर्ट में जा करके उसके सिलसिले में एतराज किया जा सकता है, अपील की जा सकती है और मेरी जाती राय और मेरी नाकिस राय में मुश्किल से यह मामला ऐसा हो सकता है कि जो प्रिविलेज का क्वेश्चन बन सकता हो । अलबत्ता जो डाकूमेंट फाल्स पेश किये गये, या जिनके मुताल्लिक इस बात का शक है और यकीन है कि जो डाकूमेंट पेश किये गये उन डाकूमेंट से प्रिविलेज का सवाल पैदा होता है तो उस बात को मैं मानने के लिये तैयार हूं और उन्हीं की बेसिस के ऊपर कमेटी की यह रिपोर्ट है कि दो आदमियों के खिलाफ ऐक्शन लिया जाय । एक फजलुर्रहमान के खिलाफ और दूसरे मिस्टर मेहरोत्रा के खिलाफ ।

यह ठीक है कि हम इस प्रस्ताव में फजलुर्रहमान के मुताल्लिक यह सिफारिश की है इस रिपोर्ट में कि उसको माफ कर दिया जाय लेकिन अगर इन प्रस्ताव के अल्फाज पर गौर किया जाय तो मालूम होगा कि ऐसा नहीं है कि हमने उसे कसूरवार या गिल्टी नहीं ठहराया । उसको गिल्टी ठहराया गया और उसको उस सब्सीक्वेन्ट कंडक्ट के मातहत कि जिसकी वजह से कि हमें इस मामले में यकीन के साथ सही रास्ते पर जाने में मदद मिली, हमने यह मुनासिब समझा कि उसको आइन्दा कोई सजा न दे कर उससे बरी कर दिया जाय । लेकिन इसके माने यह नहीं है कि वह कसूरवार नहीं है या उसके ऊपर जिम्मेदारी नहीं आती है । उसके ऊपर जिम्मेदारी है और वह कसूरवार बना । इसके अलावा मिस्टर मेहरोत्रा के मुताल्लिक इस प्रस्ताव में यह सिफारिश की गयी है कि उनको इस हाउस के सामने बुलाया जाय और उसके बाद उनको एडमोनिश किया जाय तो यह दो आदमी ऐसे हैं कि जो गिल्टी करार दिये गये कमेटी के फैसले में और उनके खिलाफ ऐक्शन लिया गया ।

एक चीज यह भी नहीं भूलनी चाहिये कि हम जो फैसला यहां लेते हैं उसके रिएक्शन होने की उम्मीद नहीं है । हम नहीं कह सकते कि उसके क्या रिपर्कशन होंगे लेकिन उनको अगर बुला कर एडमोनिश करें तो कुदरती तौर पर उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल ऐक्शन लिया जा सकता है और राइट है कि लिया जाय । तो ऐसी हालत में हम फजलुर्रहमान के खिलाफ भी ऐक्शन ले रहे हैं कि हमें पता नहीं कि उसके लिये हमारे ऐक्शन का क्या रियेक्शन हो । और मैं यह भी अर्ज करूंगा कि जैसा कि हमारे स्पीकर साहब ने कहा कि अलग-अलग स्फीयर है—एक्जीक्यूटिव का अलग है और जुडिशियरी का अलग है और लेजिस्लेचर का अलग है । हम लेजिस्लेचर में बैठ कर जो फैसला दे रहे हैं वह तो वह फैसला है कि जिनका हमको अधिकार है, जिसका हमको हक हासिल है उसके मातहत हम यह फैसला देंगे लेकिन इसके बावजूद भी कभी रास्ता नहीं रुकता , कभी इसका दरवाजा बन्द नहीं होता कि अगर किसी मेम्बर की तौहीन हुयी और गवर्नमेंट की नोटिस में यह चीज आयी और अगर गवर्नमेंट उससे सेटिस्फाइड हुयी कि तौहीन हुयी तो उसमें वह ऐक्शन ले सकती है । इसलिये कि हमारे जो गवर्नमेंट के मेम्बर्स हैं वह हम में से हैं और वह गवर्नमेंट के रेप्रेजेंटेटिव हैं अपनी जगह पर । तो ऐसी सूरत में जब कोई ऐसी चीज पैदा होती है तो गवर्नमेंट उसकी जांच करेगी और इस हाउस के मेम्बरों की इज्जत बरकरार रखने के लिये वह अगर कोई कार्यवाही उचित समझती है तो वह करेगी । मैं जाती तौर पर समझता हूं कि इस मामले में जो रेजोल्यूशन हमने यहां पेश किया है वह हमारी जरूरत को पूरा करता है । यह सही है कि जहां पर ब्रीच आफ प्रिविलेज का सवाल आये वहां हमें किसी की रियायत नहीं करनी चाहिये और हमें सख्त दिल से उस बुराई को दबाने की कोशिश करनी चाहिये कि जिसके मातहत ऐसी भावनायें बढ़ने न पायें । लेकिन इसके साथ-साथ हमें यह भी याद रखना चाहिये कि हम ब्रीच आफ प्रिविलेज की कार्यवाही को चीप न बना दें इसलिये कि ब्रीच आफ प्रिवि-

[श्री सुल्तान आलम खां]

लेज की कार्यवाही अपनी जगह एक खास सैंकटिटी रखती है . अगर हम इसको चीप बना दें तो किसी के इंटरेस्ट में ठीक नहीं होगा । हमें यह भी याद रखना है कि हमारे देश में ब्रीच आफ प्रिविलेज का जो मोशन पैदा हुआ यह अभी हाल में आया । हमारे नये हाउस और नये संविधान के मातहत हमें यह प्रिविलेज का अधिकार मिला है । तो हमें इस अधिकार और हक को तो बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना है । हमारे सामने नए कन्वेंशन्स हैं, नये ट्रेडीशंस हैं और हमें इस मुल्क के अन्दर, इस सूबे के अन्दर नये कन्वेंशन्स कायम करने हैं । तो हमें एहतियाती से काम करना है कि हम कोई ऐसे कन्वेंशन्स न कायम कर दें कि जो अपने सूबे के रहने वालों के इंटरेस्ट में किसी तरह से मुनासिब न हो । इन सब चीजों को ध्यान में रख कर हमें फैसला देना होगा । और इसी को ध्यान रख कर हमें आज इस मामले में फैसला देना है । मुझे यकीन है कि जो प्रस्ताव मैंने इस हाउस के सामने पेश किया है और जिसके पेश करने में मेरे जहन में यह भावनायें थी, जो मैंने हाउस के सामने पेश कर दी, इसको हाउस मंजूर करेगा और मैं अपने दोस्त गेंदासिंह जी को यकीन दिलाना चाहता हूं कि जहां तक उनकी इज्जत का ताल्लुक है उसको अपहोल्ड ही करेंगे क्योंकि कोई भी मेम्बर भवन का किसी दूसरे के पीछे नहीं है ।

श्री अध्यक्ष––पहले मैं संशोधन ले लेता हूं । अब इस संशोधन में और मूल प्रस्ताव में प्रस्तावित श्री मेहरोत्रा के सम्बन्ध में एक सी सजा की सिफारिश है । लेकिन अगर संशोधन नामंजूर हुआ तो मैं यह नहीं मानूंगा कि श्री मेहरोत्रा के बारे में सजा देने का भी निर्णय नामंजूर हुआ । बल्कि उसको बाद में मूल प्रस्ताव के साथ भी उसे उपस्थित करूंगा । पहले इस संशोधन को पूरा ले लेता हूं ।

प्रश्न यह है कि यह सदन विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट को स्वीकार करता है पर पैरा १८ में प्रस्तुत निश्चयों के स्थान पर निम्नलिखित निश्चित करता है :

१––श्री श्याम मुरली मनोहर, ए० डी० एम०, देवरिया के अवैधानिक आदेश द्वारा श्री गेंदासिंह को जेल में रखकर ६ दिन सदन की सेवा से वंचित करने के सम्बन्ध में तथा समिति के समक्ष पेश किये गये जाली कागजात के निर्माण के सहयोग देने के कारण सदन के समक्ष बुलाकर भर्त्सना की जाय ।

२––श्री लक्ष्मी नारायण मेहरोत्रा को जाली कागजात पेश करने, विशेषाधिकार समिति के समक्ष झूठा बयान देने तथा गवाहों को झूठा बयान देने के लिये प्रभाव डालने के अपराध के लिये सदन में बुलाकर भर्त्सना की जाय ।

३––श्री योगेन्द्रनारायण चतुर्वेदी, स्टेशन आफिसर, तरैयासुजान को, जिनकी इनवेस्टिगेटिंग अफसर की हैसियत से दूसरा रिमांड लेने की मुख्य जिम्मेदारी थी और जो अवधि रहते हुये दूसरे रिमांड आर्डर न लेने के कारण श्री गेंदासिंह के ६ दिन के अवैध कारावास के लिये मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं, उन्हें सदन के समक्ष बुलाकर भर्त्सना की जावे ।

४––देवरिया के दोनों पुलिस नायब कप्तान श्री बसीर अहमद तथा श्री आर०के० मिश्र को समिति के समक्ष प्रस्तुत जाली कागजात के बनाने में सहयोग के अपराध के लिये चेतावनी दी जाय ।

५––श्री विद्याप्रसाद शुक्ल जिलाधीश देवरिया को सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना तथा समिति के समक्ष उपस्थित किये गये कृत्रिम कागजात के निर्माण में सहमति के कारण सदन के सम्मुख बुलाकर चेतावनी दी जाय ।

यह सदन यह भी निश्चय करता है कि श्री गेंदासिंह के विशेषाधिकार सम्बन्धी प्रश्न के सम्बन्ध में उपस्थित विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन में उल्लिखित जाली कागजातों के सम्बन्ध में श्री मेहरोत्रा आदि अधिकारियों के विरुद्ध एडवोकेट जनरल, यू० पी० कानूनी कार्यवाही शुरू करें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ :--

पक्ष में--१७

विपक्ष में १३६ ।)

श्री रामनारायण त्रिपाठी--अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। आपने यह फरमाया था कि श्री मेहरोत्रा के खिलाफ यह प्रस्ताव गिर जायगा, नारायणदत्त तिवारी ने श्री मेहरोत्रा के खिलाफ एक सजा तजवीज की थी। अगर वह नहीं रहती है तो फिर इस रिजोल्यूशन में रह क्या जाता है यह समझ में नहीं आता। इसलिये इसकी आवश्यकता क्या पड़ती है ?

श्री अध्यक्ष--आप बहुत देर में जागे। जिस वक्त मैंने इसको रखा था आपको उसी वक्त कहना चाहिये था। सदन जानता है कि क्या वोट दिया है। संशोधन में यह था कि जाली कागजात पेश करने के साथ-साथ बहुत से चार्ज भी लगाये थे। मूल प्रस्ताव दूसरे किस्म का है। जो समिति का प्रतिवेदन है उसके अनुसार ही प्रस्ताव है। यह थोड़ा सा अन्तर है। सजा एक सी है लेकिन जिस लिये सजा दी गयी है उसके कारण संशोधन तथा मूल प्रस्ताव में भिन्न-भिन्न हैं।

यह प्रस्ताव है मैंने थोड़ा-सा शाब्दिक परिवर्तन उसमें किया है चूंकि प्रस्तावक ने 'सदन' शब्द नहीं लिखा था।

"यह सदन श्री गेंदा सिंह से संबंधित विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट मंजूर करता है और रिपोर्ट में दी गयी सिफ़ारिशों के माफिक यह निश्चय करता है कि श्री फजलुर्रहमान ने हालांकि विशेषाधिकार की अवहेलना की है, मगर उनको कमेटी की सिफारिश के मुताबिक माफ कर दिया जाय।

श्री लक्ष्मीनारायण मेहरोत्रा, ए०पी०पी० ने विशेषाधिकार की अवहेलना की है इसलिये उनको सदन में बुला कर उनकी भर्त्सना की जाय।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, मैं कुछ जानना चाहता हूं। श्रीमन्, प्रतिवेदन के पृष्ठ ६ में श्री योगेन्द्रनाथ चतुर्वेदी के लिये समिति ने विभागीय जांच की सिफारिश की है। इसलिये लिखा है, श्री योगेन्द्रनाथ चतुर्वेदी, एस०ओ०, तरैयासुजान ने श्री गेंदासिंह के मामले में चार्जशीट प्रस्तुत करने में विलम्ब करके तथा समिति के समक्ष ऐसे बयान देकर जिससे श्री गेंदासिंह के कारावास की जिम्मेदारी किसी के ऊपर न रखी जा सके अपने कर्तव्य से विमुख रह कर अनुचित कार्य किया, जिसके लिये समिति सरकार से सिफारिश करती है कि विभागीय जांच के पश्चात् उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाय।

तो मैं जानना चाहता हूं कि इसके बारे में क्या निश्चय हुआ। यह प्रस्ताव में तो नहीं आया।

श्री अध्यक्ष--इस प्रस्ताव में यह है कि यह सदन विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट मंजूर करता है। तो इसमें सब चीजें आ गयीं। अब सिर्फ यह है दंड देने का सवाल कि जिनसे से ब्रीच आफ प्रिविलेज आपने माना उसके लिये खासतौर पर यहां दंड दिया जिसके लिये होना आपने समझा कि कोई विभागीय कार्यवाही करनी है, तो समिति की रिपोर्ट सरकार के पास जायगी तो उसके ऊपर वह कार्यवाही करेगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, क्या उनको एक्सप्लेनेशन का मौका दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष--मैं यह सवाल सदन से ही पूछ लेना चाहता हूं। नियम ६१ में दिया हुआ है कि अगर ब्रीच आफ प्रिविलेज समिति के सामने हुआ है, तो फिर आरोपी को बुलाने की जरूरत नहीं है। नियम ६१ में दिया हुआ है :

"Except where the breach of privilege is committed in the actual view of the House or a Committee, the House shall at some proper stage of the

[श्री अध्यक्ष]

proceedings before the sentence is passed give an opportunity to the persons charged to be heard in explanation or exculpation of the offence complained against him".

अब्दूल मुईज खां साहब ने मुझ से कहा कि चूंकि वह ब्रीच आफ प्रिविलेज उनके सामने ही हुआ है, समिति के सामने उन्होंने झूठा बयान दिया, तो समिति को इसका एहसास हुआ जैसे यहां पर कोई झूठा बयान दे, इस हाउस को उसका एहसास हो जाय। समिति के सामने झूठा बयान दिया गया और इसलिये उनपर ब्रीच आफ प्रिविलेज का अभियोग लगाया गया।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैं दूसरा इंटरप्रिटेशन करना चाहता हूं। मेरा विचार यह है कि एक्चुएल ब्रोच कमेटी के सामने नहीं किया गया, वहां पर फौर्ज्ड डाक्युमेंट्स नहीं बनाये गये, गोरखपुर या कसिया न जाने कहां बनाये गये। इसलिये एक्चुएल व्यु गवाही को नहीं माना जा सकता बल्कि फोर्ज्ड डाक्युमेंट्स को माना जायगा। नियमों के अनुसार एक्चुएल व्यु यानी फोर्ज्ड डाकुमेंट्स को ही चार्ज में माना जायगा।

श्री अध्यक्ष—समिति के समक्ष कार्यवाही हुयी और समिति के साक्षी को बहकाया इस सम्बन्ध में उन्हें जिम्मेदार ठहराया गया है। इसमें लिखा है कि समिति के समक्ष कृत्रिम अभिलेख प्रस्तुत करा कर और समिति के साक्षी को टेम्पर करके तथा समिति के समक्ष असत्य भाषण करके एवं सत्य छिपाने की चेष्टा करके श्री मेहरोत्रा ने सदन के विशेषाधिकार की घोर अवहेलना की एवं समिति का अपमान किया। इसमें यह दिया हुआ है कि यह सब समिति के समक्ष हुआ। इसका मतलब यह हुआ 'इन दि एक्चुएल व्यु आफ दि कमेटी' इसलिये मैं ने बार बार सदस्यों से कहा कि आप कृपा करके इस पर प्रकाश डालें और इसको क्लीअर करें और यह स्वीकार करके आपकी राय ली कि समिति के समक्ष यह बात हुयी है। अगर ऐसी चीज नहीं है और उसका प्रमाणित स्पष्टीकरण समिति के सदस्यगण दें तो यह हो सकता है कि सदन के सामने उनको बुला कर उनसे कहा जाय कि ये चार्जेज सदन ने आप पर लगाये हैं, आपको कुछ कहना है अपने एक्सप्लेनेशन में तो कहिये या आरोपित जुर्म में क्यों कमी की जाय इसका स्पष्टीकरण कीजिये। इस तरह उनके स्पष्टीकरण को सुनकर ही फिर भर्त्सना की जा सकती है लेकिन अगर उसके अवहेलना समिति के समक्ष ही हुयी है तो फिर इसकी जरूरत नहीं है। श्री अब्दुल मुइज खां से मैं पूछना चाहता हूं।

श्री अब्दुल मुईज खां—मैं यह निवेदन कर दूं कि दो बातें हैं। एक तो यह कि जिस नियम ६१ का हवाला दिया उसके प्रोवाइजो में यह दिया हुआ है :

"Provided that if the matter has been referred to the Privileges Committee and the person charged has been heard before the Committee, it will not be necessary for the House to give him that opportunity unless the House directs otherwise."

तो जो अधिकार किसी एक्यूज्ड को हैं तो एक दफा जब वह समिति के सामने बुलाया जा चुका और उसका बयान हो चुका तो फिर उसको यहां बुलाने का अधिकार नहीं रह जाता लेकिन जैसा कि रिपोर्ट में कहा गया है कि उन्होंने अपने बयान में यह स्वीकार किया है कि हमने गल्ती की है, २५ तारीख को जो बयान दिया, २६ को आकर कहा कि वह सब गलत है तो वह समिति के समक्ष हो गया, इसलिये वह अधिकार देने का सवाल पैदा नहीं होता।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—जितने लोग बुलाये गये थे समिति के सामने उनके बयान गवाहों की हैसियत से हुये, किसी पर चार्ज लगा कर एक्यूज्ड की हैसियत से बयान नहीं हुआ। ऐसी हालत में सदन को इत्तिला कर देना चाहता हूं कि उनको बुलाना और चार्ज लगाना और फिर उनको सुनना जरूरी है। बिना सुने हाउस कैसे डिसाइड कर सकता है। हो सकता है कि हाउस अदरवाइज ही डिसाइड कर ले।

श्री अध्यक्ष---मैं सदन से ही पूछ लेता हूं। प्रश्न यह है कि सदन श्री मेहरोत्रा को बुला कर, उनका स्पष्टीकरण सुन कर फिर उनको एडमानिश करे और फिर उनकी भर्त्सना करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री नारायणदत्त तिवारी की गिरफ्तारी से सम्बद्ध विशेषाधिकार समिति का द्वितीय प्रतिवेदन

श्री हरगोविंद पंत---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि श्री नारायणदत्त तिवारी जी की गिरफ्तारी से संबंधित विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर उत्तर प्रदेश विधान सभा विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार किया जाय। इसके सम्बन्ध में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। यह मामला सदन के सामने पहले भी आ चुका है और उसके अनन्तर फिर कमेटी ने उस पर विचार किया और ११ बार इस पर तारीखें लगीं और गवाहों के बयान लिये गये। पहली बार यह एतराज किया गया था कि एडवोकेट जनरल की राय नहीं ली गयी। इस बार एडवोकेट जनरल का साक्ष्य भी लिया गया, लीगल रिमेम्बरेंसर का भी और इसके बाद श्री बी०एन० टंडन ने भी अपना खेद प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि यदि कमेटी समझती है कि वास्तव में मुझसे गलती हुयी है तो मैं उसके लिये खेद प्रकट करने के लिये तैयार हूं। तो ऐसी हालत में इस सारी परिस्थिति को देखते हुये यह प्रकट होता है कि इससे विशेषाधिकार की अवहेलना नहीं हुयी है। इसलिये मैं समझता हूं कि यह सदन इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ;
२ दिसम्बर, १९५४।

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८ पर)

डिप्टी सेक्रेटरीज, ज्वाइंट सेक्रेटरीज व सेक्रेटरीज, जो राज्य सचिवालय में पांच साल से ऊपर से कार्य कर रहे हैं, की विभाग वार संख्या

विभाग का नाम	सेक्रेटरी	ज्वाइंट सेक्रेटरी	डिप्टी सेक्रेटरी
वित्त विभाग	१	. .	१
शिक्षा विभाग	१	. .	. .
माल विभाग	१	. .	१
सहायता तथा पुनर्वासन विभाग	१	. .	. .
चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग	१	१	. .
गृह विभाग	१	. .	१
चीफ सेक्रेटरी के विभाग	. .	१	. .
खाद्य तथा रसद विभाग	. .	. .	१
नियोजन विभाग	. .	. .	१
सार्वजनिक सिंचाई विभाग	. .	. .	१
कुल संख्या . .	६	२	६

सत्यमेव जयते

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २० का उत्तर पीछे पृष्ठ १६ पर)

२ अक्तूबर सन् १६५४ को खोले गये नेशनल एक्सटेन्शन ब्लाकों की सूची

नाम जिला	ब्लाक का स्थान
१—लखनऊ	प्रसार तथा प्रशिक्षण केन्द्र, बक्शी का तालाब
२—झांसी	प्रसार तथा प्रशिक्षण केन्द्र, चिरगांव
३—गाजीपुर	कृषि विद्यालय, गाजीपुर
४—बुलन्दशहर	कृषि विद्यालय, बुलन्दशहर
५—नैनीताल	प्रसार तथा प्रशिक्षण केन्द्र, रुद्रपुर
६—टेहरी-गढ़वाल	पुरौला, तहसील राजगढ़ी
७—सीतापुर	बेहता पकौड़ी, तहसील बिस्वां
८—लखीमपुर-खेरी	निघासन
६—कानपुर	पुखरायां, तहसील भोगनीपुर
१०—मुरादाबाद	ठाकुर द्वारा
११—सहारनपुर	मुजफ्फराबाद, तहसील सहारनपुर
१२—बिजनौर	कोतवाली, तहसील नगीना
१३—हमीरपुर	राथ
१४—बांदा	मानिकपुर, तहसील कर्वी
१५—जालौन	खुतन्द

संसद भवन

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न २८ का उत्तर पीछे पृष्ठ २० पर)

राष्ट्रीय प्रसार सेवा केन्द्र, इटियाथोक में २६ जनवरी, १९५४ से ३० सितम्बर, १९५४ तक हुये विकास कार्यों की सूची

१—खाद के गड्ढे खोदे गये	२७७
२—रासायनिक खाद का वितरण	४६० मन
३—बीजों का वितरण	७८११ मन
४—बैल जो बधिया किये गये	४१
५—अच्छी नस्ल के बैलों की पूर्ति	३
६—पशु जिनकी चिकित्सा की गयी	१६४
७—अच्छी नस्ल की चिड़ियों की पूर्ति	१५ जोड़े
८—सहकारी समितियां	१८
९—सिंचाई के नये कुयें बने	११
१०—सिंचाई के कुएं जिनकी मरम्मत हुयी और इनसे सिंचित नयी भूमि	२३ ११० एकड़
११—तालाब जो गहरे किये गये	२०
१२—ट्यूब वेल जो लगाये गये	२७
१३—भूमि जो खेती योग्य बनायी गयी	७०० एकड़
१४—नयी सड़क बनी कच्ची	२ मील २ फ०
	११० गज
१५—सड़क की मरम्मत हुयी कच्ची	२ मील
सड़क की मरम्मत हुयी पक्की	२ मील ५ फ०
१६—साधारण पाठशालायें जो बेसिक पाठशालाओं में परिवर्तित हुई	२
१७—सामाजिक मनोरंजन जो आयोजित किये गये	५
१८—सोख्ते के गढ़े जो बनाये गये	२
१९—नालियां जो बनायी गयीं	९०० गज
२०—पानी पीने के नये कुएं बने	२०
२१—पानी पीने के जो कुएं मरम्मत किये गये	४४
२२—व्यक्ति जिनके टीके लगे	१००

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २० पर)

जिला हमीरपुर में दिनांक १ जनवरी, १६५४ से लेकर दिनांक २४ सितम्बर, १६५४ तक रजिस्ट्री की गयी सहकारी समितियों की सूची ।

क्रम-संख्या	सहकारी समितियों के नाम	रजिस्ट्रेशन नं०	रजिस्ट्री की तिथि
१	दि हमीरपुर आफिशल्स कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, हमीरपुर	५७३	१५-५-१६५४
२	हरिजन पनवाड़ी सहकारी समिति लिमिटेड	५७४	८-६-१६५४
३	रूप नगर सहकारी समिति लिमिटेड	५७५	,,
४	बडरा खालसा ,,	५७६	,,
५	ग्राम सभा सरगांव ,,	५७७	,,
६	पवई ,,	५७८	,,
७	अकोना ,,	५७६	,,
८	सालट ,,	५८०	,,
६	जमौढ़ी ,,	५८१	,,
१०	जेलवारा ,,	५८२	,,
११	इटैलिया ,,	५८३	,,
१२	मगरौल ,,	५८४	,,
१३	मनकारी ,,	५८५	,,
१४	दांदों ,,	५८६	,,
१५	बरगुआं ,,	५८७	,,
१६	गोहली ,,	५८८	,,
१७	पहरा ,,	५८६	,,
१८	भमना ,,	५६०	६-६-१६५४
१६	करयारी ,,	५६१	,,
२०	बंगरा ,,	५६२	,,
२१	पचखुरा ,,	५६३	,,
२२	पछी ,,	५६४	,,
२३	छिबोली ,,	५६५	,,
२४	गिरवारा खुर्द ,,	५६६	,,
२५	सरीला पश्चिम ,,	५६७	,,
२६	सरीला दक्षिण ,,	५६८	,,
२७	लौलारा ,,	५६६	१६-६-१६५४
२८	गढ़ा ,,	६००	,,
२६	बंडवा ,,	६०१	,,
३०	छिपवाना ,,	६०२	,,
३१	बुडौरा ,,	६०३	,,
३२	सुमेरपुर प्रथम ,,	६०४	,,
३३	तिलवाड़ी ,,	६०५	,,
३४	सिचौरा ,,	६०६	,,
३५	अमर खन्ना ,,	६०७	,,
३६	टोला सगारन ,,	६०८	,,
३७	कुल पहाड़ मुहल्ला टोरियापुरा	६०६	,,

क्रम-संख्या	सहकारी समितियों के नाम	रजिस्ट्रेशन नं०	रजिस्ट्री की तिथि
३८—मुहल्ला पठनऊ राठ,	सहकारी समिति लिमिटेड	६१०	१९-६-१९५४
३९—बेहरका ..	,,	६११	,,
४०—डेबा ..	,,	६१२	,,
४१—सिलोखर ..	,,	६१३	,,
४२—बाबार मौदहा	,,	६१४	,,
४३—भुलसी ..	,,	६१५	,,
४४—रहीमगंज	,,	६१६	,,
४५—कोहनियां ग्राम सभा	,,	६१७	,,
४६—परीन पश्चिम	,,	६१८	,,
४७—रगौलिया बुजुर्ग	,,	६१९	२९-६-१९५४
४८—पलका ..	,,	६२०	,,
४९—पथा	,,	६२१	,,
५०—गहरा ..	,,	६२२	,,
५१—क्यारी ..	,,	६२३	,,
५२—बहेड़ी ..	,,	६२४	,,
५३—हटेलिया (जिमनी)	,,	६२५	१२-७-१९५४
५४—टोलामाक ..	,,	६२६	,,
५५—धिवारा ..	,,	६२७	,,
५६—थिपाहना ..	,,	६२८	,,
५७—पाटनपुर	,,	६२९	,,
५८—मदारपुर ..	,,	६३०	,,
५९—नराचन ..	,,	६३१	,,
६०—चांदी कलां	,,	६३२	,,
६१—ओटेरा ..	,,	६३३	,,
६२—मिलावां मंझूपुर	,,	६३४	१२-७-१९५४
६३—बिदोखर पुरई	,,	६३५	,,
६४—किसवाड़ी	,,	६३६	,,
६५—परेपरा ..	,,	६३७	,,
६६—रिगवारा कलां	,,	६३८	१४-७-१९५४
६७—मुगलपुरा परवा	,,	६३९	,,
६८—नुसियारी ..	,,	६४०	,,
६९—पनवाड़ी पूर्व	,,	६४१	,,
७०—दिकवारा ..	,,	६४२	,,
७१—तेइया ..	,,	६४३	,,
७२—उरदना ..	,,	६४४	,,
७३—गुरदहा ..	,,	६४५	,,
७४—डिगरिया ..	,,	६४६	,,
७५—तमोरा ..	,,	६४७	,,
७६—कमसा ..	,,	६४८	,,
७७—सिरली खुर्द	,,	६४९	,,
७८—देदन पुरा	,,	६५०	,,
७९—जमखुरी ..	,,	६५१	,,

क्रम-संख्या	सहकारी समितियों के नाम	रजिस्ट्रेशन नं०	रजिस्ट्री की तिथि
८०—उमन्नियां	सहकारी समिति लिमिटेड	६५२	१४-७-१९५४
८१—छोटी बछौनी	,,	६५३	,,
८२—ओरेवर	,,	६५४	,,
८३—बड़ेरा माफ	,,	६५५	,,
८४—महोव कसड	सहकारी संघ लिमिटेड	६५६	,,
८५—सिवनी	सहकारी समिति लिमिटेड	६५७	१८-८-१९५४
८६—ठुन्ना	,,	६५८	,,
८७—ग्यूढ़ी	,,	६५९	,,
८८—मुरहा	,,	६६०	,,
८९—कोहारी	,,	६६१	,,
९०—अमानपुरा	,,	६६२	,,
९१—पचारा	,,	६६३	,,
९२—बसेला	,,	६६४	,,

सत्यमेव जयते

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २५ पर)

संख्या ४७२८-एम० (२०) ५४

प्रेषक,

श्री आदित्य नाथ झा, आई०सी०एस०

चीफ सेक्रेटरी,

उत्तर प्रदेश सरकार ।

सेवा में,

उत्तर प्रदेश के सब विभागों के अध्यक्ष,

डिवीजनों के कमिश्नर, जिला अफसर और अन्य दफ्तरों के अधिकारी ।

दिनांक, लखनऊ, सितम्बर २९, १९५४ ।

महोदय,

सचिवालय प्रशासन विभाग (स्थापना)

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म-दिवस के अवसर पर, खादी और ग्रामीण उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिये अखिल भारतीय खादी ग्राम उद्योग मंडल ने इस वर्ष २ रु०, ५ रु०, १० रु०, २५ रु०, ५० रु० और १०० रु० की हुन्डियों का प्रबन्ध किया है जिनको खरीदकर उनके बदले में, सर्व सेवा संघ द्वारा प्रमाणित किसी भी खादी भंडार या सेल्स इम्पोरियम में सूती, ऊनी और रेशमी खादी ली जा सकती है। इन हुन्डियों का प्रयोग आगामी ३१ मार्च तक किया जा सकता है ।

२--सरकार की ओर से इसके पहले भी सरकारी कर्मचारियों के लिये यह सुझाव दिया गया था कि वे खादी को अपनावें । इस वर्ष गांधी जयन्ती के उपलक्ष्य में खादी हुन्डियों की बिक्री सरकारी ढंग से हो रही है जिससे सरकारी कर्मचारियों को खादी खरीदने में सुविधा हो। खादी के प्रयोग से लाखों दरिद्र भाइयों और बहनों को जीविका का सहारा मिलता है । इस विषय में सरकारी कर्मचारियों से यह विशेष आशा की जाती है कि वह खादी को अपनायेंगे और दफ्तर में खादी के वस्त्र का प्रयोग करेंगे। ऐसा करने से उनका अनुकरण और लोग भी करने लगेंगे।

३--इस विषय में गत २३ सितम्बर को सचिवालय में एकत्रित कर्मचारियों को मुख्य मंत्री जी ने जो सीख दी उसका एक विवरण संलग्न है जिसे शायद आप लाभप्रद पायें। आशा है कि आपके कार्यालय में भी उसी के आधार पर कर्मचारिगण इस सुनीत अवसर का लाभ उठाकर खादी खरीदना चाहेंगे ।

आपका विश्वासपात्र,

आदित्य नाथ झा,

चीफ सेक्रेटरी ।

सरकारी कर्मचारियों में खादी हुन्डियों की बिक्री

मुख्य मंत्री द्वारा उद्घाटन

कल रात को राज्य के सरकारी कर्मचारियों के बीच खादी हुन्डियों की बिक्री का उद्घाटन करते हुये उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री, पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने कहा कि वर्ग भेद मिटाने तथा आम बेकारी दूर करने के लिये खादी गांधी जी का एक महामंत्र है। इस अवसर पर विधान भवन में एकत्र हुये मंत्रियों, सचिवों, गजटेड तथा नान-गजटेड अधिकारियों में स्वेच्छापूर्वक अधिक से अधिक रुपये की खादी की हुन्डियां खरीदने की होड़ लग गयी । प्रायः सभी मंत्रियों तथा मुख्य सचिव ने २५० रु० और अन्य सचिवों ने १२५ रु० की खादी हुन्डियां खरीदना स्वीकार किया ।

इस वर्ष गांधी जयन्ती से खादी हुन्डियों की बिक्री को सरकार द्वारा प्रेरित एक आंदोलन का रूप देने पर मुख्य मंत्री ने प्रसन्नता प्रगट की और कहा कि खादी के प्रयोग से बाबू वर्ग और ग्रामीण भेद मिट गया है। विदेशी शासन काल में, सरकारी कर्मचारी अपने को एक विशिष्ट वर्ग का समझते थे और आज भी उनमें यह धारणा कुछ सीमा तक बनी हुई है। पंडित पंत ने कहा कि लोकतंत्र की सफलता के लिये सरकारी और असरकारी व्यक्तियों के बीच की यह खाई दूर होनी ही चाहिये और इसके लिये खादी से, जो स्वतंत्रता का परिधान है, अधिक अच्छा कोई अन्य साधन नहीं है। यदि जनता और सरकार के बीच समानता की यह भावना आजाय तो शासन की शक्ति हजार गुनी बढ़ सकती है।

मुख्य मंत्री ने सरकारी कर्मचारियों से अपील की कि पिछले दिनों में खादी का प्रयोग न करने की कमी को पूरा करने के लिये वे खादी का अधिकाधिक प्रयोग करें। उन्होंने यह आशा प्रगट की कि शुरू में विधान भवन का प्रत्येक कर्मचारी अपने निजी तथा परिवार के उपयोग के लिये अधिक से अधिक खादी खरीदेगा। पंत जी ने कहा कि सचिवालय में जो कुछ आज होता है उसका जिलों में अनुकरण किया जाता है। अतएव हमारा यह कार्य राज्यभर के सरकारी कर्मचारियों का पथ-प्रदर्शन करेगा।

अन्त में पंडित पंत ने कहा कि मैं उस दिन की कामना करता हूं जब सरकारी कर्मचारी खादी के अलावा और किसी वस्त्र का उपयोग न करेंगे। उन्होंने अनुरोध किया कि वे आगे अपने लिये केवल खादी ही खरीदें, यद्यपि मैं उन्हें अपने मौजूदा वस्त्रों का परित्याग करने की राय नहीं देता। खादी के उपयोग से सरकारी कार्यालयों को एक नया गौरव प्राप्त होगा और जनता में सरकारी कर्मचारी लोकप्रिय बन सकेंगे।

सचिवालय के कर्मचारियों के लिये उनके प्रतिनिधियों द्वारा यह निश्चय किया गया कि खादी हुन्डियों की खरीद के लिये विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों में मुख्य सचिव २५० रु०, और सचिव, संयुक्त सचिव इत्यादि १२५ रु०, उपसचिव ७० रु०, अनुसूचित तथा सहायक सचिव ५० रु०, अधीक्षक तथा पर्सनल असिस्टेंट २५ रु०, स्टेनोग्राफर व अपर डिवीजन सहायक १० रु०, लोअर डिवीजन सहायक ६ रु० और जूनियर डिवीजन सहायक ४ रु० की खादी खरीदें।

मुख्य मंत्री ने सचिवालय की महिला कर्मचारियों को भी यथासम्भव खादी का उपयोग करने की राय दी।

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २५ पर)

पिछले ५ वर्षों में जिला भ्रष्टाचार विरोधी समिति, बस्ती द्वारा पास किये गये प्रस्तावों तथा उन पर जो कार्यवाही हुई उसकी तालिका

क्रमसंख्या	प्रस्ताव	कार्रवाई का विवरण
१	यह निश्चय हुआ कि दफा १६२ की नकल हर चालानी मुकदमे में कोर्ट मोहर्रिर तैयार रखें गवाह के बयान समाप्त होने पर फौरन दे दें। एस० पी० साहब कागज का प्रबन्ध करें और जहां तहां मुमकिन हो जो लोग नकल चाहते हों वह नकल के लिये कागज कोर्ट मोहर्रिर को दे दें।	प्रस्ताव की प्रतिलिपि सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस के पास कार्रवाई केलिये भेजी गयी।
२	प्राथमिक रिपोर्ट (एफ० आई० आर०) व दफा १६४ के बयानात की नकल मजिस्ट्रेट के सामने फौरन पहुंच जानी चाहिये, एस०पी० के कार्यालय में प्राथमिक रिपोर्ट (एफ० आई० आर०) न रोकी जाय।	प्रस्ताव के अनुसार कार्रवाई के लिये प्रतिलिपि सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस को भेजी गयी।
३	यह निश्चय हुआ कि अगर हाकिम अदालत (प्रिसाईडिंग आफिसर) को किसी सरकारी कार्यवश बाहर जाना हो तो वह अदालत छोड़ने के पहले इस बात का इत्मीनान कर लें कि हर मुकदमें में तारीख डाल दी गयी और सायल को बतला दिया गया।	तदनुसार सब अदालतों को आवश्यक आदेश जारी किये गये।
४	सिविल कोर्ट के बारे में समिति ने यह निश्चय किया कि सवालखानी २ बजे दिन को हो ताकि जनता को सुविधा हो।	प्रतिलिपि जिला जज को इस प्रार्थना के साथ भेजी गयी कि समिति के सुझाव पर आवश्यक आदेश जारी किये जायं।
५	सिविल कोर्ट के बारे में यह भी निश्चय हुआ कि अदालत में मिसिलों के मुआइना की व्यवस्था की जावे ताकि जनता को सुविधा हो।	प्रतिलिपि जिला जज को इस प्रार्थना के साथ भेजी गयी कि समिति के सुझाव पर आवश्यक आदेश जारी किये जायं।
६	जिला शिकायत अधिकारी की नियुक्ति के सम्बन्ध में सोच विचार।	श्री बी० के० मिश्र, आई० ए० एस०, हाकिम परगना, बांसी को जिला शिकायत अधिकारी नियुक्त किया गया।
७	यह निश्चय हुआ कि छोटे कर्मचारियों की अपेक्षा भ्रष्ट उच्च पदाधिकारियों को पकड़ने के प्रयत्नों पर विशेष ध्यान दिया जाय। समिति के सभी सदस्य ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध सबूत इकट्ठा करने का प्रयत्न करें जो भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के लिये बदनाम हों।	सभी समिति के सदस्यों से आवश्य प्रयत्न करने के लिये आग्रह किया गया।

क्रम संख्या	प्रस्ताव	कार्रवाई का विवरण
८	निश्चय किया गया कि सरकारी तथा गैर सरकारी जरियों से सतत और व्यवस्थित प्रचार द्वारा घूसखोरी और भ्रष्टाचार के निवारण के लिये उपयुक्त मनोवैज्ञानिक वातावरण बनाया जाय। यह सुझाव दिया गया कि अधिकारी जब दौरे पर जायं तो लोगों की कठिनाइयों का पता लगावें जिनकी वजह से उन्हें मजबूरन रिश्वत देनी पड़ती है ।	समिति के सदस्यों तथा सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिये प्रस्ताव की सूचना दी गयी।
९	सरकारी और अर्ध सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार रोकने के उपायों पर विचार किया गया और यह निश्चय हुआ कि इसके लिये वैभागिक अध्यक्ष अपने अधीनस्थ अधिकारियों को आदेश जारी कर दें कि उनके पास जो भी भ्रष्टाचार की शिकायतें आवें उनकी सूचना वैभागिक अध्यक्ष को अनिवार्य रूप से दी जाय।	जिले के सभी वैभागिक अध्यक्षों को सूचित किया गया और आवश्यक आदेश जारी करने का आग्रह किया गया । तदनुसार विभिन्न वैभागिक अध्यक्षों के कार्यालयों में शिकायतों के लिये बकसे रख दिये गये हैं और जो भी शिकायतें आती हैं रोज देखी जाती हैं तथा उन पर उचित कार्रवाई की जाती है।
१०	यह निश्चय किया गया कि भ्रष्टाचार उन्मूलन सम्बन्धी व्यवस्था के बारे में एक पुस्तिका प्रकाशित की जाय और उसकी २० हजार प्रतियां छपवाकर बंटवाई जायं ।	पुस्तिका प्रकाशित कराकर बंटवायी गयी तथा प्रतियां सभी सदस्यों को दी गयीं।
११	यह निश्चय किया गया कि समिति अपना कार्य अधिक लगन से करे।	तदनुसार सभी सदस्यों से आवश्यक सहयोग की प्रार्थना की गयी ।
१२	यह निश्चय हुआ कि भ्रष्टाचार के जो भी मामले समिति के सामने रखे जायं उनमें क्या कार्रवाई हुई यह भी सूचना उपलब्ध रहे तथा यदि किसी मामले में समिति आवश्यक समझे तो संबंधित पत्रावली भी मंगायी जावे।	जिले में सभी विभागों को आवश्यक आदेश जारी किये गये, और अगली मीटिंग में मुख्य मुख्य मामलों के विवरण तथा संबंधित पत्रावली भेजने के लिये कहा गया।
१३	यह निश्चय किया गया कि भ्रष्टाचार रोकने के लिये विभिन्न विभागों के कार्यालयों की अचानक जांच के लिये छापे मारे जायं।	अधिकारियों को तदनुसार कार्रवाई के लिये आदेश जारी किये गये तथा उपयुक्त मामलों में छापे मारे जाने की व्यवस्था चालू है।
१४	यह निश्चय हुआ कि श्री रमेशचन्द्र जो नकलनबीस की जगह से बरखवास्त हुये हैं उनके मामले को पत्रों में प्रकाशित किया जाय।	तदनुसार श्री रमेशचन्द्र की बरखास्तगी की सूचना "पंचमुख" तथा "निष्पक्ष" पत्रों को दी गयी ।

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५२ का उत्तर पीछे पृष्ठ २८ पर ।)

दिनांक १८ अगस्त, १९५४ ई० की विज्ञप्ति संख्या २३७२/२ बी (११८)/ ५४, द्वारा संशोधित गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स कन्डक्ट रूल्स (सरकारी कर्मचारी आचरण नियम) के रूल २ की प्रतिलिपि—

२—कोई सरकारी कर्मचारी सरकार की पूर्व सहमति बिना अपने निकट सम्बन्धी के सिवाय किसी अन्य व्यक्ति से उपहार (gift) अनुग्रह-धन (gratuity) या पारितोषिक—

(क) प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से अपनी ओर से या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से स्वीकार न करेगा, या

(ख) अपने परिवार के किसी ऐसे सदस्य को, जो उस पर अवलंबित हो, स्वीकार करने की अनुमति न देगा ।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वह किसी वैयक्तिक मित्र से कोई ऐसा विवाहोपहार या रस्मी तोहफा जो मूल्य में ५१ रु० से अधिक न हो, स्वीकार कर सकता है या अपने परिवार के किसी सदस्य को स्वीकार करने की अनुमति दे सकता है । किन्तु सभी सरकारी कर्मचारियों को चाहिये कि वे इस प्रकार के भेंट दिये जाने को भी हतोत्साहित करने का भरसक प्रयत्न करें।

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९ पर)

सामुदायिक विकास योजना कसिया, जिला देवरिया में ३० सितम्बर, १९५४ तक किये गये तथा भविष्य में होने वाले कामों की सूची

मदें	योजना की अवधि में किये जाने वाले कार्यों की निर्धारित मात्रा	किया गया कार्य	भविष्य में किया जाने वाले काम
१—अतिरिक्त क्षेत्र जिसमें सिंचाई की गयी या की जायेगी।	३५,७५० एकड़	१०,१७७ एकड़	२५,५७३ एकड़
२—अच्छी किस्म के बीजों का वितरण	३६,०८५ मन	७,२७४ मन	२८,८११ मन
३—प्राप्त किये जाने वाले और खरीदे हुये बीज	८३,०५० मन	६,१७५ मन	७६,८७५ मन
४—डिमांस्ट्रेशनों की संख्या	३,१२२	२,९५७	१६५
५—रासायनिक खाद का वितरण	११,६००	६,७८४	४,८१६
६—हरी खाद के बीजों का वितरण	२,६२० मन	५९३ मन	२,०२७ मन
७—नए बगीचों द्वारा बढ़ाया गया क्षेत्र	१३० एकड़	३३ एकड़	९७ एकड़
८—बोए जाने वाले फलदार पेड़ों की संख्या	४७,८००	७,३९७	४०,४०३
९—बोए जाने वाले ईंधन के पेड़ों की संख्या	६,०००	१२,५९३	—
१०—फल और तरकारियों की पौधशालायें	१२	१२	—
११—तरकारियों के बीजों का वितरण	१५० पौन्ड	१३६ पौंड	१४ पौंड
१२—आलुओं का वितरण	२,२०० मन	४७१ मन	१,७२९ मन
१३—अतिरिक्त क्षेत्र जिसमें तरकारियां बोई गयी या बोयी जायंगी	..	४२७ एकड़	—
१४—भूमि सुधार किया गया कुल क्षेत्र	५० एकड़	१७ एकड़	३३ एकड़
१५—बांटे गये या बांटे जाने वाले मवेशियों की संख्या—			
(अ) गाय और भैंस	१५०	७३	७७
(ब) सांड़	९०	३	८७

मद	योजना की अवधि में किये जाने वाले कार्यों की निर्धारित मात्रा	किया गया कार्य	भविष्य में किया जाने वाले काम
(त) दूसरे मवेशी	११०	२३	८७
(क) चिड़ियां	७५०	३४६	४०४
१६--मवेशी चिकित्सा	३,५२५	३,३२३	—
१७--मवेशी जिनके टीके और सुइयां लगायी गयीं या लगायी जायेंगी	१,०५,०००	८०,४८६	२४,५१४
१८--बालिग जिन्हें शिक्षा दी गयी	—	१,४९४	—
१९--पुस्तकालय तथा वाचनालय	५१	३३	१८
२०--सामुदायिक केंद्र	९०	८७	३
२१--बनायी गयी या बनायी जाने वाली कच्ची सड़कें	४३ मील	२९ मील ७ फर्लांग	१३ मील १ फर्लांग
२२--बनायी गयी या बनायी जाने वाली पक्की सड़कें	७ मील	४ मील ६ फर्लांग	२ मील २ फर्लांग
२३--कच्ची सड़कों की मरम्मत	१५० मील	५२ मील १ फर्लांग	९७ मील ७ फर्लांग
२४--सैनिटरी कुयें (हाथ पम्प समेत) की संख्या	२६५	८६	१७९
२५--व्यक्ति जिनके टीके और सुइयां लगायी गयीं	१,९५,०००	४२,०७७	१,५२,९२३
२६--वह ग्राम, जहां मलेरिया से बचने की दवा छिड़की गयी, उनकी संख्या	६१५	५४८	२०५ ग्रामों में साल में दो मरतबा दवा छिड़की जायगी।
२७--इटों के भट्ठे जिन्हें चलाया गया या चलाया जाना है	१९	७	१२
२८--बनायी गयी या बनायी जाने वाली ईंटों की संख्या	२७५ लाख	७० लाख	२०५ लाख

नत्थी 'ज ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९ पर)

सामुदायिक विकास योजना कसिया, जिला देवरिया में ३० सितम्बर, १९५४ तक व्यय होने वाले रुपए की सूची—

	रुपया
१—प्रोजेक्ट हेडक्वार्टर	१,८२,०००
२—कृषि विस्तार तथा पशुपालन	१,७२,०००
३—सिंचाई	१,६६,०००
४—स्वास्थ्य तथा ग्रामों की सफाई ..	७४,०००
५—शिक्षा	५२,०००
६—सामाजिक शिक्षा	५४,०००
७—यातायात	२,०६,०००
८—ग्रामीण कला और दस्तकारियां ..	५१,०००
कुल व्यय ..	९,५७,०००

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६० का उत्तर पीछे पृष्ठ ३१ पर ।)

RESOLUTION

"This meeting of the representatives of canegrowers and sugar factory owners accepts the principle of linking the cane price with the price of sugar. To give effect to this principle the Government shall proceed with necessary legislation. The Government shall, in drafting legislation, keep in view the experiment tried in South India known as SISMA formula and the one tried in PEPSU (as explained in papers already circulated).

If the canegrowers or mill-owners want to suggest any alrernative formula, the Government will consider it if submitted by July 31, 1954.

Under the proposed legislation the factory will pay an *ad hoc* price fixed by the Government and will pay additional amount, if any, to bring the total payment in proportion to sugar price.

नत्थो 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३२ पर ।)

सामूहिक विकास केन्द्र, बीकापुर, जिला फैजाबाद में किये जाने वाले खर्च की सूची—

	योजना की अवधि का कुल व्यय	योजना के प्रारम्भ से ३०–९–५४ तक हुआ कुल व्यय
१—योजना का प्रधान कार्यालय	३,३५,३००	२,०१,०००
२—कृषि प्रसार तथा पशुपालन	३,२३,३००	१,१८,०००
३—सिंचाई	७,०४,८००	२,०९,०००
४—भूमि अर्जन (Reclamation)	६७,०००	३,०००
५—स्वास्थ्य तथा ग्रामीण सफाई	१,२८,४००	७२,०००
६—शिक्षा	१,०४,३००	४२,०००
७—सामाजिक शिक्षा	५९,८००	३७,०००
८—यातायात	३,४४,२००	१,६४,०००
९—ग्राम्य कलायें, दस्तकारियां और उद्योग	१,३८,९००	९०,३००
	२२,०६,०००	९,३६,०००

नत्थी 'ट'

(देखिये पीछे पृष्ठ ३७ पर)

यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९५४

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ में कुछ प्रयोजनों के निमित संशोधन करने का

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६।

विधेयक

यहां पर आगे चलकर प्रतीत होने वाले प्रयोजनों के निमित्त यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ को संशोधित करना आवश्यक है; यू० पी० ऐक्ट २, १९१६।

अतएव भारतीय गणतंत्र के पांचवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षनाम और आरम्भ।

१—(१) यह अधिनियम यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) अधिनियम, १९५४ कहलायेगा,

(२) यह तुरन्त प्रचिलित होगा।

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६, की धारा २ का संशोधन।

२—यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ (जिसे यहां पर आगे चल कर मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा २ के खंड (२१) के पश्चात् निम्नलिखित नये खंड २१-ए के रूप में दिया जाय :

"(21-A) The expression 'Scheduled bank' shall have the meaning assigned to it in the Reserve Bank of India Act, 1934."

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ४ का संशोधन।

३—मूल अधिनियम की धारा ४ में :

(१) उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

(1) Before the issue of a Notification under section 3 the State Government shall publish in the official *Gazette* and cause to be affixed at the office of the District Magistrate and at one or more conspicuous places within or adjacent to the local area concerned, a draft in Hindi of the proposed notification along with a notice stating that the draft will be taken into consideration on the expiry of the period as may be stated in the notice;" और

(२) उपधारा (२) में शब्द "Within the said period of two months" के स्थान पर शब्द "within the period stated" रख दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा १०-ए का संशोधन।

४—मूल अधिनियम की धारा १०-ए के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"10-A. (1) Except as provided in section 31 or 31-A, the term of every board shall be four years :

Provided that the State Government may, by notification in the official *Gazette*, extend from time to time the term of

all or any of the boards, so however, that the total extension in the case of any board does not in the aggregate exceed two years.

(2) The term of a board shall begin from the date of notification issued in pursuance of section 56 that the board has been constituted."

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा १३–डी का संशोधन ।

५––मूल अधिनियम की धारा १३–बी में :

(१) खंड (a) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जायं––

' '(*a*) is a dismissed servant of a Local Authority, the Central Government or the Government of a Part A, Part B or Part C State, and is debarred from re-employment thereunder ; or"

(२) अन्त में द्वितीय प्रतिबन्धात्मक वाक्य के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण के रूप में बढ़ा दिया जाय––

' ' *Explanation* : A Government treasurer shall not be deemed to be in the service of the State or of the Central Government within the meaning of clasuse (*f*)."

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ३० का संशोधन ।

६––मूल अधिनियम की धारा ३० में:––

(१) शब्द "any duty" के पश्चात् आने वाले शब्द "or duties" निकाल दिये जायं;

(२) शब्द "imposed" के पश्चात् आने वाले शब्द 'on' के स्थान पर शब्द 'upon' रख दिया जाय;

(३) शब्द "by or under" के पश्चात् आने वाले शब्द "the" के स्थान पर शब्द 'this' रख दिया जाय;

(४) शब्द 'by order' के पश्चात् शब्द 'together' रख दिया जाय; और

(५) प्रतिबन्धात्मक वाक्य निकाल दिया जाय ।

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ३१–ए का संशोधन ।

७––मूल अधिनियम की धारा ३१–ए के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय ––

"31-A. Where a board is dissolved under the section 30 the following consequences shall follow—

(*a*) All members of the board including the President shall, on a date to be specified in the order, vacate their offices as such, but without prejudice to their eligibility for re-election or re-nomination.

(*b*) As soon as may be thereafter, the election or nomination of the members, and of the President, shall be held or made as the case may be, as though a general election were due under section 13-A.

(*c*) Such person or persons as the State Government may appoint in that behalf shall so long as the board

is not reconstituted exercise and perform, so far as may be, the powers and duties of the board and shall be deemed to be the board for all purposes."

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ३८ का संशोधन ।

८—मूल अधिनियम की धारा ३८ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"38. The term of office of a member elected or nominated to fill a casual vacancy or a vacancy remaining unfilled at the general election shall begin upon the declaration of his election under the Act and shall be the reminder of the term of the board."

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ४३ का संशोधन ।

९—मूल अधिनियम की धारा ४३ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"43. (1) As soon as may be after the election of members of a board is completed at a general election, the members shall elect a President of the Board in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote and the voting at such election shall be by secret ballot.

(2) For the purposes of the election of President, the election of the members of the board shall, notwithstanding any seat remaining unfilled, be deemed to be completed if at least four-fifths of the total number of members fixed under section 9 have been elected."

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ में नई धारा ४३-एए का रखा जाना ।

१०—मूल अधिनियम की धारा ४३-ए के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा ४३-ए के रूप में रख दिया जाय—

"43-AA. (1) A person shall not be qualified to be chosen as President of a board unless he—

(*a*) is an elector for any ward in the municipality concerned ; and

(*b*) is not less than 30 years of age on the date of his nomination as a candidate for election to the office of President under section 43-C.

(2) A person shall be disqualified for being chosen as, and for being, a President of a board—

(*a*) if he is or has become subject to any of the disqualifications mentioned in clauses (*a*) to (*j*) of section 13-D and the disqualification has not ceased or been removed under the said section ;

(*b*) is a member of a district board under the U. P. District Boards Act, 1922".

यू० पी० ऐक्ट २, १९४६ की धारा ४३-बी का संशोधन ।

११—मूल अधिनियम की धारा ४३-बी के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"43-B. (1) No election of the President shall be called in question except by an election petition presented in accordance with the provisions of this Act.

(2) An election petition may be presented by any member entitled to vote at the election or by a candiadate who has been defeated at the election on one or more of the following grounds, that is to say—

(*a*) that the returned candidate has committed any corrupt practice within the meaning of section 28 ;

(*b*) that the nomination of any candidate has been wrongly rejected, or the nomination of the successful candidate or any other candidate who has not withdrawn his candidature has been worngly included ;

(*c*) that the result of the election has been materially affected by—

(i) the improper rejection or refusal of a vote, or

(ii) any non-compliance with the provisions of this Act or of any rules or orders made under this Act.

(3) An election petition shall be presented to such officer as the State Government may by notification in the official *Gazette* appoint in this behalf and different officers may be appointed in respect of petitions relating to different municipalities.

(4) If an election petition has not been presented within the time allowed therefor under section 43-C or is not accompanied with the requisite court fee or security the office appointed under sub-section (3) shall reject the petition.

(5) An election petition not rejected under sub-section (4) shall be head by a Tribunal consisting of one or more civil judicial officer or officers not below the rank of a District Judge to be appointed by the State Government in this behalf."

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ में नई धारा ४३-सी का रखा जाना।

१२—मूल अधिनियम की धारा ४३–बी के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा ४३–सी के रूप में रख दिया जाय—

"43-C. The State Government may, by Order, make provision with respect to the following matters concerning the conduct of and settlement of dispute regarding election of Presidents, that is to say—

(*a*) the appointment, powers and duties of Returning Officers ;

(*b*) appointment of dates for nomination, scrutiny, withdrawal and polling;

(*c*) the manner of presentation and the form of nomination paper, the requirements for a valid nomination, scrutiny of nominations and withdrawal of candidature ;

(*d*) procedure at elections, including death of candidate before poll and procedure of contested and uncontested elections ;

(*e*) hours of polling and adornment of poll ;

(*f*) manner of voting at elections ;

(*g*) scrutiny and counting of votes including recounting of votes and procudure to be followed in case of equality of votes ;

(*h*) declaration and notification of results;

(*i*) return and forfeiture of security deposits;

(*j*) form of the election petition and the court fee payable thereon and parties thereto;

(*k*) manner of presentation of the election petition and the time within which the petition shall be presented;

(*l*) deposit of security with the election petition and return and forfeiture thereof;

(*m*) relief that may be claimed by the petitioner;

(*n*) procedure to be followed in the hearing of election petition and the place of hearing;

(*o*) powers of the election tribunal;

(*p*) orders of the tribunal including declaration of a candidate other than the returned candidate to have been elected and grounds therefor;

(*q*) disqualification of candidates on the ground of committing corrupt practices; and

(*r*) generally on all matters relating to conduct of and disputes regarding election of Presidents."

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ४४-ए का संशोधन।

१३--मूल अधिनियम की धारा ४४-ए के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"44-A. If a casual vacancy occurs in the office of President owing to death, resignation or removal, or due to the avoidance of his election, the members of the board shall elect a President in the manner, as far as may be, provided in section 43 and under section 43-C for the election of President at a general election."

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ४६ का संशोधन।

१४--मूल अधिनियम की धारा ४६ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"46. The term of office of a President elected in a casual vacancy shall commence from the declaration of his election under the Act and shall be the remainder of the term of the board."

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ४७-ए का संशोधन।

१५--मूल अधिनियम की धारा ४७-ए के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"47-A. (1) If a motion of non-confidence in the President has been passed by the board and communicated to the President in accordance with the provisions of section 87-A, the President shall resign his office within three days of the sending of the communication.

(2) In the event of failure of the President to resign within the time allowed under sub-section (1), the State Government shall remove him with effect from a date to be specified in the order and any person so removed shall notwith-

standing any thing in section 43-AA be not eligible for re-election or to fill any casual vacancy occurring before the general elections next following."

यू० पी० ऐक्ट २ १९१६ की धारा ४८ का संशोधन।

१६—मूल अधिनियम की धारा ४८ की उपधारा (२) के खंड (b) के उपखंड (i) में संख्या और अक्षर " 13-D " के स्थान पर संख्या और अक्षर "43-AA" रख दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ४९ का संशोधन।

१७—मूल अधिनियम की धारा ४९ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:

"49. The President of a board, if he is not already a member of the board, shall be *ex-officio* member of the board".

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ में नई धारा ५४–ए का बढ़ाया जाना।

१८—मूल अधिनियम की धारा ५४ के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा ५४–ए के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"54-A. (1) Where a person on being elected President fails or refuses to function or is otherwise not able to function, and a vice-president has not been elected in accordance with this Act, the powers and functions of the President shall, until a vice-president has been elected, be exercised and performed, if the District Magistrate so directs and subject to such conditions as he may specify, by the Executive Officer and in the case of a Board where there is no Executive Officer, by the Secretary, and the following procedure shall be followed for the election of a vice-president.

(2) The meeting for the election of the vice-president shall be held at the office of the Board and on the date and time appointed by the District Magistrate. The notice of the meeting and the date and time appointed therefor shall be sent to every member of the board at his place of residence 7 clear days before the date fixed for the meeting. A copy of such notice shall also be published in such manner as the District Magistrate may direct and thereupon every member shall be deemed to have received the notice.

(3) The District Magistrate shall arrange with the District Judge for a stipendiary Civil Judicial Officer to preside at the meeting convened under this section, and no other person shall preside over it. If within half an hour of the time appointed for the meeting, the Judicial Officer is not present to preside at the meeting, the meeting shall stand adjourned to the date and the time to be appointed and notified later to the members by that office under sub-section (4).

(4) If the Judicial Officer is unable to preside at the meeting, he may after recording his reasons adjourn the meeting to such other date and time as he may appoint but not later than 7 days from the date appointed for the meeting under sub-section (2). He shall without delay communicate in writing to the District Magistrate the adjournment of the meeting. It shall not be necessary to send notice of the date and the time of the adjourned meeting to members individually but the District Magistrate shall give notice of the date and the time of the adourned meeting by publication in the manner provided in sub-section (2).

(5) Save as provided under the sub-sections (3) and (4) the meeting convened under this section shall not be adjourned for any reason.

(6) As soon as the meeting convened under this section has commenced the Board shall proceed to elect the vice-president.

(7) The Judicial Officer shall not be entitled to vote at the election.

(8) In case of equality of votes, the Judicial Officer shall decide by lot which of the candidates having equal votes is to be declared elected.

(9) The Judicial Officer shall declare the result of the election at the meeting and shall forward a copy of the minutes of the meeting to the President and the District Magistrate."

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ५६ का संशोधन।

१९—मूल अधिनियम की धारा ५६ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"56. Every election and nomination of a member or President of a Board, the due constitution of the board, and every vacancy in the office of member or President, shall be notified in the official *Gazette*."

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ८७–ए का संशोधन।

२०—मूल अधिनियम की धारा ८७–ए में—

(१) उपधारा (११) के अन्त में शब्द " for submission to the State Government" निकाल दिये जायं।

(२) उपधारा (११) के पश्चात् निम्नलिखित को नई उपधारा (11-A) के रूप में जोड़ दिया जाय—

"(11-A) As soon as may be after three days of the receipt of the copies mentioned in sub-section (11), the District Magistrate shall forward the same to the State Government, together, in the event of the motion of non-confidence having been carried, with a report whether or not the President has forwarded his resignation in accordance with the provisions of sections 47 and 47-A."

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ११५ का संशोधन।

२१—मूल धिनियम की धारा ११५ की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"(1) The Municipal fund shall be kept in the Government Treasury or sub-treasury or in the bank to which the Government treasury business has been made over or, where the State Government so directs, in a scheduled bank specified by it in this behalf."

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा १३०–ए का संशोधन।

२२—मूल अधिनियम की धारा १३०–ए की—

(१) उपधारा (२) में शब्द "modify" के स्थान पर जहां कहीं भी यह आया हो शब्द "increase, modify or vary" रख दिये जायं।

(२) उपधारा (३) में शब्द "imposing or modifying" के स्थान पर शब्द "imposing, increasing, modifying or varying" रख दिये जायं।

२३—मूल अधिनियम की धारा १४७ की उपधारा (१) के खंड (g) में शब्द "clerical or arithmetical error" के स्थान पर शब्द "clerical, arithmetical or other apparent error" रख दिये जाँय। यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा १४७ का संशोधन।

२४—मूल अधिनियम की धारा १८१ की—

(१) उपधारा (१) में शब्द "the previous section" के स्थान पर शब्द और संख्या "section 180" रख दिये जायं, तथा

(२) उपधारा (२) में शब्द "foregoing" के स्थान पर शब्द "same" रख दिया जाय। यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा १८१ का संशोधन।

२५—मूल अधिनियम की धारा २९६ की उपधारा (१) में संख्या और शब्द "29,43-A, 44-A, 95, 127, 153, 235 and 248" के स्थान पर संख्या और शब्द "95, 127, 153 and 235" रख दिये जायं। यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा २९६ का संशोधन।

२६—मूल अधिनियम की धारा ३२६-ए के खंड (a) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय— यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ३२६-ए का संशोधन।

"(*a*) restraining any person from exercising the powers or performing the functions or duties of a President or Vice-president of a board, or by chairman of a committee or sub-committee of a board or of a member, officer or servant of a board or of a committee or sub-committee of a board on the ground that such person has not been duly elected, nominated or appointed as such president, vice-president, chairman, member, officer or servant ; or"

२७—मूल अधिनियम की धारा ३३२ में शब्द "Chairman" के स्थान पर शब्द "President" रख दिया जाय। यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ३३२ में संशोधन।

२८—यू० पी० जेनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ के उपबन्धों की निरसन (reapeal) के प्रभाव के सम्बन्ध में सामान्य प्रवृत्ति को बाधित न करते हुये इस अधिनियम द्वारा मूल अधिनियम का संशोधन किसी ऐसी निर्वाचन याचिका (election petition) की सुनवाई पर प्रभाव न डालेगा, जिसमें १९५३ ई० में हुये सामान्य निर्वाचन में किसी व्यक्ति के प्रेसीडेंट चुने जाने पर आपत्ति की गई हो, और प्रत्येक उक्त निर्वाचन याचिका की सुनवाई और निर्णय उसी प्रकार होगा, मानो मूल अधिनियम और तदन्तर्गत निर्मित नियम इस अधिनियम द्वारा संशोधित न हुये हों। अपवाद। (saving)

२९—(१) राज्य सरकार किसी भी कठिनता के निवारण के लिये और विशेषकर मूल अधिनियम के उपबन्धों से इस अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के संक्रमण के सम्बन्ध में कठिनता के निवारण के लिये आज्ञा दे कर आदेश दे सकती है कि उक्त प्रकार संशोधित मूल अधिनियम इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से ठीक बाद के बारह मासों के भीतर ऐसे अनुकूलनों के अधीन जो परिष्कार, परिवर्धन अथवा निष्कासन (modification, addition or omission) के रूप में किये जायं, जिन्हें वह आवश्यक और उचित समझे, प्रभावशील होगा। कठिनताओं का निवारण। (Removal of difficulties)

(२) उपधारा (१) के अधीन दी गई आज्ञा यथाशीघ्र विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखी जायगी।

उद्देश्य और कारण

पिछले चुनाव के बाद संगठित म्युनिसिपल बोर्डों के काम से अनुभव हुआ है कि जनता के वोट द्वारा चुने हुए प्रेसीडेंट और सदस्यों के बीच लगातार विरोध बना रहता है, जिससे बोर्डों के सामान्य कार्य में बाधा पड़ी है । ज़िम्मेदारी अनुभव करने वाले कितने ही उत्तरदायित्व जनों से यह सुझाव मिले हैं कि बोर्ड के सुचारु संचालन के लिये सदस्यों द्वारा प्रेसीडेंट का चुना जाना आवश्यक है । सरकार ने इस महत्त्वपूर्ण विषय पर बहुत विचार किया है और यह निर्णय किया है कि पहले की तरह बोर्ड का प्रेसीडेंट सदस्यों द्वारा चुना जाय न कि सीधे वोट (direct vote) द्वारा । इसलिये इस विधेयक द्वारा प्रेसीडेंट के चुनाव से सम्बद्ध उपबन्धों को संशोधित करना है । आगे से प्रेसीडेंट का चुनाव सदस्यगण, आनुपातिक प्रतिनिधित्व परिपाटी (system of proportional representation) के आधार पर एकल हस्तान्तरणीय मत (single transferable vote) द्वारा करेंगे । इससे ऐक्ट में जगह जगह पर पारिणामिक और आनुषंगिक (consequential and incidental) परिवर्तन आवश्यक हैं और उन्हें यथास्थान कर दिया गया है ।

म्युनिसिपल निधि की अभिरक्षा की सुविधाओं के हेतु यह व्यवस्था की गई है कि वे शेड्यूल्ड बैंक, जिन्हें सरकार म्युनिसिपल निधियों के बारे में अधिकृत करे, किसी भी म्युनिसिपैलिटी की निधि को अभिरक्षा में रख सकेंगे, चाहे वहां पर सरकारी खजाना या बैंक हो या न हो । कुछ अन्य ऐसे परिवर्तन और परिष्कार कर दिये गये हैं जिनकी कुछ समय से आवश्यकता थी तदनुसार यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है ।

मोहनलाल गौतम,
मन्त्री,
स्वायत्त शासन विभाग,
उत्तर प्रदेश ।

पी० एस० यू० पी० ए० पी० २३३ एल० ए०—१९५४—८५० ।